राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का चतुर्थ दिवस [संख्या ३

सोमवार, दिनांक २४ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक म.पू. ८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सहकारी, यातायात, देवस्थान, पंचायत, शिक्षा, श्रम, वन एवं आयुर्वेद-विभाग]

———

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया

बहु उद्देश्यीय सहकारी समिति, भीलवाड़ा

(१) श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भीलवाड़ा में कोई बहु-उद्देश्यीय सहकारी समिति है? यदि हां, तो क्या इसके किसी पदाधिकारी ने समिति के हजारों रुपयों का गबन किया है? यदि हां, तो वह कौन है और कितने रुपयों का गबन किया है?

(२) इस सहकारी समिति को सन् ६०-६१ व ६१-६२ में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से किस किस कार्य के लिये कितने-कितने रुपये मिले हैं?

सहकारी मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) भीलवाड़ा में ऐसी कोई बहु-उद्देश्यीय सहकारी समिति नहीं है जिसमें किसी पदाधिकारी ने गबन किया हो।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला! प्रश्न संख्या २।

राजस्थान स्टेट रोडवेज़ से लाभ

२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में कुल कितनी मोटरें स्टेट रोडवेज के अन्तर्गत चलती हैं तथा इन मार्गों पर पहले प्राइवेट बसें कितनी चलती थीं एवं उनके टैक्स (रोड टैक्स आदि) से कितनी आमद सरकार को औसतन सालाना होती थी?

(२) स्टेट रोडवेज के दिनांक १-१-६३ से ३१-१२-६३ तक के नेट प्रोफिट में इसी समय के प्राइवेट बसों से पहले होने वाली टैक्स की आमद निकालने पर सरकार को क्या लाभ रहता है?

यातायात मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है क्योंकि प्रश्न इतना जटिल है कि काफी जानकारी मंगानी है

श्री बिजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक साल तो हो गया है इस क्वेश्चन को पुट अप किये हुए, अभी तक जानकारी क्यों नहीं मंगा पाये ?

श्री अध्यक्ष : कितना समय और लगेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूं कि इस सैशन के बीच बीच में जानकारी करके दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इस सैशन में तो बजट की बहस के समय आपके विभाग की ओर से जानकारी के रूप में देंगे ही। बजट से पहले दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं ऐसी कोशिश करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, आवाज नहीं आ रही है !

श्री अध्यक्ष : आवाज तो मेरी समझ में साफ आ रही है; अभी जरा गरमायेंगे धीरे धीरे।

(विराम)

श्री भैरवलाल कालाबादल। प्रश्न संख्या ३।

मन्दिरों की व्यवस्था

३ श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने पुराने मंदिरों की माफी की जमीनों को अपने कब्जे में लेने के बाद मंदिरों की पूजा, भोग आदि की व्यवस्था के लिये क्या क्या सहयोग देने का निश्चय किया है ?

(२) कोटा जिले में गागरोन किले के मंदिर की पूजा, भोग आदि के लिये क्या क्या सहायता दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि १½, २ साल से उपरोक्त मंदिर की सेवा-पूजा नहीं हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(४) इस मंदिर की सेवा-पूजा के लिये जो माफी की जमीन थी उसे किस तारीख को सरकार ने जब्त कर लिया था ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) पुराने मन्दिरों की माफी की जमीनें जब्त हुई हैं उनको राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट, १९५२ तथा उक्त एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार जागीर कमिश्नर द्वारा एन्यूइटि इनपर्पिच्यूइटी (Annuity inperpetuity) निर्धारित होने पर उसका चुकारा सम्बन्धित पुजारी को किया जाता है जिसमें वह मंदिर के भोग व सेवा आदि का खर्चा करता है।

(२) कोटा जिले में गागरोन किले में स्थित मंदिर श्री मदनमोहनजी के पुजारी के चले जाने व सेवा पूजा न होने के कारण तथा मंदिर के ताला हर वक्त लगे रहने के कारण सन् १९६२-६३ में याफ्तगी का चुकारा बन्द है।

(३) यह सही कि अर्सा १½, २ साल से उपरोक्त मंदिर की सेवा-पूजा नहीं हो रही है

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

कारण कि पुजारी जो सेवा-पूजा करता था वह वहां से मंदिर बन्द करके कहीं बाहर चला गया जो अब तक वापिस नहीं आया ।

(४) माफी का रेकॉर्ड देवस्थान विभाग में उपलब्ध नहीं है और न यह जाहिर होता है कि इस मंदिर को माफी मिली हुई है; अलबत्ता देवस्थान विभाग से १५०) रु० सालाना सहायता मिलती थी जो बजट से साबित है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, यह पुजारी कहीं गया नहीं, वहीं रहता है; पर डेढ़,दो साल तक उसे कुछ दिया ही नहीं है और वह वहीं है, वह भूखों मर रहा है और फिर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वह वहां से चला गया है; यह आपको गलत इत्तला दी गई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अध्यक्ष महोदय, हमारी जांच से ऐसा पाया जाता है कि वह वहां पर नहीं है और मंदिर के ताला लगा हुआ है । अगर उसने पूजा की है तो यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट पेश होने पर १५०) रु० सालाना के हिसाब से दिया जा सकता है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गागरोन के किले में गया हूं, वह बेचारा झोंपड़ी में बैठा है, उसको रुपया नहीं दिया गया है, वह भूखों मर रहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट पेश करके वह रुपया ले सकता है, मैंने निवेदन किया न ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': वह बेचारा कहां से यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट ले, कहां मारा मारा फिरता रहे, आप ही क्यों नहीं आपके विभाग के कर्मचारियों को आदेश दे देवें कि वहां जाकर वेरिफाई कर लें ।

श्री रामकिशन (वैर) : किस आधार पर यह सहायता दी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले से चला आ रहा है ।

श्री रामकिशन : सरकार ने इस बात की जांच क्यों नहीं की कि यह मंदिर खुलता है या नहीं खुलता है; जब कि १५०) रुपया सालाना देने का सरकार की ओर से निश्चय किया गया था तो यह सरकार के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह इस बात की जांच करे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट नहीं पेश किया गया तब बन्द कर दिया गया ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कितने अर्से से पता चला है कि मंदिर बन्द है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आठ-नौ महीने से ।

श्री रामकिशन : क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि इस मंदिर की पूजा के लिये दूसरी व्यवस्था की जाय ?

श्री अध्यक्ष : That is another question.

श्री रामकिशन : एडेड मंदिर या तो उस हालत में यदि ठीक से पूजा नहीं होती है तो दूसरा प्रबन्ध करना चाहिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब इस संबंध में विचार किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन! प्रश्न संख्या ४

जानवरों की बिक्री पर कर

४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य की सीमा के अन्तर्गत जानवरों की बिक्री के सम्बन्ध में लगाये जाने वाले बिक्री कर के सम्बन्ध में प्राय: सभी दलों के सदस्यों ने विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त कर नहीं लगाने का मंतव्य वित्त मंत्री ने जाहिर किया था ? अगर हां, तो उपरोक्त टैक्स की वसूली की कार्यवाही क्यों चल रही है ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : विधान सभा की बहस के बाद सरकार ने भेड़, बकरी व ऊंट के सिवाय दूसरे सब जानवरों को सेल्स टैक्स से मुक्त कर दिया था।

श्री भीमसेन : सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विदिन स्टेट भेड़-बकरी पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : इस तरह का आश्वासन वित्त मंत्रीजी ने बहस के दौरान दिया है।

श्री भीमसेन : यह आश्वासन देने के बाद भी विदिन स्टेट ट्रान्जेक्शन हुए हैं उन पर सेल्स टैक्स लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मंत्रीजी के आश्वासन की खिलाफवर्जी करते हुए विदिन स्टेट ट्रान्जेक्शन पर यदि सेल्स टैक्स लिया गया है विदिन टू ईयर्स रिफंड, तो मांगा जा सकता है।

श्री भीमसेन : कर दाता पढ़ा लिखा नहीं है, वह कहां रिफण्ड मांगने जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप अगर मेरे नोटिस में स्पेसिफिक इन्स्टान्स लायें तो मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का प्रोविजन एक्ट में है, उसके अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भीमसेन : मेरे इलाके के गांव गोडवाली और हिम्मतसर ऐसे गांव है जहां विदिन स्टेट ट्रान्जेक्शन पर सेल्स टैक्स वसूल किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन! प्रश्न संख्या ५।

नीम का थाना में कालेज भवन

५. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या कोई दर्ख्वास्त अज तरफ हरनारायण प्रभूदयाल, नीम का थाना इस बाबत शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई कि नीम का थाना में कालिज की कुल बिल्डिंग वे बना देंगे और सरकार से यह आश्वासन मांगा कि इस पर वे कालेज खोल दें ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया ?

(३) क्या यह सच है कि नीम का थाना उप-जिला में कोई कालेज नहीं है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) आपस में बात-चीत चल रही है।

(३) जी हां।

Page No.5

श्री रामकिशन : किस आधार पर बात चल रही है और क्या प्रगति हुई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपस मे शर्तों के सम्बन्ध में बात-चीत चल रही है ?

श्री रामकिशन : बात-चीत की प्रगति क्या है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अच्छी प्रगति पर बात-चीत है, सेठजी कुछ बातें स्वीकार नहीं कर रहे हैं; हम उन्हें पर्सु एड कर रहे हैं कि वे स्वीकार कर लें।

श्री रामकिशन : आप साफ बात कहिये न, कि क्या प्रगति हो रही है। वे तो कहते हैं कि दर्ख्वास्त दी है और मंत्रीजी ने मंजूर कर लिया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : कुछ शर्तें है उन शर्तों को पूरा करने के बारे में बात-चीत चल रही है। उनमें से एक शर्त यह है कि अगर ३५ बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध न हो तो आपको जमीन के एक्वायर करने पर कम्पेन्सेशन देना होगा।

दूसरी शर्त यह है कि आपको अलग अलग साइन्स, आर्ट्स व कामर्स के ब्लॉक्स बनाने होंगे जो कि स्टेट पी. डब्लू. डी के प्लान व एस्टीमेट के मुताबिक होंगे। यह बिल्डिंग बन जाने पर गवर्नमेंट प्रोपर्टी मानी जावेगी।

तीसरी शर्त यह है कि कॉलेज के रेकरिंग खर्च के बारे में स्पष्टीकरण करें कि दो साल का खर्चा देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जितनी शर्तें आपने बताई हैं उनमें से कितनी सैटल हो गई हैं और कितनी सैटल नहीं हुई है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपको प्रकट करने से कुछ गड़बड़ी होगी, हमें आपस में ही समझौता कर लेने दीजिये। सहृदयता से हम आपस में बात-चीत कर रहे है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हमको कहने में कोई एतराज है क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : लिखा-पड़ी में कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो आपस में बैठ कर बात-चीत कर रहे हैं, आप क्यों बंदिश डालते हैं ?

श्री रामकिशन : बात-चीत की कोई स्टेज तो होगी न ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बताया न कि अच्छी प्रगति चल रही है।

श्री विजयसिंह झाला : साफ तो आप कुछ बता नहीं रहे हैं; क्या शर्तें रखीं, किन किन पर निर्णय हो गया है, किन किन पर नहीं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने बता तो दिया कि ३५ बीघा जमीन की शर्त है; साइन्स, आर्ट्स के अलग अलग ब्लॉक्स बनाने की, बिल्डिंग के गवर्नमेंट प्रोपर्टी होने की और दो साल तक कालेज के रेकरिंग खर्च के देने की शर्तों के सम्बन्ध में बात-चीत हो रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये आधार सेठ साहब के सामने कब रखे थे और रखने के बाद इसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हमने उनको कहा है कि आप आकर बात कर लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : मतलब यह है कि सेठ साहब आपके बंगले पर आकर नहीं मिले ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मुझसे नहीं सेक्रेटरी से आकर मिलते। इस प्रकार के मसले सेक्रेटेरियेट में ही तय होते हैं, मकानों पर तो आपके होते होंगे।

श्री विजयसिंह झाला : प्रगति क्या हुई है..........

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट बता दिया कि किन मसलो पर वाद-विवाद हो रहा है, क्या प्रगति हुई है।

श्री विजयसिंह झाला : आपकी आदत है कि प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देते; क्या बात हुई और क्या प्रगति हुई, यह नहीं बताया। सदन के सामने स्पष्ट बात रखनी चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने स्पष्ट कहा कि बात-चीत में प्रगति हो रही है।

श्री अध्यक्ष : That is a matter of opinion.

क्रय-विक्रय सहकारी समिति

६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) चितौड़गढ़ जिले में क्या क्रय विक्रय सहकारी समिति का निर्माण हुआ है ? अगर हां, तो कब से ?

(२) इस समिति को गोदाम बनाए जाने बाबत सरकार से कितना अनुदान एवं कितना लोन दिया गया ? क्या यह गोदाम सम्पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) इस समिति का राज्य सरकार द्वारा कितनी बार ऑडिट हो चुका है ? ऑडिट के परिणाम के बारे में विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) केन्द्रीय क्रय विक्रय संघ से इस समिति को कितना गेहूं दिया गया ? क्या उसका हिसाब कुल भुगतान हो गया ? नहीं, तो क्यों ?

(५) इस समिति में राज्य सरकार की कितनी हिस्सा पूंजी है ?

सहकारी मंत्री (श्री भीखाभाई): (१) चितौड़गढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक १५-१२-५६ को हुआ है।

(१) ऋण रु० १८,७५० } गोदाम निर्माण
(२) अनुदान रु० ६,२५० } हेतु दिया गया।

(२) गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

(३) समिति का ऑडिट ४ बार हुआ है। ऑडिट रिपोर्टों में उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति के लिये समिति को लिखा गया, और समिति द्वारा अब तक अधिकांश आक्षेपों की पूर्ति की जा चुकी है।

(४) राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लि० द्वारा इस समिति को ६,४६२ मन २८ सेर गेहूँ दिया गया; अब समिति को रु० ४५२३) ८१ न. पै. ही केवल देना शेष है, हिसाब का निपटारा हो चुका है।

(५) समिति में राजकीय हिस्सा राशि रु० २५,०००) मात्र है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऑडिट में आपत्ति क्या थी ?

श्री भीखाभाई : उसमें दुरुपयोग करने की आपत्ति थी। श्री अम्बालाल, व्यवस्थापक के खिलाफ। अम्बालाल को वहां से हटा दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि उसको वहां से हटा दिया गया है, तो क्या वाकई उसने कोई गड़बड़ी की है ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या गड़बड़ की थी ?

श्री भीखाभाई : जो जांच कराई गई थी उसके परिणामस्वरूप द्रव्य और स्टोक में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पाये जाने के कारण समिति की सेवा से अम्बालाल को पृथक किया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मिसयूज़ कर लिया है ?

श्री भीखाभाई : द्रव्य का दुरुपयोग किया, उसका मतलब ही मिसयूज़ आफ दी मनी होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उसको हटा देना ही एक मात्र कार्यवाही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने आपको पढ़ कर सुनाया कि क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अब वह कार्यवाही कहां चल रही है ?

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, कोई गबन करता है तो उसको नौकरी से निकाल देना ही क्या काफी है ?

श्री दलपतसिंह : कार्यवाही कहां चल रही है ?

श्री भीखभाई : कार्यवाही दफ्तर में चल रही है, आपके घर पर थोड़े ही कार्यवाही चलती है।

श्री दलपतसिंह : मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि मेरे घर पर थोड़े ही कार्यवाही चलती है; I have no office at my office. It is no reply. I don't keep any portfolio at my house.

श्री भीखाभाई : I keep the portfolio...........

श्री दलपतसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ, what is the sense in replying like this.

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय केवल यह बता दें कि क्या कार्यवाही कहां चल रही है।

श्री भीखाभाई : नियमानुसार कार्यवाही चल रही है और जो रिजल्ट होगा वह मैं सदन को निवेदन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : जब हटा दिया गया है तो फिर सहकारी विभाग में क्या कार्यवाही चल सकती है ?

श्री भीखाभाई : प्रिलिमिनरी जांच पर हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष : हटा देने के बाद प्रिलिमिनरी जांच नहीं की जाती है।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

सस्पेन्ड किया है या हटाया गया है ?

श्री भीखाभाई : हटाया गया है।

(शोरगुल)

श्री जयनारायण व्यास : दिया (निवाई) हटा दिया गया है तो……

श्री अध्यक्ष : Order please !

मन्त्री महोदय कागज देखकर बता रहे हैं।

श्री भीखाभाई : व्यवस्थापक को वहां से हटा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : This is no Action.

श्री भीखाभाई : कार्यवाही की जा रही है।

श्री दलपतसिंह : मेरे घर पर कार्यवाही थोड़े ही चल रही है। मैं मन्त्री होता तो……….

श्री मुरलीधर व्यास : दिल्ली में तो कार्यवाही होकर सजा भी मिल रही है और आपके यहां ऐसी कार्यवाही हो रही है कि छोड़ा जा रहा है।

श्री भीखाभाई : सजा के लिये ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : कितना पुराना मामला है ?

(विराम)

श्री चतुरभुज शर्मा (चित्तौड़गढ़): गोदाम जो बनाया, क्या वह निर्धारित नियमों के अनुसार बनाया गया ? नहीं बनाया गया, इसीलिए वह ढह गया।

श्री अध्यक्ष : तीन सहकारी समितियों में से यह किसका है ? मन्त्री महोदय सदन को संतुष्ट कर दें कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री भीखाभाई : उनके जवाब का उत्तर प्राप्त किया था। तीनों में से जो लिमिटेशन है सहकारी समिति उसके लिए ही मैंने जवाब लेकर पेश किया है। फिर भी मैं समझता हूँ कि सेक्शन ५७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है और प्रश्नकर्ता को संतुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सेक्शन ५७ किस चीज का ?

श्री भीखाभाई : सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट।

श्री अध्यक्ष : सोसाइटी के खिलाफ कार्यवाही का सवाल नहीं है।

(विराम)

यह प्रश्न कल रखा जायगा। मन्त्री महोदय इसकी पूरी जांच करके बतायें।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला।

मोटर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजयसिंह झाला)

भीलवाड़ा से उदयपुर वाया नाथद्वारा जाने वाला मोटर मार्ग कब तक राष्ट्रीयकरण में ले लिया जायेगा ? अब तक इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं करने का क्या कारण है ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का एक भाग और है। 'नहीं,' तो क्या कारण हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कुछ पता नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी; जिस आधार पर राष्ट्रीयकरण किया जावेगा तो उस कमेटी की रिपोर्ट का ध्यान रखा जायेगा।

श्री विजयसिंह झाला : सुनाई नहीं देता।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (१) देश की राजधानी तथा राज्य की राजधानी को जोड़ना।

(२) राज्य की राजधानी तथा डिविज़न के प्रधान केन्द्रों को जोड़ना।

(३) जिले के प्रधाव कार्यालयों को जोड़ना।

(४) मुख्य मुख्य अन्तर्प्रान्तीय मार्गों को जोड़ना।

वे सहायक मार्ग जो मुख्य मार्गों के लिए आवश्यक है।

इन आधारों पर मार्गों के राष्ट्रीकरण का ध्यान रखा जाता हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इस सूरत में कौनसा आधार नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो वहां के निवासी ज्यादा जान सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सबसे पहिले ही राष्ट्रीयकरण राजस्थान में इसी मार्ग का होना चाहिये था। वह इसलिए नहीं हो रहा है कि इस मार्ग पर अभी बड़े बड़े नेताओं की मोटरें चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे है प्रश्न, या भाषण दे रहे हैं ?

(विराम)

आप जवाब मत दीजिये और प्रश्न पुछिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस रूट का राष्ट्रीयकरण करने के लिए पहले गजट में नोटिफिकेशन हुआ था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस नोटिफिकेशन को बदल कर दूसरा नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है जिसमें इस रूट का उल्लेख नहीं था और दूसरे रूट्स का है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अगर जानकारी नहीं है तो कल रख लें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जानकारी मिल गई, मैं दे देता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नेशनल हाईवे जनता की सुविधा की दृष्टि से होते हैं, इकोनोमिक दृष्टिकोण भी उसमें रहता है। आपने तो वह आधार रखा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : वह तो बुनियादी बात है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भीलवाड़ा उदयपुर वाया चितोड़गढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण ६३-६४ में किये जाने की स्वीकृति थी, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है और विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं तथा लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के यहां आपत्ति-पत्रों की सुनवाई की जा रही है और निर्णय होने पर इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। लेकिन इस मार्ग को भीलवाड़ा से उदयपुर वाया नाथद्वारा न लिया जाकर भीलवाड़ा, चितौड़ कपासन, मावली, उदयपुर लिया जाने का प्रस्ताव है। इस मार्ग को इसलिए चुना गया है कि भीलवाड़ा, चितोड़गढ़ व उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वर्टर को मिलाने के साथ साथ कपासन सब डिविजन, फतहपुर तहसील और भूपालसागर शुगर मिल से भी सम्बन्ध जोड़ता है तथा इस मार्ग पर भीलवाड़ा, उदयपुर वाया नाथद्वारा मार्ग से अधिक ग्राम स्थित हैं। इस कारण यातायात बसें भीलवाड़ा, चितौड़, कपासन, मावली, उदयपुर का राष्ट्रीयकरण कर अधिक जन-समुदाय की सेवा कर सकेगी।

श्री भैरोंसिंह : इन दोनों मार्गों पर रोड माइलेज किधर का कम है ?

(विराम)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है वह सीमेन्ट रोड नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं है। मैंने बता दिया कि वह अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री भैरोंसिंह : सड़क ही नहीं है तो राष्ट्रीयकरण किसका किया जा रहा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेटल्ड रोड है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : नाथद्वारा नेशनल हाइवे है और यातायात चितोड़ वाले रूट से अधिक है तो नाथद्वारा वाले रूट को नेशनलाइज क्यों नहीं कर लेती है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार दोनों को ही नेशनलाइज क्यों नहीं कर लेती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कमेटी बैठी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : आप भी कुछ कहें या निर्णय लें।

श्री विजयसिंह झाला : दोनों का।

श्री अध्यक्ष : कई दफा यह प्रश्न आ चुका है और माननीय सदस्य चिन्तित हैं, इसलिए इस प्रश्न पर विचार कर लीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Page No.11

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

पुजारी

८. **श्री विट्ठल भाई** (बांसवाड़ा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में सरकार द्वारा नियन्त्रित मन्दिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की संख्या क्या है ?

(२) क्या सरकार को कहीं से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गैर ब्राह्मण होने के कारण लोगों को पुजारी नहीं लिया गया है ?

(३) क्या मन्दिरों में रखे जाने वाले पुजारियों की भी परीक्षा ली जाती है ? यदि हां, तो यह परीक्षा कौन लेता है और इसकी क्या व्यवस्था है ?

(४) क्या मन्दिरों में एक ही जाति विशेष के पुजारियों को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन नहीं है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित मन्दिरों में गैर-ब्राह्मण पुजारियों की संख्या २७८ हैं।

(२) ऐसी कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(३) जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली तथा कोटा के अतिरिक्त किसी भी युनिट में मन्दिरों में रखे जाने वाले पुजारियों की परीक्षा नहीं ली जाती। जयपुर में इसके लिये पांच पंडितों की एक कमेटी 'धर्मसभा' के नाम से है। इसी प्रकार भरतपुर व अलवर के लिये भी एक कमेटी नियत है। धौलपुर, करौली व कोटा के लिये कोई कमेटी तो नहीं है परन्तु वहां के पूर्व नियत पंडितों द्वारा परीक्षा ली जाती है।

(४) मन्दिरों में एक ही जाति विशेष के पुजारियों को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रत्येक मन्दिर में उस मन्दिर के सम्प्रदाय के अनुसार नियुक्ति की जाती है, ऐसी दशा में संविधान का कोई उल्लघन नहीं होता है।

श्री रामकिशन (वैर) : यहां कुल मन्दिरों की संक्या कितनी है जो सरकारी नियन्त्रण में हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मन्दिरों की संख्या अभी मेरे पास नहीं है

श्री रामकिशन : १६०० मन्दिरों में केवल २७८ ही गैर ब्राह्मण पुजारी है, क्या इससे संविधान नहीं टूटता है। क्या उन मन्दिरों में गैर-ब्राह्मण पुजारी नियुक्त क्यों नहीं करते जहां परम्परा से ब्राह्मण पुजारी होते आये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया २७८ गैर-ब्राह्मण पुजारी हैं।

श्री रामकिशन : २७८ तो राजस्थान बनने से पहले भी थे, तब तो संविधान भी नहीं बना था ; राजस्थान बनने के बाद गैर ब्राह्मण पुजारी कितने नियुक्त किये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मन्दिर जो होते हैं वे किसी सम्प्रदाय विशेष के होते हैं, उनकी अपनी परम्परायें होती है। इस प्रकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

का प्रश्न हमारे सामने नहीं आया कि किसी मन्दिर के पुजारी के लिये किसी गैर ब्राह्मण का आवेदन-पत्र आया हो और उसको नहीं लिया गया हो या उनकी नियुक्ति नहीं की गई हो।

श्री रामकिशन : आपके सामने तो प्रश्न नहीं आया, किन्तु विधान की रक्षा करना भी तो आपका धर्म है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे विधान का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

श्री रामकिशन : गैर-ब्राह्मण पुजारियों की संख्या बतायी वह तो राजस्थान बनने से पहले की है; राजस्थान बनने के बाद, सरकार के नियन्त्रण में आने के बाद इन पन्द्रह सालों में गैर-ब्राह्मण पुजारी आपने किसी में नियुक्त किया है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न आपके सामने जरूर आया होगा, लेकिन हमारे सामने इस प्रकार का प्रश्न नहीं है कि किसी मन्दिर के पुजारी के लिये किसी गैर-ब्राह्मण का आवेदन-पत्र आया हो।

श्री रामकिशन : आपके सामने नहीं आया है। सरकार ने यह ध्यान नहीं रखा है कि विधान टूट रहा है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें संविधान के उल्लघन का सवाल नहीं है।

श्री रामकिशन : विधान का पालन नहीं किया, इसका मतलब यही हुआ कि उल्लंघन हुआ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : यह तो इन्टरप्रिटेशन का सवाल है।

ग्राम पंचायत रीफ्रोन को अनुदान

८. **श्री जुझारसिंह**: (चेचट) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम पंचायत, रीफ्रोन को पंचायत समिति बकानी द्वारा रटलाई के रास्ते पर खरंजा बनाने हेतु कितना किरवा अनुदान कब कब किन किन शर्तो पर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत ने धन का दुरुपयोग किया है व अब तक भी खरंजा तैयार नहीं करवाया है ?

(३) सरकार इस काम को कब तक और किस प्रकार से पूरा करवाने का विचार करती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) दिनांक ३१।३।६० को ८००) रू. व दिनांक २१।३। ६१ को ४,०३८) रु० -इस प्रकार कुल ४,८३८) रु० का ५० प्रतिशत जन-सहयोग की शर्त पर अनुदान दिया गया था।

(२) खरंजे का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, किन्तु धन का दुरुपयोग होना प्रतीत नहीं होता।

(३) आवश्यक जन-सहयोग के लिये प्रयत्न किया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर पंचायत द्वारा कार्य पूरा कराया जावेगा।

श्री जुझारसिंह : आपने पहले ८००) रूपया, फिर ४ हजार रूपया दिया। क्या पंचायत द्वारा यह काम पूरा हो चुका था।

Page No.13

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १९६०) रूपया, काम पूरा हो गया था उसके बाद दिया गया।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि काम पूरा नहीं कर सकने की वजह से पंचायत समिति द्वारा इस रूपये को वापिस ले लिया है क्योंकि सरपंच काम पूरा नहीं करवा सका था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जन-सहयोग प्राप्त नहीं हुआ इसलिये काम अधूरा रहा है।

जिला बोर्डों के अध्यापकों का एरियर

१० श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ७-१०-५६ से पहले जब राजस्थान में जिला बोर्ड चालू थे उस समय उन जिला बोर्डों के अधीन काम करने वाले कुछ अध्यापकों के वेतन बकाया के उस समय के एरियर का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ?

(२) अगर हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) यह मामला सरकार के विचाराधिन है।

श्री हरदत्तसिंह : यह मामला कब से विचाराधीन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५६ से विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि उप-मंत्री महोदय ने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि जिला बोर्ड के अध्यापकों का बकाया वेतन तीन माह के अन्दर अन्दर चुकारा कर दिया जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी स्मृति में तो नहीं है, वे बतला दें।

श्री भैरोंसिंह : आपकी स्मृति में नहीं है, यह तो अफसोस की बात है। यदि ऐसा ही है, आपकी स्मृति खराब है तो आप मुख्य मंत्रीजी से कह दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ज्यादा अच्छा यह हो कि वह एश्योरेन्स ही बता दें।

श्री अध्यक्ष : This is a very serious matter. उसको बताने की आवश्यकता नहीं। आप इन अध्यापको पर रहम खाकर इनके वेतन का चुकारा कर दीजिये। सरकार को इसकी गंभीरता को महसूस करना चाहिये। जिनको ५६ से तनख्वाह नहीं मिली है थोड़ा वेतन पाने वाले हैं ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ५६ तक जिला बोर्ड का स्टाफ रहा है, ५६ से पहले के एरियर्स का सवाल है। उसमें यह है कि उसको जिला बोर्ड दे या कौन दे ? हम तो इसमें सजगता और सतर्कता बराबर बरत रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : न सजगता है और न सतर्कता ही है।

गबन की शिकायत

११. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ओंकार माली ने ग्राम पंचायत चोरु (तहसील उनियारा, जिला टोंक) के सरपंच, श्री कल्याणमल महाजन के विरुद्ध सरकारी अथवा जनता के धन का दुरुपयोग एवं गबन की लिखित शिकायत पंचायत विभाग को दी है? यदि हां तो उस पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नही, तो क्यों?

उप-मंत्री पचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) (१) जी हां। शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच जारी है।

श्री श्रवणलाल : यह जांच कब से शुरु की गई है?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जब से शिकायत आयी है तब से।

श्री श्रवणलाल : शिकायत कौनसी तारीख को आयी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : जांच कब से जारी है और आप क्या एक्शन ले रहे है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर के यहां इन्क्वायरी चल रही है।

श्री श्रवणलाल : यह कब से चल रही है?

श्री मुरलीधर व्यास : गबन के मामले से संबन्धित जो भी प्रश्न हैं उनके बारे में साफ उत्तर आना चाहिये। इस बात पर यह कहना कि इन्क्वायरी चल रही है, इसका उत्तर साफ आना चाहिये, नहीं तो य गबन के जो मामले है वे बन्द नहीं होंगे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया, कलेक्टर के यहां से इसके बारे में रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितने का गबन है, किस मामले का गबन है, कितने साल पुराना है; यह तो बता दीजिये?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यह गबन का सवाल नहीं है। कूए पर रकम खर्च करने के बारे में आक्षेप लगाया है। कलेक्टर का स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसके बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : अब तक क्या कार्यवाही की गई है? अब तक क्यों नहीं की गई? अब तक कलेक्टर के पास ही पड़ा है!

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है आवश्यक कार्यवाही के लिये।

श्री सम्पत्तिलाल: बोहरा शिकायत किस चीज की है, धन के दुरुपयोग के बारे में है क्या?

श्री भवानीशंकर दन्दवाना : कल्याणमल के विरुद्ध पीने के पाने के कुए के निर्माण के सम्बन्ध में रकम खर्च करने की बात थी, उसके दुरुपयोग का आरोप था।

श्री मुरलीधर व्यास : कब का यह आरोप था ?

श्री रामकिशन(वंर) : यह शिकायत की है, कब से की है ?

श्री मुरलीधर व्यास ; गबन के मामले में ऐसा प्रश्न उठाया जाता है और उसके बारे में इस प्रकार का उत्तर मिलता है, इससे गबन को खत्म करना दूर रहा, गबन को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट मिलना चाहिये, नहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है, इस प्रश्न को छिपा रहे हैं।

श्री भीखाभाई : इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सरपंच के विरूद्ध कोई बात नहीं। इसको छिपाने में हमें कोई इन्टरेस्ट नहीं होता है। जहां पर ग्राम-स्तर पर ऐसा होता है, ग्राम में दो पार्टियां होती है ; एक पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया करती है ; इसलिये बिना जांच कराये एक दम किसी निर्णय पर पहुचने में दिक्कत आती है, इस बारे में कलेक्टर से जांच करवाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हाई स्कूल का कालेज में परिवर्तन

श्री अब्दुलजब्बार निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा हाई स्कूल में सन् ६४-६५ से कुछ और नये विषय पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कनेरा, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, डूंगला, भदेसर, आदी गांवों के विद्यार्थियों को सहूलियत पहुंचाने हेतु तथा उदयपुर यूनीवर्सिटी को प्रोत्साहन देने हेतु निम्बाहेड़ा हाई स्कूल को ६४-६५ में कालेज बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो आदेश कब तक जारी होंगे ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : 'जी नहीं' का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सहकारी भूमि बन्धक बैंक

१३. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जालोर जिले में सहकारी भूमि बन्धक बैंक की स्थापना हो चुकी है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सच है कि भूमि बन्धक बैंक द्वारा अभी तक किसी को ऋण नहीं दिया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) उक्त भूमिबन्धक बैंक में कितने ऋण लेने के प्रार्थनापत्र जेर तजवीज हैं और कब से विचाराधीन हैं ? उन पर कब तक ऋण मिल जाने की सम्भावना है ?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(४) ऐसा ऋण देने के नियम सरकार क्या सरल करने के बारे में सोच रही है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा।

सहकारी मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) हां, दिनांक ४-६-६० को।

(२) नहीं।

(३) १६। प्रत्येक केस के पेन्डिंग में होने के दिनांक सदन की मेज पर रखी सूची में अंकित किये हुए हैं। इन समस्त प्रतिवेदनों में वैधानिक कठिनाइयों को दूर करवाते हुए आगामी ३ माह में ऋण दिलवाने की व्यवस्था की जावेगी।

(४) जी हां। इस क्रम में कोई निश्चित दिनांक निर्धारित नहीं किया जा सकता; कारण कि सहकारी भूमि बन्धक ऋण प्रथा राजस्थान में अपने शैशव काल में है। और कठिनाइयां ज्यों ज्यों सामने आती है उन्हें दूर करने के प्रयास किये जा रहे है व किये जाते रहेंगे।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ६० से ३॥ साल हो गये। इतने दिनों तक इन प्रार्थना-पत्रों पर किस वजह से देरी हुई ?

श्री भीखाभाई : नियमों के सरलीकरण का सवाल है। लॉ विभाग से अभी तक जांच नहीं हुई है उनकी।

पंचायत समिति, रायसिंहनगर

२४. योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि १९५९-६० या ६०-६१ में पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा आगरा की एक फर्म से फ्रूट प्लान्ट्स खरीदे गये ?

(२) यदि हां, तो कितने रुपये के ?

(३) क्या यह सही है कि ये फ्रूट प्लान्ट्स किसानों को वितरित कर दिये गये ?

(४) क्या यह सही है कि काफी समय के बाद फर्म द्वारा नोटिस दिये जाने पर इन प्लान्ट्स का पेमेन्ट पंचायत समिति फण्ड से कर दिया गया तथा बाद में किसानों से प्लान्ट्स का पैसा रिकवर करके बी.डी.ओ. वगैरह इस पैसे को स्वयं हजम कर गये, उसे पंचायत समिति में जमा नहीं कराया गया ?

(५) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट में इसे गबन बताया गया है ?

(६) क्या सरकार उपर्युक्त गबन की जांच करके सम्बन्धित व्यक्तियों को सजा दिलाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। जगदम्बा नर्सरी आगरा से।

(२) ६,११६) रु० के।

(३) जी हां।

(४) ४,९४४) रु० पौधों की कीमत के किसानों से वसूल हुए वो जगदम्बा नर्सरी को को फौरन भेज दिये गये। बाकी ४,१६२) रु० फर्म के नोटिस देने पर पंचायत समिति के फण्ड से चुकाये गये। इसमें से किसानों से केवल ३००) रु० ही वसूल हुए।

Page No.17

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(५) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट में आगरा से मंगाये गये पौधों के सबन्ध में धनराशि गबन का ऐतराज नहीं किया गया ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ३००) रु० प्राप्त हुए, यह तो स्पष्ट ही गबन है । तो गबन करने वाले अधिकारी के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक्शन का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६ हजार का का पेमेन्ट कर दिया, प्लान्ट्स बेच दिये। उसका रेकॉर्ड नहीं। पैसा बी. डी. ओ साहब जेब में रख गये। ३००)रु० की रिकवरी हुई। इससे अधिक क्या गबन हो सकता है और जब गबन किया तो एक्शन क्यों नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वसूली में दिक्कत इसलिए हो रही है कि किसानों का यह कहना है कि पौधे उगे ही नहीं। इसकी जांच करवाई जा रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई हिसाब ही नहीं है। समिति को पूछा, वह बता नहीं सकी । इस प्रश्न को दो साल हो सके, दो साल में नहीं बता सकी, तो अब क्या बतावेगी ? बी. डी. ओ. ऊपर ही उपर प्लान्ट्स बेच कर खा गये। वसूली कहां से होगी ? कोई हिसाब ही नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हिसाब तो है।

श्री मुरलीधर व्यास बीकानेर) : प्रश्न (५) में स्पष्ट है, ऑडिट रिपोर्ट में गबन बताया गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बताया गया है। मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें स्पष्ट गबन कहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपके पास कॉपी है तो सदन की मेज पर रखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे पास उसका एक पन्ना है, वह मैं रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय मन्त्री महोदय सन्तुष्ट है कि चार हजार से ज्यादा पौधों में से कितने और किस किस को वितरित किये गये और किसका कितना रुपया आ गया या आना है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हिसाब-किताब तो सही है, साहब।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजगढ़ में जिसके विरुद्ध काफी फ्राडों के चार्जेज है, जिसके विरुद्ध गबन के चार्जेज है सरकार उसमें इन्टरेस्टेड है, उसे हर हालत में बचाना चाहती है, वे पकौरिया महोदय हैं। बी.डी.ओ. और एस.डी.ओ. और एस.पी. जब जो भी रहे, तभी उनको सब जगह बताया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बचाने का सवाल नहीं है; आप जानकारी रखते हैं तो जांच करवाने को तैयार हूँ।

Page No.18

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जिनमें पैसा बकाया बताते हैं उनसे वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की, यह बतावें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

साप्ताहिक अवकाश

१५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी (कोटा) में साप्ताहिक अवकाश अधिनियम १६-४२ लागू है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या इस अधिनियम का पूर्णतया पालन कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या इस अधिनियम की अवहेलना किये जाने सम्बन्धी शिकायतें स्थानीय गुमाश्ता मण्डल की ओर से सम्बन्धित अधिकारियों को की गई हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : साप्ताहिक अवकाश अधिनियम १६-४२ रामगंजमण्डी में लागू नहीं है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या कारण है लागू नहीं करने का ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नियमों के अनुसार नहीं हो सकता ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नियम बनाने पर क्यों नहीं विचार करती सरकार ?

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री): साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, १६४२ जो पहले था वह तो एब्रोगेट हो चुका है। शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एक्ट अमल में आया है, उसके अन्तर्गत वहां की जनसंख्या इतनी नहीं है कि वहां लागू हो सके; इसलिये लागू नहीं हुआ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: फिर सरकार क्यों नहीं विचार करती उसके बारे में ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट ।

जूनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा-फल

श्री रावतराम (शादूलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(१) पूलासर, जूनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जिला चूरू में सन् १६६२-६३ में विभिन्न क्लासों में कितने कितने छात्र थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त छात्रों का वार्षिक परीक्षा-फल कितना प्रतिशत रहा ? विभिन्न क्लासों में कितने कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त हायर सैकण्डरी स्कूल का परीक्षा-फल चूरू जिले में सबसे ज्यादा खराब रहा ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि इतना खराब परीक्षाफल रहने पर भी सम्बन्धित अध्यापकों के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं की गई ?

Page No.19

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : [१] कक्षा ६ में ३४, कक्षा ७ में ७८, कक्षा ८ में १५, कक्षा ९ में २१, कक्षा १० में १३।

(२) कक्षा ६ का ९७ प्रतिशत, कक्षा ७ का ९९.३ प्रतिशत, कक्षा ८ का १०० प्रतिशत, कक्षा ९ का ८५.७ प्रतिशत, कक्षा १० का १५ प्रतिशत, अनुत्तीर्ण छात्रों की सख्या, कक्षा ६ में १, कक्षा ७ में १, कक्षा ८ में कोई नहीं, कक्षा ९ में ३, कक्षा १० में ११।

(३) जी हां, इसका कारण यह है कि शाला में कक्षा ९ देरी से चालू की गई। इससे छात्र कमजोर रहे। दूसरा कारण यह है कि विज्ञान के लिये बी० एस सी० अध्यापक की कमी रहने के कारण अधिकांश छात्र गणित व सामान्य विज्ञान में फेल हुए।

(४) वहां के हैड मास्टर से परीक्षा-फल खराब रहने का जवाब मांगा गया है उसका उत्तर आने पर हेड मास्टर तथा दूसरे अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

श्री रावतराम : देर से चालू क्यों हुई ९वीं क्लास।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सैंक्शन देर से हुई डिपार्टमेन्ट की।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): सैंक्शन देर से देनेवालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह मैं अभी नहीं कह सकता, पर एक्शन लूंगा। अब इसका क्या आधार होगा, यह नहीं कह सकता अभी।

श्री रावतराम : गलती जब खुद विभाग ने ही की है तो क्या एक्शन लेंगे आप ? हैड मास्टर और दूसरे अध्यापकों के खिलाफ क्यों कार्यवाही करेंगे, जब कि गलती सरकार ने की है। सरकार के खिलाफ ही क्यों नहीं एक्शन लिया जावे ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, (भीम) : जब कि क्लास ही देर से खोली गई और टीचर भी बाद में रखा गया तो यह तो शिक्षा मन्त्रालय की जांच आप करते ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : टीचर मिलते नहीं।

श्री रावतराम : पिछले साल वाला ही हैड मास्टर है क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पता नहीं, कौन है ?

प्रश्न संख्या १७

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

मिडल स्कूल का हायर सैकण्डरी में परिवर्तन

१८. श्री मजलिसखां (कामां) शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नगर के कस्बा सीकरी के मिडल स्कूल को हायर सैकण्डरी में परिवर्तित करने के लिये पंचायत समिति तथा सीकरी निवासियों ने मांग की

(२) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

Page No.20

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां ।

(२) राजकीय माध्यमिक शाला, सीकरी के हायर सैकण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की सिफारिश शिक्षा निरीक्षक भरतपुर ने सत्र १९६३-६४ में की थी । परन्तु वहां की जनता ने शर्त के अनुसार धनराशि जमा कराने का आश्वासन नहीं दिया । अतः इस पर विचार नहीं हो सकता ।

चित्तौड़ सैनिक स्कूल

१६. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़ सैनिक स्कूल में राजस्थान को किस किस वर्ष में कितनी कितनी सीट अलॉट की गई थी ?

(२) किस किस वर्ष में कितनी कितनी सीट खाली रही और क्यों ?

(३) राजस्थान के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा क्या क्या सहायता एवं सुविधाएं दी जाती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि ये सुविधाएं तथा सहायता अन्य राज्यों द्वारा दी जानेवाली सुविधाओं तथा सहायता से कम है ? यदि हां, तो किस किस प्रकार की और क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) चित्तौड़ सैनिक स्कूल में ६७ प्रतिशत राजस्थानी छात्रों के लिये सीट सुरक्षित रखी जाती है जिनका विवरण इस प्रकार है :

(२) वर्ष	कुल छात्र संख्या	राजस्थानी छात्र	कुल संख्या राजस्थानी छात्र	खाली सीटें
१९६१	१२४	८३	६४	१९
१९६२	२१०	१४०	१०१	३९
१९६३	२७०	१८०	१३९	४१

(३) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	पूरी छात्रवृत्ति दी गई छात्र संख्या	आधी छात्रवृत्ति दी गई छात्र संख्या	चौथाई छात्रवृत्ति दी गई छात्र संख्या
जुलाई १९६१	६०	६	१३
जनवरी, १९६२	२०	६	२

निम्नलिखित राजस्थानी छात्रों को आधी व चौथाई छात्रवृत्ति उनके माता पिता की मासिक आय के अनुसार पूरी छात्रवृत्ति में परिवर्तित की गई ·

वर्ष	पूरी छात्रवृत्ति	अर्द्ध छात्रवृत्ति	चौथाई छात्रवृत्ति
जुलाई, ६१	४३	१२	२
जनवरी, ६२	२०	६	२

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

जुलाई १९६१ में सभी राजस्थानी छात्र जो कि स्कूल में प्रवेश पाने के योग्य थे उन्हें छात्रवृत्तियां दी गई थीं किन्तु जनवरी ६२ में ८ राजस्थानी छात्र जो कि प्रवेश पाने योग्य थे छात्रवृत्ति की आवश्यकता में स्कूल में प्रवेश नहीं लिया। दो राजस्थानी छात्रों ने प्रवेश लिये किन्तु उन्हें उनके माता-पिता की मासिक आय के अनुसार छात्रवृत्ति नियमानुसार नहीं दी जा सकी और अन्य दो छात्रों को भी पूरी छात्रवृत्ति के अधिकारी होते हुये भी आधी छात्रवृत्ति ही दी जा सकी। इन सबका कारण अर्थाभाव था।

राज्य सरकार द्वारा अन्तिम संशोधित नियमानुसार ६७ राजस्थानी छात्रों को निम्न प्रकार छात्रवृत्तियां मिला करेंगी :

पूरी छात्रवृति ३४ आधी व चौथाई छात्रवृत्ति को भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर रेश्यो के अनुकूल ही परिवर्तित की जा सकी है।

आधी छात्रवृत्ति	२०
चौथाई छात्रवृत्ति	१३
योग	६७

फिर भी नियमानुसार प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं होगा। जनवरी ६३ में २० राजस्थानी छात्रों को उनके अभिभावकों की आय के आधार पर नियमानुसार छात्रवृत्ति दी गई। यह सब भली प्रकार जानते हुए उन्होंने प्रवेश नहीं लिया।

(४) राजस्थान सरकार की छात्रवृत्ति की दर पंजाब से अधिक अच्छी है। अन्य राज्यों की दरें मालूम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चित्तौड़ में जो राजस्थान की सीट्स निर्धारित हैं वे आपके आंकड़ों के अनुसार हर साल खाली रहती हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एडमिशन पाने के योग्य छात्र नहीं मिलते इसलिए खाली रहती हैं। बहुत से आते हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो उसके लिए निर्धारित है वे उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको एडमिशन नहीं मिलते।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार जब इतना खर्च कर रही है और बाकी की स्टेट्स पब्लिसिटी की बेसिस पर और अपने प्रयास के बेसिस पर जो सीट्स बाकी की स्टेट के लिए निर्धारित हैं वह पूरी की पूरी भरी जाती हैं और उन स्टेट्स के लोग एडमिशन भी पा लेते हैं, उनका फिजिक भी अच्छा है, उनकी एकेडेमिक क्वालीफिकेशन्स भी अच्छी हैं, उसके बाद राजस्थान की सीट्स खाली रहती हैं तो राजस्थान की सरकार के लिए क्या यह डिस्ग्रेस नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाहर के जो लड़के आते हैं वे पहले से ही टेस्टेड और अच्छे छात्र आते हैं और हमारे यहां के छात्र जो आते हैं वे असफल रहते हैं और कुछ सफल रहते हैं, यह कारण है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो कहा कि बाहर से जो आते हैं वे अच्छे छात्र आते हैं और हमारे यहां के छात्र कोई असफल होते हैं और कोई सफल होते हैं; तो यह सब कुछ आपकी एजुकेशन स्टेन्डर्ड के ऊपर एडवर्स रिफलेक्शन नहीं है ?

Page No.22

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय। इस हिसाब से हमारे और दूसरे राज्य में कोई भेद नहीं है और न किसी तरह का यह रिफलेक्शन है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कभी जांच की है कि बाहर के स्टुडेन्ट्स पूरी सीट्स कैप्चर कर लेते हैं और राजस्थान के स्टुडेन्टस एडमिशन के समय असफल होते हैं या वे पूरी क्वालीफिकेशन्स फुलफिल नहीं करते, इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, पहले तो राजस्थान की सीट्स ज्यादा हैं और फिर बाहर के जो छात्र आते हैं वे सिलेक्टेड आते हैं और हमारे यहां कई संस्थाओं के छात्र यहां उपस्थित होते हैं, इसलिए इन दोनों में किसी प्रकार का मेलजोल का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : राजस्थानी छात्रों के प्रवेश का कारण यह भी हो सकता है कि जो भाषा होती है उसमें अंग्रेजी भाषा का ज्यादा जोर होता है, इसलिए हमारे विद्यार्थी उसको पास नहीं कर सकते और इसके साथ ही साथ क्या सरकार विचार कर सकती है कि हमारे विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा की परीक्षा के कारण असफल न कर उनको सिलेक्ट कर लें और फिर वहां अंग्रेजी पढ़ा लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आसन से जो कुछ फरमाया गया है, यह सही है कि अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देने से हमारे यहां छात्र कम आ पाते हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि यह जहां तक सम्भव हो सकता है अंग्रेजी के प्रश्न पर विचार किया जावे; बीच में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का प्रश्न आता है, इस पर स्टेट गवर्नमेन्ट विचार करेगी।

श्री भैरोंसिंह: जितनी सीट्स राजस्थान के लिए निर्धारित हैं स्कोलरशिप के लिए जितनी बजटेड सेंक्शन होनी चाहिये वह नहीं है, इसलिए छात्र नहीं आते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सेंक्शन जैसा मैंने कहा कि ३ श्रेणी की हैं.......

श्री भैरोंसिंह : मैं तो डेफीनिट उत्तर चाहता हूँ। जितनी सीट्स हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं और जितना स्कोलरशिप का बजट होना चाहिए उतना नहीं रहा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सारा प्रश्न गार्जियन की फाइनेन्शियल पोज़ीशन के ऊपर आधारित है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार कहती जा रही है कि बजटेड सेंक्शन नहीं है और स्कोलरशिप नहीं मिलती इसलिए लड़के नहीं जाते और इसी साल स्कोलरशिप के खाते को मीट करने के लिए ३२ स्टूडेन्ट्स को नोटिस दिया गया है कि बजट में पैसा नहीं होने की वजहसे तुमको स्कोलरशिप नहीं मिलेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि स्कोलरशिप आधी दी जाने पर भी नहीं आते हैं। यह स्थिति तो नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने यह भी कहा कि बहुत से लड़कों को अर्थाभाव के कारण स्कोलरशिप नहीं दे सकते, तो देश में

Page No.23

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

एमर्जेन्सी चल रही है और देश के लिए सैनिक ज्यादा आवश्यक हैं। आप अपनी कोठियों पर तो रुपया खर्च कर सकते हैं किन्तु सैनिकों के लिए रुपया नहीं खर्च कर सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अर्थाभाव का प्रश्न संकटकालीन स्थिति से कैसे मेल खाता है;यह आवश्यक नहीं कि यहां का सारा प्रोडक्ट सेना में ही जाये।

श्री भैरोंसिंह : अभी संकटकालीन स्थिति में जो राजस्थान ने नाम कमाया है, यह कह कर आप उसको बट्टा लगाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसका तो आपने प्रयत्न किया है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यहाँ से निकले हुए छात्र ही मिलिटरी में जाते हैं, दूसरे तो नहीं जाते हैं; तो कम से कम बेस तो होना चाहिए। अगर बेस ही तैयार नहीं कर सकते तो फिर क्या हो सकता है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एमर्जेन्सी में सब आदमी जाते हैं, लड़के भी जाते है, एम०एल०ए० भी जाते हैं......

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के सुपुत्र भी गये हैं ।

(विराम)

श्री प्रभुलाल सेन्टर ।

हाई स्कूल भवन

२० श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) खानपुर हाई स्कूल बिल्डिंग को जो जनता के सहयोग से बनाई गई है पूरा करने के संबंध में क्या योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि यदि सरकार द्वारा इस बिल्डिंग को आर्थिक सहायता दी गई तो विद्यार्थी आगे आने वाली बरसात में शिक्षाध्ययन नहीं कर सकेंगे ?

(३) क्या इस बिल्डिंग की मरम्मत इस वर्ष कराने का विचार है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) अभी तक वहां की जनता ने धन-संग्रह की सूचना सरकार को नहीं दी है।

(२) सरकार उसी समय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करती है जब कि जनता भी अपना आर्थिक सहयोग दे ।

(३) यह भवन अभी तक भवन-निर्माण विभाग की लिस्ट पर नहीं लिया गया है। यदि जनता अपने सहयोग से भवन बनवा दे तो सरकार भी आगे आर्थिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर सकती है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : अभी सरकार ने इसमें कुछ भी सहायता नहीं दी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, नहीं दी ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या बात कर रहे हैं, साहब ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह शर्त थी कि भवन जनता बनाकर देगी ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने उद्घाटन भी किया और जनता ने ५३ हजार रुपया लगाया और सरकार ने भी दिया। इसके बाद भवन पूरा बनेगा, हॉल बाकी है और कुछ चूता है। इसके बाद हमने हमारे गवर्नर महोदय को लिखा कि भवन संभाल लो ? कलेक्टर साहब को स्टाम्प लिखकर दिया कि भवन संभाल लें। मुख्य मंत्रीजी ने भी इसका उद्घाटन किया और आप कहते हैं कि जनता ने संभलाया ही नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण का सम्पन्न होना आपकी दृष्टि में अलग है और सरकार की दृष्टि में अलग है हॉल जो बहुत आवश्यक अंग है वह नहीं है और कई कमरे जो बिल्डिंग के आवश्यक अंग हैं वे भी नहीं हैं। तो जब तक इनकी पूर्ति नहीं हो तब तक सरकार इसको लेने की स्थिति में नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': जब सरकार ने उसको संभाल लिया और जनता ने संभला दिया तो उसको पूरा क्यों नहीं करवाती ? मुख्य मंत्री जी से पूछ लें, वे उद्घाटन करने गये थे और उन्होंने कहा था कि ६५ हजार रुपया और लगेगा हमें सम्भला दो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : संभलाना तब है जब पूरा सम्पन्न हो जाये, पूरे कमरे बन जायें और उसके बाद पी॰डब्ल्यू॰डी० की लिस्ट में आ जायें, तब संभलाना हो जाता है। अब यह जनता की ही जिम्मेदारी है।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं हाई स्कूल भवननिर्माण समिति का अध्यक्ष रहा हूं और ५३ हजार रुपये जनता ने लगाये। १६५५ में कलेक्टर को स्टाम्प लिख कर दे दिया और बिल्डिंग पूरी राज्य के सुपुर्द हो गयी है। इसके बाद १६५७-५८ में मुख्य मंत्रीजी ने उद्घाटन किया और यह आश्वासन दिया कि २५ हजार रुपये सालाना इस पर लगाये जायेंगे। लेकिन अफसोस है कि सरकार ने अभी तक एक पैसा भी नहीं लगाया और गये साल वह इमारत चूती रही और लड़कों का पढ़ाई का समय बहुत बरबाद रहा। मैं चाहूंगा कि इसके लिए सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहूंगा कि वह भवन पूरा निर्मित हो। जैसा इन्होंने कहा, जो हमारा स्टेन्डर्ड है उसके माफिक बनवा दिया जाये। वैसे जो आप कह रहे हैं मैं उसका आदर पूरा करता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जो गिफ्ट दी गई, उसको एक्सेप्ट किया या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक्सेप्ट नहीं की है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने कहा है कि कभी नामन्जूर की है ?

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : वह भवन आज किसके पजेशन में है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्कूल चल रहा है, इसलिए फिजिकल पजेशन उनका है लीगल पजेशन हमारे पास नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फिर कलेक्टर साहब ने स्टाम्प क्यों लिखवाया ?

Page No.25

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो बाइ प्रोसेस ऑफ कम्पलीशन में है।

श्री फूलचन्द जैन : क्या यह चीज नहीं है कि पी० डब्लू० डी० के सर्टीफिकेट लेने के बाद ही भवनों का उद्घाटन किया जाना चाहिए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह भावनाओं पर आधारित है। कालाबादलजी ने कहा तो मंत्रीजी ने स्वीकार किया उद्घाटन करने का। इसमें लीगल पोजीशन नहीं आती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय किसी कार्य का उद्घाटन करें या किसी स्कूल का उद्घाटन करें तो वह केवल भावना मात्र ही होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भावनाओं का उद्घाटन नहीं था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया और स्कूल ले लिया। उन्होंने स्कूल ले लिया, लेकिन वह पी० डबलू० डी० की लिस्ट पर नहीं चढ़ा; तो वे यह बतला दें कि कौनसी घन्टी बजाने पर या आरती करने पर वह चढ़ जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनकम्प्लीट बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया तो कोई आपत्ति नहीं है। एक कमरे का वह कालाबादलजी कहते तो भी कर दिया जाता।

श्री फूलचन्द जैन : ५५-५६ में यह बिल्डिंग बनी और सरकार यह निर्णय नहीं कर पाई या व्यवस्था नहीं कर पाई कि किस किस प्रोपर्टी को लेना है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार यह निर्णय कर चुकी है कि जनता को जैसी बिल्डिंग चाहिए वह पूरी करे तो उस प्रोपर्टी को ले लिया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जैसा कि इसमें कहा गया है प्रश्न नं० २ में कि बरसात होने के कारण वह स्कूल आगे नहीं चल सकेगा ; तो क्या इस स्थिति की जांच सरकार ने कर ली।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गत वर्ष वर्षा कम हुई है, इसलिए यह स्थिति ध्यान में नहीं आई।

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्री महोदय को यह जानकारी कैसे हो गई कि वर्षा कम होगी ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सरकार ने निर्णय कर लिया कि स्कूल चलाने के लिए बिल्डिंग बना दें। वह बना दी जनता ने। उसके बाद में क्योंकि वह चूती है उससे लड़कों का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की होगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इससे जनता को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : किसी बिल्डिंग के गिरने से १०-२० लड़कों का नुकसान होगा तो जनता को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसी स्थिति नहीं है; जैसे आपके यहां मकान होते हैं वैसे वहां पर नहीं होता है। वहां पर पत्थर के मकान होते हैं।

Page No.26

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री प्रभुलाल सेन्टर : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि ६२-६३ के बजट में १२,००८) रु० स्वीकृत हुए थे वे क्यों नहीं खर्च किये गये ? यह माननीय मंत्रीजी महोदय बताने की तकलीफ करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है।

उप-समिति का निर्माण

२१. **श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायत समिति, पदमपुर द्वारा एस०डी०एम० करनपुर के कृषि प्रसार अधिकारी की दीवार गिराये जाने पर जो उप-समिति ३-३-६० को बनाई गई थी वह तारीख २८-३-६० को किस नियम के अन्तर्गत नई बनाई गई ?

(२) उपरोक्त ता० २८-३-६० को बनाई गई उप-समिति की कितनी बैठकें हुईं और कब २ ? सदस्यों ने सफर भत्ता या दैनिक भत्ते की कितनी राशि ली ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सच है कि प्रधानजी के मित्रों, श्री विरामसिंह १२ बी० बी० सदस्य स्थाई समिति, श्री मनिराम, सरपंच फरसेवाला, श्री परमाराम सरपंच बीजवायला के लाइसेन्सों (हथियारों के) की रिन्युअलें की मयाद कई माह पहले गुजर चुकी थी इसलिए इस कमेटी को बदल कर मामले को समाप्त किया गया ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) नई उप-समिति का गठन किसी नियम विशेष के अन्तर्गत नहीं हुआ था।

(२) केवल एक बैठक दिनांक ३-११-६० को हुई। इस सम्बन्ध में सदस्यों ने कोई भत्ता नहीं लिया।

(३) जी नहीं। लाइसेन्स की मयाद गुजरने के कारण उप-समिति नहीं बदली गई; अपितु पहली उप-समिति ने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए दूसरी उप-समिति बनाई गई।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी उप-समिति की मीटिंग्ज़ कितनी हुई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मेरी जानकारी में इस समय नहीं है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यही तो पूछा गया था कि जो दूसरी समिति २८-३-६० को बनाई गई थी, उसकी मीटिंग्ज़ कितनी हुईं। यह तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसके लिए मैंने कहा कि पहले जो समिति बनी थी उसकी एक मीटिंग हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी जो बनी उसकी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, जानकारी यह चाही गई थी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कि दूसरी जो उप-समिति बनी उसको कितनी मीटिंगें हुई और कितना भत्ता लिया ? ये सब बिल्स कितने पे किये गये हैं ? यह सारी जानकारी चाही गई थी। यह दो वर्ष पुराना प्रश्न है. इसकी भी जानकारी सरकार को नहीं हो सकी !

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने पूछा था कि लाइसेन्सों की वजह से समाप्त की गई; तो मैंने जवाब साफ दे दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न नं० २ में पूछा है कि जो बाद में समिति बनी है, उसकी मीटिंगें कितनी हुई और कितना भत्ता लिया गया, कौन २ से सदस्य उपस्थित हुए हैं । इसके बारे में कोई पता नहीं, जब कि इसकी सूची मांगी गई है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह उप-समिति किसी नियम के अनुसार नहीं बनी । क्या जो उप समिति नियम के अनुसार नहीं बनती है उसका भी भत्ता दिया जाता है ?

(उप-मंत्री महोदय द्वारा कुछ न कहने पर पुन:)

मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि यह उप-समिति किसी नियम के अनुसार नहीं बनी; तो पहली बात तो यह है कि किन नियमों के अनुसार समिति बनती है और दूसरी यह है कि जो नियम के अनुसार नहीं बनी; उसको भी भत्ता दिया जा सकता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एस० डी० ओ० ने एक दीवार गिरा दी थी पंचायत प्रसार अधिकारी की, तो इस पर एक्शन लेने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया था । उस कमेटी ने काम नहीं किया तो उसको बदल कर दूसरी बना दी ।

श्री मुरलीधर व्यास : नियमानुसार बनी नहीं तो क्या उस कमेटी को नियमानुसार माना गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : खुद ने ही बदल दी ।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह ।

शिडयूल्ड कास्ट कॉलोनी

२२. कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विकेन्द्रीकरण के पूर्व जिला कोटा, विकास क्षेत्र लाडपुरा द्वारा तहसील लाडपुरा में रामनगर नामक शिड्यूल्ड कास्ट कोलोनी बसाई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कितना खर्च हुआ ?

(२) सरकार द्वारा इस कोलोनी में कितने परिवारों के लिए पक्के मकान बनाये गये थे ?

(३) क्या सब मकान कम्प्लीट हो चुके थे ? यदि नहीं, तो क्यों तथा मौजूदा मकानों की हालत क्या है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां, कुल ११,०००)रु० खर्च हुए हैं ।

(२) कुल २० मकान बनाने का प्रावधान था । इनमें से शुरू के पांच मकानों पर छत डाल दी गई हैं, दूसरे पांच मकान छत तक बने है । तीसरी सिरीज के पांच मकानों की नींव का कार्य हुआ है, व अन्तिम सिरीज के पांच मकानों का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है ।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(३) मकान बनाने वालों द्वारा अपनी ओर से खर्चा नहीं करने के कारण काम पूरा नहीं हुआ है। पहली सिरोज के पांच मकान जिन पर छत गिर चुकी थी अच्छी हालत में हैं। दूसरी सिरोज के पांच मकानों की हालत सन्तोषप्रद नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : यह जो पांच मकान है जिन पर कि छत गिर गई है और मंत्री महोदय बता रहे हैं कि संतोषजनक है; तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छत बिल्डिंग पर नहीं गिरी है और छत गिरने के विषय में जो आश्वासन मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया है वह गलत है।

श्री रामकिशन : आश्वासन नहीं, जानकारी।

श्री महेन्द्रसिंह : जी हां।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पांच मकानों पर छत गिरी है।

श्री महेन्द्रसिंह : छत नहीं गिरी है, पट्टियां डाली गई हैं। छत डालने का मतलब कड़ा डालकर प्लास्टर डालने का है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार मैंने सूचना दे दी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अगर जानकारी असत्य है तो आप क्या उस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी जानकारी करवाई जायगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): छत तो डल भी गई, लेकिन फिर गिर गई; इसलिए वे बिना छत के ही पड़े हुए हैं सारे।

श्री महेन्द्रसिंह : यह जो धनराशि (१२,०००) रु० की सरकार द्वारा लगाई गई है क्या उसका पूर्णतया उपयोग हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब किन्हीं मकान बनाने वालों की तरफ से खर्च पूरा नहीं किया गया तो उस कारण से काम अधूरा रहा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह रुपया इन्डिविजुअली लोगों को दिया हुआ है या किसी हाउसिंग कोआँपरेटिव सोसाइटी के मारफत दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मकान बनाने वालों को दिया है।

श्री भैरोंसिंह : अलग-अलग ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कितनी अवधि में मकान बनने चाहिए थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि वे कितनी अवधि में बनने चाहिए थे। मेरे पास केवल यह जानकारी है कि मकान बनाने वालों ने, जो खर्च उनको करना चाहिए था वह खर्चा नहीं किया। उसकी वजह से वह काम पूरा नहीं हो सका।

श्री भैरोंसिंह : आपके नियमानुसार जो राशि मकान बनाने के लिए सहायतार्थ दी जाती है

Page No.29

(श्री भैरोंसिंह)

तो कितने दिनों में पूरा हो जाना चाहिए ? क्या आपको नियम भी मालूम नहीं है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई): विकास खण्ड के मार्फत यह रुपया दिया गया है। वहां लाडपुरा पंचायत समिति में माननीय सदस्य की पार्टी के भी लोग होंगे, लेकिन पंचायत समिति में कोलोनी बनाने का था, उसमें २० मकान बनाने को थे जो कि चार सिरीज में थे। पांच-पांच मकानों की और उसमें उसके अनुसार ५००) रु० जो पेटर्न आफ एसिस्टेन्स था, दिया व २०० रु० उस पर लोन दिया गया और बाकी का खर्चा अपने पास से लगाने का था इन्डिविजुअल को वह नहीं लगाने के कारण यह स्थिति है। माननीय सदस्य जो जयपुर से आने वाले हैं वे बहुत उत्सुक रहते हैं हाउसिंग के बारे में और उनके इस प्रकार से भाषण होते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाय कि जहां ओटोनोमस बोडीज, लोकल बोडीज रहती है तो वे लोकल बोडीज, काम करती है।

श्री भैरोंसिंह : यह भाषण की बात नहीं है। मैंने पूछा है, उसका जवाब दें। भाषण बाद में दे देना।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो जानकारी दी गई है कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा काम शुरु किया गया, वह गलत है मकानों का निर्माण कार्य विकास अधिकारी ने अपनी ओर से किया है।

(६ म. पू.)

श्री भीखाभाई : विकास अधिकारी का अपना खुद का अस्तित्व थोड़े ही है। विकास अधिकारी पंचायत समिति का होता है।

श्री महेन्द्रसिंह : उस समय पंचायत समिति बनी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : जो मकान नहीं बने और उनके लिये सहायता के जो रुपये थे वे जमा कहां है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरपंच की जेब में।

श्री भीखाभाई : आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि सरपंच नहीं था और दूसरी तरफ कहते हैं कि सरपंच की जेब में।

श्री श्रवणलाल : (हिन्डोन) : आप ही बता दीजिये, वह रुपया अब किसकी जेब में है ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

धूमरा की घाटी का सुधार

२३. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार बन्ध माधोसागर के ग्राम धूमरा की घाटी को पंचायत समिति की तरफ से सुधराने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित पंचायत की तरफ से इसका सर्वे करवाने के विषय में लिखा पढ़ी भी हुई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस घाटी के न सुधरने के कारण किसानों को काफी परेशानी रहती है ?

Page No.30

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ग्राम घूमणा की घाटी को पंचायत समिति की तरफ से सुधारने की कोई योजना नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत घूमणा ने केवल इस घाटी को सुधारने के हेतु पंचायत समिति से ३,०००) रु० की मांग की थी। जन सहयोग का आश्वासन नहीं मिलने से आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(४) जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

फोरेस्ट की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

२४. श्री शंकर लाल (सादड़ी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील छोटी सादड़ी के गांव हड़मतिया जागीर के भूतपूर्व जागीरदार ने फोरेस्ट की ग्रा. नं. ४५४ के ५७३ बीघे पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

(ख) क्या यह भी सही है कि भू.पू. जागीरदार ने कुछ वर्षों तक बेशी लगान भी जमा कराया था?

उप-मंत्री वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

मजदूरी का चुकारा

२५. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खयावल ग्राम मावली तहसील के आस पास दो पंचायतों के बीच में सड़क बनी है?

(२) क्या यह सही है कि वहां के मजदूरों का चुकारा अभी तक नहीं हुआ है?

(३) क्या सरकार उन मजदूरों के चुकारे की कोई व्यवस्था करने का इरादा रखती है?

उप-मंत्री पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) मजदूरों का चुकारा कर दिया गया है।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह चुकारा कब किया गया है और किस मद से किया गया है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ६४० ५० न. पै. बाकी थे, उनका चुकारा कर दिया गया।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह चुकारा कब किया गया और किस मद से किया गया? प्रश्न का जवाब दीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

Page No.31

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : रुपये दूसरे मद के हैं और दूसरों को चुका दिया है। थोड़े दिन बाद सरपंच के खिलाफ कार्यवाही होगी कि उसने धन का दुरुपयोग किया है। दो-तीन साल पहले श्रम दान में सड़क बनाई गई थी लेकिन मजदूरों को रुपये नहीं दिये तब मजदूरों ने उनके घर पर आकर धरणा दिया। उसके बाद बी. डी. ओ. से कहा कि रुपये दूसरे मद में से खर्च करके मजदूरों को चुका दो। इस पर अगर सरपंच के खिलाफ कार्यवाही होगी तो उसका क्या होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरपंच को जेल में कर देंगे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपने प्रश्न पूछा कि मजदूरों का चुकारा नहीं हुआ: मैने कहा कि चुकारा हो गया। अगर आप डिटेल की बात पूछते तो जानकारी करके बता देता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : चुकारा कब का बाकी था और कब चुकाया ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

स्कूल का कॉलेज में परिवर्तन

२६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या इस वर्ष जयपुर जिले में कोई कॉलेज खोला गया है ?

(२) क्या सरकार सिकराय की हायार सैकन्डरी स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : इसका उत्तर आपने 'जो नहीं' बताया है, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि यहां के लड़कों को पढ़ने के लिये बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां से कॉलेज १० मील दूर है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कोटपूतली में कॉलेज नहीं खोला है क्या इस वर्ष ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस वर्ष नहीं खोला।

श्री दुर्गालाल बादद्दार : (हवा महल जयपुर) : किस आधार पर आप कॉलेज खोलते है ?

श्री मानसिंह महार : महुआ में कॉलेज नहीं खोला क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आगरे के किले में खोला।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

गोदरेज की आलमारी

२७. श्री रामकिशन (वैर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.32

(श्री रामकिशन)

(१) क्या यह सत्य है कि इन्सपैक्टर आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर के दफ्तर से गोदरेज की एक कीमती आलमारी गायब है ?

(२) यदि हां, तो कब से और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद : (श्री दौलतराम सारण) : (१) इन्सपैक्टर आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर के कार्यालय में कोई गोदरेज की आलमारी खरीदी ही नहीं गई। इससे प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रामकिशन : इसके दो हिस्से हैं; एक आयुर्वेद औषधालय का और दूसरा इन्सपैक्टोरेट का। आप दोनों की ही मान कर उत्तर दें ।

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा वह निवेदन किया है ।

श्री रामकिशन : पूछा था, लेकिन आप दोनों ही जगह की जांच करवा लें। आयुर्वेद औषधालय या इन्सपैक्टोरेट में से किसी भी जगह हुआ हो तो पता लगवा लें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

जैसलमेर की पाठशालाओं का सुधार

२८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या फरवरी १९६३ में उप-मन्त्री, शिक्षा विभाग ने जैसलमेर का दौरा किया था ? यदि हां, तो वहां की पाठशालाओं को सुधारने के लिये मन्त्री महोदय ने क्या निर्णय लिया ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि जैसलमेर जिले में एक ही हायर सैकन्डरी स्कूल है ? यदि हां, तो क्या बाहर से आने वाले छात्रों के लिये वहां कोई छात्रावास है ? यदि नहीं, तो क्या वहां छात्रावास का होना सरकार आवश्यक समझती है ? यदि हां तो उसका प्रबन्ध कब तक हो जायेगा ?

(३) क्या वहां की पाठशालाओं की स्थिति व शिक्षकों की असुविधायें दूर करने के विषय पर सरकार ने विचार किया है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। फरवरी, १९६३ में उप-मन्त्री, शिक्षा विभाग ने जैसलमेर का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि बालकों में सामान्य ज्ञान की कमी है।

(२) जैसलमेर जिले में दो हायर सैकन्डरी स्कूल हैं। बाहर से आने वाले छात्रों के लिये वहां एक प्राइवेट छात्रावास है जिसे मान्यता दिलवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(३) वहां की पाठशालाओं की स्थिति जिले के अनुसार ठीक ही है। समस्त पाठशालाओं में पूरा अध्यापक वर्ग है। भवन की सुविधा जिले के अनुसार सब जगह सामान्य है। शिक्षकों की असुविधायें दूर करने के लिये सरकार धीरे धीरे प्रयत्न कर रही है। अकालग्रस्त क्षेत्रों में पानी की सुविधा दिलाने हेतु प्रयत्न भी किये जा रहे है।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन शिक्षा मन्त्री वहां गये थे ?

Page No.33

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप और हम दोनों ही थे वहां।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वहां पर शादी मे गये थे या काम से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप शादी में गये थे और मैं काम से गया था।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा, 'आप और हम'; लेकिन मैं तो शिक्षा मन्त्री हूँ नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उप— मन्त्री का प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने मेरा और आपका दोनों का नाम ले लिया, इसलिये कह रहा हूं कि मैं तो शिक्षा मंत्री हूं नहीं। मैं यह कह रहा था कि वहां पर छात्रों का नंबर बहुत अधिक है और छात्रावास की पूरी व्यवस्था है नहीं। दूर दूर से छात्र आते हैं। क्या वहां पर जो प्राइवेट छात्रावास है जिसको आपने भी देखा होगा उसको पूर्ण समझते हैं या आवश्यक व्यवस्था करना उचित समझते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आवश्यक व्यवस्था करना जरूरी है। मैने देवस्थान मिनिस्टर साहब से निवेदन किया है कि वहां पर जो समाज कल्याण विभाग की बिल्डिंग है वह इस काम के लिये दे दें तो व्यवस्था हो सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि वे नहीं दें तो भी क्या आप कोई प्रबन्ध करना उचित समझते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राइवेट छात्रावास को मान्यता देने का विचार करने का प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये १०–१५ छात्र मिल कर रहते है। लेकिन इतने बड़े भू-भाग में छात्रावास का समुचित प्रबंध नहीं है। वहां पर जैसलमेर ग्रोपर के लड़के ही नहीं पढ़ते परन्तु बहुत से लड़के बाहर से आते हैं उनके लिये रहने का प्रबन्ध नहीं है। इतने बड़े भू-भाग में छात्रावास बनाना सरकार उचित समझती है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बनाना सरकार उचित समझती है, लेकिन अर्थाभाव के कारण बिल्डिंग बनाने का सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। (शिक्षा मन्त्री से परामर्श के बाद) शिक्षा मन्त्रीजी ने फरमाया है कि किराये पर भी बिल्डिंग मिलेगी तो विचार करके असुविधा दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रामसिंहनगर): देवस्थान की बिल्डिंग कब तक दिला देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह देवस्थान मन्त्री और शिक्षा मंत्री के बीच की बात है।

श्री भैरोंसिंह : आपके बीच की दूरी कब दूर होगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके और हमारे बीच की दूरी के सवाल पर निर्भर है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): देवस्थान मंत्री इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद! श्री अब्दुलजब्बार।

पंचायत समितियों को सिलाई की मशीनों का वितरण

२९. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में विभाग द्वारा सिलाई की मशीनें दी जाती हैं?

(२) यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ में किस किस पंचायत समिति को कितनी सिलाई की मशीनें दी गई हैं और उनका उपयोग किस रूप में किया जाता है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन।

प्रोडक्टिव लेबर स्कीम

३०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रोडक्टिव लेबर स्कीम चालू की जा रही है? अगर हां, तो कब से?

(२) क्या यह सही है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे लेबर स्कीम को योजना बनाने के लिये अलग से शिक्षा विभाग में कक्षा (सैल) बनावें।

(३) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय मन्त्रालय ने उपरोक्त योजना बनाने एवं संचालन में निर्देशन हेतु राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद् बनाने का भी सुझाव दिया है? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण प्रवृत्तियां

१. श्री भीमसेन: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस जिले में क्या प्रवृतियां (एक्टीविटीज) चलाई जा रही हैं अथवा संचालित कराई जा रही हैं?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी

२. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान के आयुर्वेद विभाग में १०० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारी अपने गृह जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में ही रहने चाहिये ? यदि हां, तो विभाग के कितने इस श्रेणी के कर्मचारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं और अब तक उनको अपने जिलों में क्यों नहीं रखा है ?

उत्तर

जी हां। आयुर्वेद विभाग में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को गृह जिले में रखने की ही सरकारी नीति का पालन किया जाता है, फिर भी जिन कारणों से गृह जिले में जो व्यक्ति नहीं लाये जा सके हैं उनके निम्नांकित कारण हैं :-

१. कम्पाउन्डर व यात्रियों के पद सीमित होते हैं और औषधालय सभी जिलों में नहीं खोले जाते। अतः अन्य जिलों के व्यक्ति इन जिलों में नियुक्त कर उन जिलों में भेजे जाते हैं जहां औषधालय खोले जाते हैं।

२. जयपुर व जोधपुर की रसायनशालाओं का विलीनीकरण केन्द्रीय रसायनशाला, अजमेर में किये जाने के कारण जयपुर व जोधपुर जिले के अजमेर रसायनशाला में कार्यरत हो गये हैं।

राजकीय औषधालय, भरतपुर

३. श्री रामकिशन (नैर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजकीय औषधालय, भरतपुर के कर्मचारियों की सर्विस बुक्स मुकम्मिल हैं ? यदि नहीं, तो मुकम्मिल क्यों नहीं कराई गई हैं ?

उत्तर

जी हां, राजकीय औषधालय-भरतपुर के कर्मचारियों की सर्विस बुक्स मुकम्मिल हो चुकी हैं।

सीनियर टीचर्स का चयन

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) शिक्षा विभाग द्वारा सीनियर टीचर्स के चयन के लिये कौनसी प्रणाली अपनाई जा रही है ?

(२) सन् १९६२ में कितने ऐसे शिक्षक, विभाग से चयन किये और कितने बाहर से ?

उत्तर

१—सीनियर टीचर्स को स्थाई जगहों के लिये ७५ प्रतिशत जगह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सीधी भरती से भरी जाती हैं और २५ प्रतिशत जगह विभाग के टीचर्स को तरक्की देकर भरी जाती है।

जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन के स्वीकार शुदा टीचर्स उपलब्ध न हों उस समय तक अस्थाई नियुक्तियां की जाती हैं। ऐसे अध्यापक जो शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं उनको ७५ प्रतिशत पदों के लिये चयन

Page No.36

(शिक्षा मंत्री)

ट्रेण्ड ग्रेजुएट ग्रेड की सीनियोरिटी के आधार पर तथा २५ प्रतिशत मैरिट के आधार पर किया जाता है।

नये सीनियर टीचर्स केवल उन्हीं विषयों में लिये जाते हैं जिनमें विभागीय अध्यापक उपलब्ध नहीं होते; जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि। उनका चयन एम० ए०, एम० एस सी० परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।

सन् १९६२ में विभागीय शिक्षक जो इन पदों के लिये चुने गये उनकी संख्या २०० है तथा बाहर से लिये गये अध्यापकों की संख्या ८६ है।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

५. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या सन् १९६० से अब तक अलवर जिले के गोविन्दगढ़ हायरसैकण्डरी स्कूल, लक्ष्मणगढ़ हाई स्कूल तथा कठूमर और खेड़ली हाई-स्कूलों के हरिजन दलित वर्ग पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है? अगर हां, तो कितनी? पृथक्-पृथक बतावें।

२. क्या उपरोक्त संस्थाओं में इस प्रकार के छात्र भी है जिन्हें स्कोलरशिप नहीं मिली है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं?

३. उक्त छात्रों की छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई हैं और अब कब तक उनको दिला दी जायेंगी।

१. सन् १९६० में मिलने वाली छात्रवृत्ति की सूचना उपलब्ध की जा रही है, आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी। सन् १९६१-६२ व १९६२-६३ में मिलने वाली छात्रवृत्ति की सूचना इस प्रकार है :

	विद्यार्थियों की संख्या तथा रुपया			
	६१-६२		६२-६३	
	सं०	रु०	सं०	रु०
१. जूनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, खेड़ली।	८०	२२९०	७०	२७६०
२. जूनियर हायर सैकण्डरी स्कूल; कठूमर।	४	३२०	८	५२०
३. हायर सैकण्डरी स्कूल लक्ष्मणगढ़।	१३	१०४०	२९	१७२०
४. हायर सैकण्डरी स्कूल, गोविन्दगढ़	८	६४०	१३	६८०

२. खेड़ली हाई स्कूल के दो विद्यार्थियों को सन् ६२-६३ में छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी, चूंकि जाति का क्लासीफिकेशन फॉर्म में नहीं दिया गया था।

३. यदि इस वर्ष में उन्हें पुन: फॉर्म भर कर अपने अपने प्रधानाध्यापक द्वारा भिजवायेंगे तो इस वर्ष अतिरिक्त बजट प्रोवीज़न स्वीकार होने पर नियमानुसार स्वीकार कर दी जावेगी।

सराड़ा में आदिवासी कॉलोनी

६. श्री देवीलाल (सराड़ा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री देवीलाल)

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सराड़ा में आदिवासी कॉलोनी बसाने का निर्णय पंचायत समिति ने लिया था ? यदि हां, तो कब और किस तारीख को निर्णय लिया था ?

(२) क्या यह सही है कि आदिवासी कॉलोनी बसा ली गई है ? यदि हां, तो कितने घरों की आबादी है व कुल कितने लोग हैं ? वह किस स्थान पर बसाई गई है तथा उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उत्तर

१. जी हां । दिनांक ८-३-६१ को निर्णय लिया गया था ।

२. जी नहीं । ग्राम लुहारिया व चन्दोड़ा के पास राठोड़ा पंचायत क्षेत्र में ८ घरों की कॉलोनी बनाई जा रही हैं । मकान पूरे नहीं बनने से वहां कोई नहीं बसा है। लगभग २,०००) रुपये अभी तक खर्च हुए हैं ।

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

१. राजस्थान में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र कहां कहां पर है ?

२. दिनांक १ अप्रेल, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक किस किस केन्द्र पर कितने कितने सरपंचों, उप-सरपंचों व पंचायत सचिवों ने प्रशिक्षण पाया ?

३. केन्द्रवार उक्त अर्से में कुल कितना खर्चा निम्न मदों पर हुआ: —

१. मकान किराया,

२. खुराक खर्च

३. ऑफिसरों की तनख्वाह व ऑफिस का खर्चा, व

४. फुटकर खर्चा ।

उत्तर

१. पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र निम्न स्थानों पर है:—

१. जयपुर । २. जोधपुर । ३. बीकानेर । ४. कोटा । ५. सवाई माधोपुर । ६. उदयपुर । ७. अजमेर । ८. पाली । ९. डबोक (उदयपुर) । १०. सरदारशहर ।

२. सूची संलग्न है ।

३. सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

डेयरी फार्म

८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. बीकानेर में डेयरी फार्म खोलने के लिये, बीकानेर पंचायत समिति ने किस किस को कितना रुपया कब कब दिया ?

२. रुपया मिल जाने के बाद में अब तक किस किस ने कितनी गायें खरीदीं ?

Page No.38

(श्री मुरलीधर व्यास)

३. क्या संबन्धित अधिकारी ने कभी इसकी जांच की है? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है?

उत्तर

१. डेयरी फार्म के लिये नहीं, किन्तु पशु-पालन फार्म खोलने के लिए धनराशि दी गई है। जिन लोगों को धनराशि दी गई उनकी सूची संलग्न है।

२. यह सूचना भी संलग्न सूची में अंकित है।

३. जी हां। जांच के उपरान्त जितनी गायें खरीदना पाया गया है उसका उल्लेख संलग्न सूची में किया हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

नगरपालिका सहकारी समिति

६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या निवाई में "नगरपालिका कर्मचारी सहकारी समिति" है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब हुआ था व इसके कितने सदस्य हैं?

२. इस समिति के संचालक मण्डल के सदस्य कौन कौन है? सूची सदन को मेज पर रखें। इसका चुनाव कब किया गया था?

३. इस समिति का क्या कार्य है और इसको अब तक कितना मुनाफा हुआ है?

४. क्या समिति का सालाना ऑडिट होता है? यदि हां, तो गत साल के ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. हां, निवाई में म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी बचत व साख सहकारी समिति लि० के नाम से दिनांक ५-१-६२ को समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें २० सदस्य हैं।

२. इस समिति के संचालक मण्डल के सदस्य निम्नलिखित है:—

१—श्री हनुमानसहाय	अध्यक्ष
२—श्री श्रीनाथ माथुर	उपाध्यक्ष
३—श्री मुरलीधर शर्मा	मंत्री
४—श्री पूरणमल शर्मा	कोषाध्यक्ष
५—श्री प्रहलाद शर्मा	सदस्य
६—श्री कानाराम	सदस्य
७— श्री रामेश्वरप्रसाद	सदस्य

इनका चुनाव दिनांक १६-८-६३ को हुआ है।

३. इस समिति का कार्य अपने सदस्यों को उचित व्याज पर आवश्यकतानुसार ऋण देना है। समिति को अब तक वास्तविक लाभ नहीं हुआ है।

४. समिति का सालाना ऑडिट होता है। गत साल की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(६. १८. म. पू.)

जिला भरतपुर में थाना बयाना के अन्तर्गत हुई दुर्घटना में हुई कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु संबन्धी यातायात मन्त्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन-प्रस्ताव सरकारी पक्ष की ओर से स्पष्टीकरण हेतु रखे गये थे। यातायात मन्त्री महोदय १८ फरवरी को भरतपुर जिले में बयाना के पास हुई मोटर दुर्घटना के सम्बन्ध में कृपया वक्तव्य दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय अब तक कलेक्टर की रिपोर्ट तथा आर. टी. ओ. की रिपोर्ट से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर घटना का विवरण इस प्रकार है। यह विवरण अधिकतर श्री रमेशगोविन्द, पशु प्रसार अधिकारी, द्वारा पुलिस में दी गई रिपोर्ट पर आधारित है।

दिनांक १८-२-६४ को रात्रि के सवा नौ बजे आ. जे. डी. ७१६ नम्बर की बस ने बयाना से सवारियों को लेकर निर्धारित समय पर भुसावर के लिये प्रस्थान किया। इस बस के चालक श्री हेतराम और कन्डक्टर श्री प्यारेलाल थे। गाड़ी सिर्फ ३ मील करीब चली थी कि कनावर के बांध की गोलाई के पास सड़क की गोलाई पर बारह फुट करीब चोड़े पुल को लांघ रही थी। गाड़ी का अगला हिस्सा पुल पार कर चुका था और पिछले हिस्से के दाहिनी ओर के दो टायरों में से बाहर की तरफ के एक टायर की टक्कर, फुट भर ऊंचे गड़े हुए पत्थर, जो पुल की सुरक्षा के लिए है से हो गई, जिससे टायर के भीतर करीब आधा इंच गहरी लगने के बाद पहिये की फोलादी रिम से कड़ी टकरान हुई और रिम में मोच आ गई। पत्थर की लोहे की चोट से चरपाट टूट कर अलग हो गई। टकरान इतनी कड़ी थी कि पिछले रकाब (यू बोल्ट) टूट गई और डिफरेन्सी अलग हो गया, गाड़ी के चेसिस का पिछला हिस्सा जमीन पर जा टिका। चालक तुरन्त गाड़ी सम्भाल न सका और करीब १५-१४ गज सड़क से दाहिने तरफ झुकती हुई आगे बढ़ी और गड्ढे में गाड़ी का अगला दाहिना पहिया जा गिरा। गड्ढा सड़क पर मिट्टी डालने के समय का बना हुआ था जो करीब दो फीट गहरा है। दाहिना पहिया गाड़ी में टिक गया। दूसरा पहिया बाई ओर से ऊंचा हो गया और गाड़ी जमीन पर टेढ़ी हो गई। गड्ढे की पिछली पाल ने पेट्रोल टैंक में मोच डाल दी और छेद कर दिया, जिससे पेट्रोल जमीन पर बह निकला। गाड़ी के अगले हिस्से में सर्व श्री डा. रमेशगोविन्द माथुर. पशु चिकित्सक (वैर), आर. एस. चौहान, कोआँपरेटिव इन्सपेक्टर (वैर) और रमाकान्त अध्यापक (वैर) बैठे थे।

उन्होंने गाड़ी के सामने वाले शीशे को तोड़ कर निकलना शुरू किया। ये तीनों निकल आये और बाकी २५-३० मुसाफिर और निकल आये। गाड़ी के पिछले हिस्से के मुसाफिर प्रकाश के लिए चिल्लाने लगे क्योंकि गाड़ी के गड्ढे में पड़ते ही गाड़ी की रोशनी बन्द हो गई थी। ड्राइवर और कन्डक्टर भी बस से बाहर हो गये थे। प्रकाश करने के लिए (जिस तरफ पेट्रोल गिर रहा उस तरफ) दियासलाई का जलाना था कि पेट्रोल ने अग्नि पकड़ी ली और तुरन्त

Page No.40

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

बस को अग्नि ने घेर लिया। इस प्रकार १४ सवारियां जो बस में से निकल नहीं पाई थीं अग्नि से घिर गईं और इससे पहले कि कोई मदद पहुँचे सवारियां भस्मी हो गईं। श्री रमेश गोविन्द माथुर पीछे से आती हुई ट्रक को रोक कर वैर पहुंचे और पुलिस चौकी में सूचना दी, जहां से थाना पुलिस बयाना को फौरन मौके पर सहायता के साथ पहुचने की प्रार्थना की गई। वैर में विकास अधिकारी को भी सूचना मिली, तब वह भी मेडिकल सहायता के साथ मौके पर पहुचे और दुर्घटना ग्रस्त लोगों को सुश्रुषा पहुँचायी। थोड़ी देर में बयाना थानेदार, तहसीलदार व पुलिस पार्टी मय डाक्टरी सामान के कई आदमियों के साथ घटनास्थल पर करीब करीब घण्टे में आ पहुँचे। घटनास्थल पर प्रचण्ड अग्नि से बस जलती हुई देखी गई और कोई पानी का सहारा न मिलने से धूल फैंककर आग बुझाने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार हृदयद्रावक दुर्घटना घटित हो गई। गाड़ी में कुल मिला कर ५५ सवारियां थीं जिनमें से ४० अन्दर व ५ छत के ऊपर बैठी थीं और ४ पीपे वेजीटेबिल घी और दो गांठे कपड़े की थीं।

जांच से अब तक बारह भस्मसात् व्यक्तियों के नामों का पता चल पाया है; जो सर्वश्री नानगा, सरस्वती, अशोक, घनश्याम, रामजीलाल, चन्द्रभान नन्दकुमार, बालकृष्ण, नन्नू, निर्राजप्रसाद और एक महिला श्रीमती कमला थी। बचे हुए व्यक्तियों में से चार पुरुष सर्व श्री सबराती, कन्दानी, जगनलाल व श्रीलाल और एक महिला श्रीमती कटोरी लपटे से आहत पाये गये जो वैर के अस्पताल में चिकित्सा पा रहे हैं, जिनकी अवस्था खतरे से बाहर है।

बस के मालिक सुरेन्द्रकुमार पुत्र ब्रजनाथ, सा० भुसावर, जिला भरतपुर है। बस शेवरलेट गाड़ी सन् १९५१ मोडल थी। इस बस का पुराना मोडल होने से प्रादेशिक यातायात समिति जयपुर के १८, १९, २०-२-१९६३ के निर्णय से बस मालिक को १९५२ के मोडल से पहले के मोडल का परमिट नवीनीकरण करने की इन्क्वायरी की सूचना दी गई और बस का परमिट आर. टी. ए. से रिन्यु नहीं किया; परन्तु मालिक बस इस आदेश की अपील में चला गया और ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्युनल के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। बस इस आदेश से घटना होने की तिथि तक चलती रही। उक्त न्यायालय से ता० २१-२-१९६४ को अपीलान्त को तीन महिने से एस. टी. ए से अधिकृत मोडल की बस बदले जाने की शर्त पर अपील स्वीकार की गई है।

इस बस के फिटनेस सर्टिफिकेट के सम्बन्ध की सूचना सम्बन्धित अधिकारी के भरतपुर में न मिलने से प्राप्त नहीं की जा रही है। शीघ्र ही सूचना प्राप्त होने की आशा है।

बस कुल ३७ सवारियां को लेजाने के लिये अधिकृत थी जिनमें चालक व कन्डक्टर भी सम्मिलित थे।

यह दुर्घटना चालक के संचालन की भूल से होना मालूम होती है; अर्थात् मोड़ लेने में उसका सही अनुमानित निर्णय न ले सकने व पत्थर से टकरा जाने और बस को अपने पूरे अधिकार में न चला सकने से हुई है।

चालक व कन्डक्टर के पास लाइसेन्स होना बतलाया जाता है। विशेष जांच जारी है।

कलेक्टर साहब व एस. पी. साहब, भरतपुर ता० २०-२-६४ के प्रातःकाल घटना स्थान पर पहुँचे। जयपुर में घटना की सूचना मिलते ही यातायात अधिकारी मय मैकेनिकल इन्सपेक्टर, हैड क्वार्टर घटनास्थल पर २१-२-६४ को पहुचे गये।

भरतपुर कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को यथावश्यक आर्थिक सहायता पहुंचायी जावे तथा दुर्घटना की विधिवत् जांच करे।

मुकदमा थाना बयाना में दफा ३०४ ए। २७९।३३६।३५७।२८६ आई. पी. सी. के तहत दर्ज होकर तफतीश जारी है। ड्राइवर हिरासत में लिया गया है। कन्डक्टर लापता बताया जाता है। मालिक मोटर को भी सम्मन किया गया है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जो सत्य है वे खुद साबित करते हैं कि यह घटना हुई है वह सरकार की लापरवाही का नतीजा है। यह बस ३७ सवारियों के लिए पास थी और जैसी कि विभाग ने सूचना दी है ४५ सवारियां उसमें थी, जब कि उस दिन के लिए टिकट ७५ काटे गये थे। सवारी बस पुराने मोडल की थी और यह सड़क भरतपुर रियासत के समय की बनी हुई है वह इस स्थिति की है कि छोटी मोटी इस प्रकार की दुर्घटना कई बार हो चुकी है। यह सब सरकार के नोटिस में है। साथ ही जो मरने वालों के आपने नाम बताये हैं, श्री मुकुटबिहारी यहां नहीं है, वे दुर्घटना स्थल पर गये थे और मैं भी गया था—उनके पास १८ नाम मरने वालों के हैं। मैं समझता हूँ, इसको गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि पुलिस से मिल कर ओवर लोड गाड़ियां चलाई जाती है। इस तरह की दो घटनायें पहले भी हो चुकी है, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा इस सड़क को चौड़ा नहीं कराया जा रहा है। ये सड़कें राजा के टाइम में बनी थीं। इसलिए इस दुर्घटना की जिम्मेदारी चालक पर नहीं डाली जा सकती बल्कि सरकार की जम्मेदारी है। इसलिए इसमें इस तरह जांच की जाय कि निरन्तर जो दुर्घटना होती रहती है वे रुक सकें और जो सरकार की आज्ञायें है, जो कानून है उनके मुताबिक मोटरें चलें। इस बस में ४५ सवारियां कैसे चली गईं और ७५ टिकट कैसे काटे गये। इस तरह से इतनी ओवर लोडेड गाड़ियां चलती हैं और सरकार बहुत हल्के ढंग से इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सड़क के पास एक गड्ढा था, उस गड्ढे में मोटर गिर गई। वह गड्ढा जो है वह क्या जब ब्रिज बनाया गया तब किसी ठेकेदार ने कर दिया? किसने किया? उसको क्यों नहीं भरा गया। इसकी जांच करना, जानकारी करना क्या सरकार उचित समझती है? क्यों जो कारण आपने बतलाये वे नहीं होते, ये गड्ढे नहीं होते तो मोटर बच जाती। क्या इस बात की भी सरकार ने इन्क्वायरी की है या इन्क्वायरी करना उचित समझती है...

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): पुलिया बनानी इसलिए पड़ती है कि गड्ढे होते हैं। गड्ढे होते हैं तो पुल बनाने की बात आती है।

श्री मुरलीधर व्यास : पुल बनेगा तो गड्ढा इस प्रकार नहीं रहेगा। माइन्स एक्ट के

(श्री मुरलीधर व्यास)

मातहत अगर गड्ढा रह जाता है तो ठेकेदार द्वारा उसे बूरा जाता है जिससे दुर्घटना होने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसे ठेकेदार ने इस प्रकार छोड़ दिया है और यह इतनी मौत का कारण बनी। इसकी जांच करनी चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (यातायात मंत्री): मजिस्ट्रेट को आदेश दिये गये हैं, वह विधिवत् जांच करे। गड्ढे वाली बात है वह जांच में आयगी और रिपोर्ट आपके सामने आ जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय के सामने यह तथ्य रखना चाहूँगा। कि सन् १९५२ से पहले के मोडल की गाड़ी को चलाने के लिए परमिट नहीं देते हैं। यह भी सही है कि आर. टी. ए. ने परमिट नहीं दिया और मोटर मालिक ने स्थगित आदेश प्राप्त करके गाड़ी चलाई। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सरकारी आदेश के बावजूद जिसको गाड़ी चलाने देने की इच्छा ट्रान्सपोर्ट आँथोरिटी की होती है उसको नोटिस देने में, कार्यवाही करने में इस प्रकार का लेकुना रखा जाता है और उसी लेकुना को लेकर वह व्यक्ति कोर्ट में जाता है और स्टे आर्डर प्रोक्योर कर लेता है। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर जांच करें जब कि गवर्नमेंट के डेफीनिट आॅर्डर्स हैं कि १९५२ के पहले के मोडल की गाड़ी को परमिट नहीं मिले, इस प्रकार परमिट नहीं मिलने की व्यवस्था दे रखी है तो जो गाड़ी के मालिक होते हैं वे किस प्रकार बच कर निकल जाते हैं, किस प्रकार स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं, किस प्रकार कोर्ट स्टे आॅर्डर देने के लिए मजबूर होती है? मैं चाहूंगा कि आप जो जांच कर रहे हैं उसमें यह बात भी जांच करने के लिए शामिल कर लें।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०): अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में उदयपुर से गोगुन्दा वाया सायरा और उदयपुर से गोगुन्दा वाया कोटड़ा का जो रूट है उस पर कई बार एक्सीडेंट होते हैं। इस पर मोहनलाल एण्ड कम्पनी की बसें चलती हैं। हमने कई बार उदयपुर के आर टी. ओ. को लिखित में शिकायत दी है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा सड़क इतनी खराब है कि महीने महीने एक्सीडेंट हुआ करते है, लोगों के हाथ-पैर टूट गये हैं। वह रोड इतनी खराब है कि एक महीने पहले वहां खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हमने पी. डब्ल्यू. डी. में शिकायत की है। इसके अलावा वहां की पुलिस मिली है इसलिए वह कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। हर बार सुनने में आता है कि इस आदमी के हाथ-पैर टूट गये, इस आदमी के चोट आ गई। इस दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए। यह बीमारी सर्वत्र व्यापक है, इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं। मै प्रार्थना करता हूं कि इस रोड को ठीक करायें और लोगों को जो परेशानियां रहती हैं उनको दूर करायें; क्योंकि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए यह बीमारी सर्वत्र व्याप्त है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं एक प्रश्न ... .

श्री अध्यक्ष: Order Please! मैं समझता हूं यह प्रश्न विशेष बहस का नहीं है। इसमें दो-तीन बातें माननीय सदस्य ने

(श्री अध्यक्ष)

उठाई है। एक तो सड़क का खराब होना जो और जगह भी हो सकती है। गड्ढे होना उचित था या नहीं; इन सारी बातों को माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि इस पर अति अधिक सवारियें थीं। मैं आशा करता हूं कि सरकार के मन्त्री महोदय इस विषय में विचार करेंगे और जो भी प्रयास होंगे करेंगे ताकि भविष्य में घटना न होने पावे।

कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, कोटा के मजदूरों की हड़ताल सम्बन्धी श्रम मन्त्री का वक्तव्य

एक दूसरा स्थगन-प्रस्ताव था श्री कृष्णकुमार गोयल का, इसके बारे में श्री श्रम मन्त्री अपना उत्तर देंगे।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, कोटा ट्रांसपोर्ट के मजदूरों की हड़ताल १९. २. ६४ को प्रातः शुरू हुई और २२. २. ६४ को सवेरे मजदूर वापिस काम पर आ गये। ११७ में से ८५ मजदूर हड़ताल पर थे।

यूनियन द्वारा तारीख १६. १. ४६ को उठाई गई मांगों पर समझौता अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई तथा ता० २१. २. ६४ को सब मांगों पर समझौता हो गया तथा हड़ताल वापस ले ली गई।

इस समझौते के अनुसार मैनेजमेंट ने ५,०००) रुपये यूनिफार्म के लिये १०. ३. ६४ तक जमा करा देंगे, मजदूरों को हड़ताल के दिनों का वेतन भी मिलेगा। २,०००) रु० नकद पेमेन्ट मजदूरों को कर दिया गया। इसमें ओवरटाइम का पेमेन्ट तथा ५. १. ६४ को स्वीकृत ऋण का पेमेन्ट शामिल है।

श्री गणेशीलाल क्लर्क तथा श्री प्रभुलाल फिटर को उनके बकाया पेमेन्ट भी कर दिये गये हैं।

मैनेजमेंट ने ५,०००) रूपये का पोस्ट डेटेड चेक (यूनिफार्म के लिये) जो १०. ३. ६४ को सिकरने योग्य (एनकेशेबल) है, श्री कन्हैयालाल (प्रतिनिधि यूनियन) के नाम दे दिया है, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

यदि समझौता भंग किया गया तो सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि लेबर डिपार्टमेंट में जहां तक इस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का प्रश्न है, जब से इस कम्पनी का निर्माण हुआ है.... ....

श्री अध्यक्ष : इस विषय में बहस नहीं हो सकती।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, हड़ताल तो बन्द हो गई, मगर....

श्री अध्यक्ष : इसमें और ज्यादा बहस नहीं हो सकती।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि वे बसेज को बेच रहे हैं। इससे वहां के मजदूरों में अन-एम्पलोयमेंट होगा। मांगें उनकी मंजूर

Page No.44

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हुई है, लेकिन कम्पनी लगातार बसेज को बेच रही है। इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

बापू बाजार (उदयपुर) में स्थित गेलार्ड होटल में पुलिस द्वारा पीटे गये व्यक्ति की हुई मृत्यु सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री झाला ने दी है। इसका सम्बन्ध उदयपुर में तारीख ६. २. ६४ को गेलार्ड होटल में मोहन उर्फ मकड़ी नामक तांगे वाले की मृत्यु से सम्बन्धित है। यह मामला पुराना है और इतना लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही रोकी जाए। फिर भी चीफ मिनिस्टर ने स्वीकार किया है कि इस सम्बन्ध में वे परसों २६ फरवरी को स्टेटमेंट देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य।

प्रवरसमिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(क) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति श्रम पत्रों सहित) उपस्थापन करता हूँ।

(ख) राजस्थान सार्वजनिक उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६३।

श्री भीखाभाई (श्रम-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति पत्रों सहित) उपस्थापन करने के लिये स्वीकृति चाहता हूं।

कार्य सलाहकार समिति के १३ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सहमति

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : श्री अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन के समय सम्बन्धी वाद-विवाद।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन तो स्वीकार हो गया, लेकिन आप लोगों ने संभवत: अनुभव किया होगा कि ८ बजे आना माननीय सदस्यों के लिये सम्भव नहीं कि वे समय पर आ जावें, कारण कि जब देर तक बैठकर काम करें तो सुबह जल्दी उठना संभव नहीं। अगर वे रात को समय नहीं दें तो जो हाउस में कार्य होता है उसके लिये तैयार नहीं हो सकते। कार्य-सलाहकार समिति ने जो तय किया है वह तो

(श्री भैरोंसिंह)

स्वीकार हो गया, लेकिन इसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर फिर से विचार करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

(१.२६ म.पू.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर विचार-विमर्श

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार।

(श्री मानसिंह महार बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इनको कल ४० मिनट मिल चुके हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मुझे कल उपाध्यक्ष महोदय ने जारी रखने का आदेश दिया था। मै महुआ का नाम नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री मानसिंह महार : कल मुझे उपाध्यक्षजी ने जारी रखने की आज्ञा दी थी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहुत कुछ कहता लेकिन अब मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा और कुछ खास खास मुद्दों के बारे में ही कहूंगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम कई दिनों से उम्मीद कर रहे थे और जब हमारे भूतपूर्व गृह मन्त्री ने यह फरमाया था कि मई में पंचायतों के चुनाव करा दिये जावेंगे तो हम पंचायतों के चुनावों की तरफ दौड़-धूप कर रहे थे, पर यह सब बहानेबाजी थी और आयन्दा यह चुनाव दिसम्बर तक सरका दिये। मै यह समझता हूं कि सरकार ने यह सब कुछ किया है, उस पर भी वे स्ट्रिक्ट रहेंगे या नहीं, मुझे तो इस पर भी विश्वास नहीं। इस पर भी पंचायत एक्ट को एमेन्ड करने के लिये, क्योंकि उनके पास सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट की तलवार झूल रही है; वे यह चाहते हैं कि पंचायतों के क्षेत्र को बदलें। जो जनता गलती कर चुकी है, चुनाव हो चुके हैं उसमें ऐसे सरपचों को खड़ा किया है जिनके खिलाफ जनता लगातार तीन साल से चिल्ला रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। मै एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि झोटवाड़ा में हीरापुरा गांव है। वहां के सरपंच ने ६० हजार रुपयों का गबन किया। मैं पंचायत मन्त्री को चुनौती देता हूँ कि ये पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद से चला है। मैं डरता नहीं हूँ सही बात कहने से। वहां के सरपंच के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती। वे ऊंचे से ऊंचे अफसरों को पैसा देते हैं और........

एक माननीय सदस्य : ऊंचे से ऊंचे अफसर हैं, मन्त्री तो नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : ऊंचे से ऊंचे अफसरों में मन्त्री होते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे आरोप न लगावें। आप कह सकते हैं कि यह देर हो रही है।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, ३ वर्ष हो गये हैं। उसको सस्पेन्ड नहीं किया।

(श्री मानसिंह महार)

तीन वर्ष हो गये । इसमें पार्टी बाजी के नेताओं द्वारा सिफारिश की जाती है । हीरापुरा जयपुर के नजदीक ही है । यहां पर हमारों रूपयों की जमीनें दे दी । यह १० मील के एरिया में है । यह भोटवाड़ा में है और जयपुर से नजदीक है । जैसे पिछले समय में जनसंघ के अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आपके कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी जमीन हड़प ली । इसी तरह से जितने बड़े बडे नेता हैं उनकी यह बात सदन के समक्ष रखी है । यह एरिया मेरी कान्सटीटयुएन्सी में आता है और जब मैं वहा पर आता हूँ तो मुझे लोग मजबूर करते हैं और कहते है कि आपके इलाके में डाके पड़ते है और आप सो रहे है । जब हम कहते है, आपके अफसरों को. रामसिंह और समेला साहब कान में रुई डाले रहते है और कोई सुनवाई नहीं करते । ऐसे सरपंच जिन्होंने गबन किया, डाके डाले उनके खिलाफ तो कार्यवाही करिये ।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे मालूम है आप कहेंगे कि मुझसे मिल लीजिये और मैं मिल लूंगा, पर नतीजा निल होगा, क्योंकि मुख्य मन्त्री जी बात करते हैं तो बड़े प्रेम से हंस कर करते हैं पर काम करते हैं तो दिल में सांप बिच्छू बैठाये रखते हैं । इसलिये मैंने पंचायतों की स्पेशल मिसाल दी है और मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी खुद इसको देखें । अभी तो सदन डेढ़ महीने चलेगा, इसमें कार्य करेंगे तो समझेंगे कि कार्य किया, पर नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप भी दूसरों की तरह कुछ कार्य नहीं करते । आपकी बहुत नजदीकी महिला है, वह हीरापुर पंचायत में काम करती है, आप नाराज मत होइये, आप कहेंगे तो नाम बता दूंगा ; पर आप नहीं कहेंगे तो नाम नहीं बताउंगा; यह तो पंचायतों की बात हुई ।

इस अभिभाषण में देखें, ५२ से कीमतें बढ़ी हैं, ४० परसेंट बढ़ी हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : मैं इस सरपंच के बारे में यह कह दूं कि इसके बारे में कोई केस बन कर आया हो और उसे सस्पेन्ड नहीं किया हो तो आप कह सकते हैं ।

श्री मानसिंह महार : इस सम्बन्ध में मै इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी भ्रम में हैं, इस प्रकार की शिकायत किये ढाई साल का अर्सा हो चुका ; जो आपके पी. ए. या प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके उनके पास यह शिकायत की गई, उन्होंने डेढ़ साल तक इन कागजात को अपनी मेज में दबाये रखा, फिर ट्रांस्फर हुआ तो उन्हें यों ही सम्भला दिया । इस प्रकार आपके प्राइवेट सेक्रेटरी गुप्ताजी के कारनामें हैं । मैं आपसे यही कहलवाना चाहता था । आपने इन्टरप्ट किया इसीलिये यह कहा, और कुछ इन्टरप्ट कीजिये तो और कुछ बताऊं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और कहना चाहते है तो कहें, चिन्ता नहीं ।

श्री मानसिंह महार : यह तो हम जानते है । करेंगें तो वही, कितने ही आमबड्समेन नियुक्त हों, चोरी, अन्यायी तो होगी राजस्थान में, और वही आप कर रहे है ।

(श्री मानसिंह महार)

तो मैं कह रहा था कि कीमतों में ४० परसेंट इनक्रीज हुई है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : ३६ परसेंट के फीगर्स दिये हैं और आप ४० परसेंट बता रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : ३६ पोइन्ट टू इन्क्रीज अभिभाषण में बताई है, इतना ही नहीं; अब तो इससे आगे हो गया है।

गवर्नमेंट एन्टरप्राइजेज़ में काम करने वाले मजदूरों के ५ रुपये आपने बढ़ा दिये पर हमारे मन्त्रियों के दरवाजों पर जो गरीब चपरासी खड़े रहते हैं, उनका आपने कहीं नहीं सोचा, वे मजदूर तो हड़ताल कर सकते हैं, आपका काम ठप्प कर सकते हैं। तो जो आपको लाठी लेकर डराते हैं उनका तो हो जाता है, पर एक एल. डी. सी. सेक्रेटेरियेट का या कलेक्टरेट का है, एक चपरासी है, उनको आप कुछ नहीं देते; आखिर आप उनको भी तो देते। पुलिस का सिपाही आज कितना अन्डरपेड है, उसको आप नहीं दे सकते।

श्री केदारनाथ : बजट में दे रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : यह तो फरवरी से लागू हो जाना चाहिये। आपने यह नहीं करके गलती की है। आप आज ही एलान कीजिये या अपने जवाब के वक्त एलान कीजिये कि ५) रुपये का एडहोक रिलीफ सबको दी जाती है। बड़ों का मैं नहीं कहता। जो बड़े हैं: जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको मत दीजिये, उनके तो कमी कीजिये तनख्वाह में। चीफ सेक्रेटरी हैं उनको आप ३०००) रु. दे रहे हैं, वह धन का दुरुपयोग नहीं तो क्या सदुपयोग है? आपके अधिक बच्चे होने के नाते आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लीजिये, पर चीफ सेक्रेटरी के कम कीजिये।

अब मुझे एक शब्द और कहना है। इस अभिभाषण में हमें एक बात कही गई कि शक्कर की हालत सुधरेगी। गवर्नर महोदय ने फरमाया कि शुगर की हालत सुधरेगी। आपने कन्ट्रोल करके शक्कर और गुड़ की हालत को गड्ढे में डाल दिया और अब आप कहते हैं कि हालत सुधरेगी; तो आप जवाब में बताएं कि आप ऐसी कौनसी जादू की लकड़ी फेरेंगे कि शक्कर की हालत सुधर जाएगी। आपने कहा कि हालत सुधरेगी; इससे हमें डर लग गया कि कहीं छः-सात रुपया सेर नहीं हो जाय।

मैं एक बात और कहूंगा, एक बस दुर्घटना-ग्रस्त होती है, १५ आदमी जल कर मर जाते हैं। उसमें ५५ आदमियों की सीट्स थीं। ५५ के स्थान पर ८५ आदमी उसमें बैठा रखे थे, ड्राइवर की गलती थी, फिटनेस देने वालों की गलती थी, आपके डिपार्टमेंट की गलती थी, ५१ के मोडल की बस इस प्रकार को कार्यवाही करती है। रेल्वे पुल से गुजरते वक्त रेल गिर गई थी तो श्री लालबहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था, अब तो आपका किनारा है, यह नाम तो आप कमा लीजिये। ताकि माथुर साहब या झालावाड़ नरेश के पास यह विभाग जाय तो उदयपुर में नेशनेलाइजेशन की बात हमारे सामने आये। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूँ, आप सिद्धान्त की बातें करते हैं, आप अब भी खड़े होने की बात सोचते हैं। खड़े होकर क्या कहेंगे, १८ तारीख को यह काण्ड हुआ। क्यों नहीं आप मौके पर

(श्री मानसिंह मझार)

गये ? आप जनता के नुमायन्दे कहे जाते हैं आपको शर्म आनी चाहिये। १४ आदमी जान से मर गये तो भी आप मौके पर नहीं गये, फिर खड़े होकर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, आप क्यों नहीं गये ? अभी चुनाव होते तो आप चले जाते. दौड़े दौड़े आपके पहलवान भी साथ जाते। पर यहां १४ आदमी मर गये और आप मौके पर नहीं गये; यह शर्म की बात है जो डेमोक्रेसी को गड्ढे में डालती है। मैं आपके इस प्रकार के रवैये का घोर विरोध करूंगा।

अब मैं हमारे नेता ने जो एक बात कही है उसका विरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि महुआ की हार के बाद उन्हें चूल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। इन महारथियों के लिये चूल्लू भर पानी से क्या होगा. इन्हें तो वहां की बाण गंगा में ही रह जाना चाहिए था।

(६. ३६ म. पू.)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में इस सदन में एक दिन चर्चा हो चुकी है। इस अभिभाषण को शुरु से अन्त तक यदि गहराई से देखा जाय तो इससे यह स्पष्ट होगा कि अब तक किसी भी राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार का एक चार्टर ऑफ फेल्योर्स इस रूप में आज से पहले नहीं रखा होगा। मैं यह समझता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति प्रकट करने के लिए राज्यपाल महोदय को मजबूर होना पड़ा है। इस अभिभाषण में अकाल, मंहगाई, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अयोग्यता और उसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान के हमारे सम्बन्ध ; इन सब की छाया, झलक इस भाषण में हमको मिलती है। हम इस मसले पर यदि थोड़ा भी विचार करें कि आखिर ये सब परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, इन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेवार है. इसकी जिम्मेदारी को अब तक क्यों नहीं महसूस किया गया ? तो अपने आप से यह चीज प्रकट होगी कि इन सबका कारण सरकार की अदूरदर्शिता है। यदि सरकार ने समय रहते इन मसलों पर विचार किया होता तो आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक निराशा की झलक हमको देखने को नहीं मिलती।

आज राजस्थान में अनाज के लिए लोग त्राहि-त्राहि करते है, लोग मंहगाई से परेशान हों, यह कुछ थोड़ी देर के लिए बात समझ में आ सकती है; लेकिन देश को आजाद हुए १६ वर्ष हो चुके और इस १६ वर्ष की अवधि में, अध्यक्ष महोदय, हमने करोड़ों रुपये खर्च किये, जनता पर करोड़ों रुपयों के टैक्स लगाये और इन सबके बावजूद आज हमारी सरकार को यह कहने में संकोच नहीं होता कि हम राजस्थान की जनता को पीने का पानी भी सुगमता से दे सकें। मैं कमी की बात को छोड़ सकता हूँ, मैं रोजगार की बात को छोड सकता हूँ, मैं मकान की बात को छोड़ सकता हूं, लोगों के पास अच्छे कपड़े हों इस बात को भी मैं छोड़ सकता हूं; लेकिन यह डेमोक्रेसी के लिए एक प्रकार कर्स है जिसको राजस्थान की इस सरकार ने सिद्ध किया है कि १६ वर्ष तक करोड़ो रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे सके। स्वप्न तो इस सरकार ने ऐसे दिखाये थे कि हम आजादी के बाद घी-दूध की नदियां बहा देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, घी-दूध की नदियां बहाना तो दूर रहा, लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। सरकार उनके पीने के लिए पानी भी मुहैया नहीं करा सकी और रहा सहा

(श्री भैरोंसिंह)

कुओं का पानी भी सूख गया। आप किस बात के लिए राज्य करना चाहते हैं ? इस बात के लिए पानी जो आसानी से मुहैया हो सकता था वह भी न हो ? मैं समझता हूं कि यह आपका दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

अकाल की हम बात करते हैं। सरकार के द्वारा जो प्रबन्ध किया गया है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। सरकार कहती है कि हमने इतना प्रबन्ध कर दिया। यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें यह पता चलेगा कि राजस्थान के अन्दर जब से कांग्रेस गवर्नमेन्ट बनी है एक साल ऐसा बीता होगा कि जब कि राजस्थान के अन्दर अकाल न रहा हो, राजस्थान अकाल से ग्रसित न रहा हो। बाकी सालों में किसी न किसी भाग में अकाल रहा ही है। कभी सूक्ष्म रूप में रहा। हजारों की संख्या में लोगों को इससे ग्रसित रहना पड़ा। कुछ अधिक गावों में रहा, कुछ कम गांवों में रहा। गतवर्ष भी अकाल पड़ा है। इससे पहले भी अकाल कम गांवों में नहीं था। इस वर्ष भयकर अकाल पड़ा है, काफी भयंकर। इसका मुकाबला हम किसप्रकार करसकते हैं, इसके सम्बन्ध में सरकार ने अपने विचार प्रकट किये हैं। यह भी बताया कि कुछ राहत के कार्य उन्होंने चालू किये हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार से एक जानकारी करना चाहूंगा। आज राजस्थान में एक समस्या पैदा हुई है फोडर की एक समस्या पैदा हुई है फूड की एक समस्या पैदा हुई है ड्रिंकिंग वाटर की और एक समस्या है रिलीफ वर्क्स की। ये समस्यायें एक साथ एक्युम्युलेटेड फार्म में अकाल के रूप में हमारे सामने आयी हैं। राजस्थान सरकार ने सन् १६५२ से ५७ तक राजस्थान में जल बोर्ड बना कर पीने के पानी की समस्या के लिए कदम उठायें, जल बोर्ड के द्वारा इसकी व्यवस्था की। राजस्थान सरकार ने कुए खुदवाये। इससे जो पानी की राहत मिली उसको अपर्याप्त समझ कर राजस्थान सरकार ने हरिश्चन्द्र माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई। उस माथुर कमेटी ने सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। राजस्थान में अब अकाल पड़ता है तो सरकार के सामने तब जाकर पानी की समस्या सामने आती है। अकाल पड़ता है तो कुए खुदवाने की बात सोचती है। जब लोग पीने के पानी के लिए मोहताज होते हैं तो रिलीफ वर्क्स चलाने के लिए सोचती है। हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की रिपोर्ट आयी। आज तक क्या किया ? माथुर कमेटी के सजेशन्स स्वीकार करने के बाद ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करना था उसके लिए क्या किया ? कुछ नहीं। मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में केबिनेट मीटिंग हुई ४ अगस्त को यह डिसिज़न लिया कि राजस्थान में जितने ट्यूब वेल्स हैं उनको गवर्नमेन्ट द्वारा जल्दी से जल्दी ओपरेशन में लाया जाय। ४ अगस्त १६६३ कोसरकार द्वारा यह डिसिज़न लियाजाता है। मैंपिछली तारीख को बाडमेर गया। बोडिया, निम्बोली या जामली ऐसे कुछ गांव हैं। वहां ट्यूब वैल्स है। हजारों रूपयों के मकान और टैंक्स बने हुए हैं। लेकिन हालत यह है कि आस-पास के गांवों के लोग पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ट्यूब वैल वहां हैं। लेकिन फिर भी आज तक वह ट्यूब वैल ओपरेशन में नहीं आया। लोगों को चार-चार, छः-छः मील दूर पानी के लिए जाना पड़ता है। उनको इसके लिए मजबूर किया जाता है।

(श्री भैरोंसिंह)

(विराम)

मैं गांवों में गया। क्या चीज वहां किस भाव में बिकती है, वह तो बाद में अर्ज करूंगा। एक पानी का घड़ा तीन आने में मिलता है। एक पानी का घड़ा, अध्यक्ष महोदय, तीन आने में मिलता है। तीन आने में एक पानी का घड़ा, यह तो समझ में आ सकता है। अपने पीने के लिए खरीद ले ? लेकिन मवेशियों के लिए पीने का पानी किस प्रकार खरीदेगा ? गांव गांव में पानी की बड़ी समस्या है। चारों तरफ बड़ा भयंकर दृश्य है। कोई कुआ है गांव में और उसमें घिनौना पानी है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, जैसे चाय के लिए निमन्त्रण हो। चाय के एक प्याले की तरह से लोग पीकर चले जाते हैं। पूछा तो कहा गया कि एक साथ पीयें तो मर जायं। वहां पर पानी के लिए ट्यूब वेल्स की व्यवस्था करना जरूरी है। मैं भारत सरकार को बधाई दूंगा कि वहां पर २५० अतिरिक्त ट्यूब वेल्स लगाने का प्रबन्ध किया है। यदि राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ढिलाई दिखायी तो राजस्थान के लिए उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा।

एक तरफ पानी की ऐसी स्थिति है तो दूसरी तरफ चारे की भी ऐसी स्थिति है। राजस्थान सरकार ने अपने आंकड़ों से यह बताया कि राजस्थान अकाल ग्रस्त होने के कारण लगभग ७२ हजार व्यक्ति इस अकाल से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान सरकार के अब तक प्रकाशित आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि राजस्थान सरकार दस लाख मन घास प्रोक्योर करना चाहती है और यह भी स्वीकार किया कि १६ जिलों में राजस्थान में घास की जबर-दस्त कमी है। इस बात को भी सरकार ने स्वीकार किया कि बाड़मेर और जोधपुर जिलों के कई गांव ऐसे हैं जहां बरसात की एक बूंद भी नहीं देखी है इस साल। राजस्थान सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि कई गांवों में एक इंच वर्षा हुई है तो कहीं ३ इंच ही वर्षा हुई। कई गांवों में औसत से बहुतही कम हुई है। ऐसे भी कई गांव हैं जहां बिलकुल ही नहीं हुई है। फिर भी सरकार कहती है कि ७१ लाख पशु ही प्रभावित हुए। मैं सरकार के आंकड़ों से ही बताता हूँ। सरकार कहती है कि ४६ हजार पशु माइग्रेट हुए। उसके बाद ७० लाख पशु बचते हैं। दस लाख मन घास सरकार प्रोक्योर कर रही है। एक जानवर के लिए २॥ सेर घास ! क्या उसके जिन्दा रहने के लिए २॥ सेर ही आवश्यक है ? ७० लाख पशुओं के लिए २॥ दिन के घास का सरकार ने इन्तजाम किया है। अकाल पड़ा है और सरकार को एक प्लान्ड वे में इतना घास इकट्ठा करना चाहिए कि वह ७० लाख कैटल के पूरा हो। लेकिन सरकार केवल इन्तजाम कर रही है ७० लाख कैटल के लिए २॥ दिन चले उतना घास। इसका मतलब हुआ कि आप इस समस्या को प्रोलोंग करें। फोडर डिपोज आपने खोले हैं, १८८ खोलने का विचार है। अबतक आपने ७५ खोले हैं, बाकी के खुलेंगे। १८८ फोडर डिपोज खुल रहे हैं। किस हालत में खोले हैं ? ३६६३ गांवों में अकाल है और फोडर डिपोज आप खोल रहे हैं १८८। क्या सर्कल होगा ? बाडमेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में डेन्सिटी आॅफ पाॅपुलेशन कम है। एक से दूसरे गांव के बीच में फासला अधिक है। फोडर की जरूरियात किस प्रकार से पूरी करेंगे ? ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की कोई योजना तो नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

है। इस स्थिति में जरूर सरकार चली गई है कि ७० लाख पशुओं को बचा सकेंगे। यह सरकार यह महसूस करती है कि बचा सकेंगे, लेकिन बच नहीं सकेंगे। राजस्थान का पशुधन और राजस्थान का मिनरल राजस्थान के अर्थ तन्त्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज दुर्भाग्य से पशुधन खत्म होता जा रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, और खाने के लिए उनके लिए घास नहीं है। हम अच्छी अच्छी गायों को, भूखे पशुओं को घूमते हुए देखते हैं। हम उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते है तो अपने आप में जलन पैदा होती है कि हम किसके लिए जिन्दा हैं? हमने जिस गाय का दूध पीया, बछड़ों को बेचकर मकान बनाया, जिनके द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत बनाया, आज उन्हीं गायों को, उन्हीं बछड़ों को, जो भूख और प्यास से तड़फड़ा रहे हैं, क्या हम उनको भूख और प्यास से नहीं बचा सकते, उनके लिए चारा नहीं, उनके पीने के लिए पानी नहीं। मैं सरकार से कहूंगा कि यह बड़ी भारी समस्या है। मोटी समस्या है। मैं इस बात को मानता हूं कि राजस्थान सरकार पर बड़ी विपत्ति आयी है। मैं मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल की समस्या को लेकर सदन का विश्वास प्राप्त करके भारत सरकार से निवेदन करें कि राजस्थान में जो एमर्जेन्सी क्रियेट हुई है, भारत सरकार से जो सहायता मिलती है वह राजस्थान को ज्यादा संख्या में मिले और इसलिए मिले कि राजस्थान में यह अकाल की समस्या परमानेन्ट है।

राजस्थान आज हिन्दुस्तान के लिये एक प्रकार से फूड ग्रेनरी बनता जा रहा है, पशुओं की दृष्टि से भी पशु सप्लाई करता है। अनाज और पशुओं कोसप्लाई करनेवाली यह स्टेट है। आज अकाल के कारण आज हमारे यहां इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की तो है ही लेकिन साथ में इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर भी डाली जानी चाहिये। आज की एक्यूट परिस्थिति के अन्दर आज जब कि राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन खराब है तो वैसी हालत में भारत सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये, वे इस अकाल में राहत दिलाने के काम में जो भी सहयोग दें उनसे सहयोग प्राप्त किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे फोरेस्ट मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने जंगलों के मामले में बड़ी रियायतें दी है, इस बारे में भी केबीनेट मीटिंग में डिसीज़न लिया गया था कि फौरेस्ट लॉज़ हैं उनको लिबरली ट्रीट किया है। वैसे भाषा तो यह बड़ी सुन्दर लगती है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का क्या परिणाम निकला है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ब्यावर तहसील के अन्दर कुछ गांवों में मैं गया, जहां फोरेस्ट ज्यादा है। मैं वहां से रसीदें भी साथ लाया हुं। अगर फोरेस्ट मिनिस्टर साहब उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं एक एक जानवर के ऊपर ३१ रुपया तक जुर्माना किया गया है। चराई के लिये लोगों को टिकट नहीं दिये जाते, बिना टिकट के पशु चरा लेते हैं और फोरेस्ट गार्ड की नजर पड़ जाय तो जुर्माना कर देते हैं। मैं इस संबन्ध में कहना चाहता हूं कि आज यह फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट है वह राजस्थान के लिये दूसरा अकाल सिद्ध हो रहा है। इस डिपार्टमेन्ट से जो लोगों

(श्री भैरोंसिंह)

को परेशानी है उससे मुक्ति दिलाई जाय। यह मैं नहीं कहता कि एक मिनिस्टर से लेकर दूसरे मिनिस्टर को दे दिया जाय। लेकिन जो फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं निश्चित रूप से हमें उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

फोडर के लिये सबसिडी देते हैं, तकावी देते हैं, लेकिन कभी इस बात का भी विचार किया कि जिस क्षेत्र में अकाल पड़ा है उस क्षेत्र के पर-केपिटा इनकम कितनी हैं इसका ध्यान नहीं रखा गया है। आप कहते हैं कि रिलीफ वर्क्स शुरू कर दिये हैं। उसमें एक रुपया पुरुष (मजदूर) को, १२ आने औरत को और बच्चे के लिये १० आना मजदूरी का तय किया है। यह आपने फेमीन कोड के अन्दर व्यवस्था की है। एक व्यक्ति को १८ छटांक आटे का निर्धारण किया हुआ है, उनके लिये चीप ग्रेन शोप्स खोल रखी हैं, लेकिन आपने कितनी ग्रेनशॉप्स किस - किस जगह खोल रखी हैं ? ,कहां कहां चीप ग्रेन मिलता है ? इसकी सब जगह व्यवस्था नहीं है। १८ छटांक आटे में वह अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता। १२ आने में औरत नहीं कर सकती, बच्चे दस आने में अपना पेट नहीं भर सकते। इसके अलावा जो छोटे-छोटे बच्चे हैं; बुढ़े हैं, अन्धे हैं, लूले लगड़े हैं उन सब के लिये हमारे रिलीफ कोड के अन्दर आप कहेंगे कि हमने कलेक्टर्स को रकम अलॉट कर रखी है, लेकिन वह रकम है? कितनी ? केवल पचास हजार रुपया। कभी आपने इस बात की जांच की है कि क्या इस पचास हजार में इसकी पूर्ति हो सकती है, राजस्थान के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं अपाहिज हैं, उनको इस पचास हजार में कितना रिलीफ मिल सकता है ? उन लोगों को जो काम नहीं कर सकते उनके लिये बड़ों को ५० न. पै. और छोटों के लिये ३५ न० पै० देने की व्यवस्था की है; उसमें से आप कितना खर्च कर पाये हैं ?

मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाकर आया हूं। वहां कलेक्टर्स द्वारा अभी तक इस प्रकार की लिस्ट तक नहीं बनायी गई है कि कितने लोग बेकार हैं, कितनों को काम देना बाकी है। हमारी सरकार कहती है, इस अकाल से २६ लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। सरकार आंकड़ों के आधार पर कहती है कि हमारे यहां आठ लाख व्यक्तियों को रोजगार चाहिये। कुछ दिनों के बाद उन आंकड़ों को बदल कर आप कहते हैं कि पचास हजार व्यक्तियों को रोजगार देना है, एक महीने के लिये देना है जिसमें डेढ़ करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पहले आप कहते थे कि २६ लाख जनता इस अकाल से प्रभावित है उसमें ८ लाख लोगो को रोजगार देना है।इस निर्णय पहुंचते हैं उसके बाद ५ हजार के निर्णय पर आ गये। अगर माननीय मंत्री महोदय गांवों में जाकर देखें, कहां किस प्रकार का रिलीफ वर्क चल रहा है. मैंने अपनी आंखों से देखा है एक गांव में दूसरे गांव के आदमी आकर काम करने लगे तो वहां का पटवारी कहता है, इस काम में इस गांव के लोग ही काम करेंगे। मैंने पूछा इनको यहां काम देने में दिक्कत क्या है। तो वे कहते हैं कि हमारे पास में फंड इतना ही है, हमारे पास हुक्म इतना ही है कि इतना ही रुपया यहां खर्च किया जाय. बाकी के और रिलीफ वर्क्स खुलेंगे तो काम मिल जायगा। रेगुलर रोजगार वे चाहते हैं तो उनको २) रु. रोजाना मिलता है लेकिन रिलीफकोड के अनुसार हम उनको एक रुपया देते है वह भी सारे लोगों को दे नहीं पाते हैं। आज

(श्री भैरोंसिंह)

हमारे मन्त्री महोदय उद्‌घाटन और भाषण के लिये तो हर जगह पहुंच जाते हैं लेकिन अकाल ग्रस्त एरिया में कोई नहीं घूमता। अकाल ग्रस्त जितनी भी तहसीलें हैं उनको आप एक एक मन्त्री बांट लें; जिस तरह से महुआ में जाकर किया था, महुआ में जाकर डेरा डाला था उसी प्रकार यदि इन अकाल ग्रस्त एरिया के अन्दर डेरा डाल दें और वहां पर देखें कि कितने मवेशी मर रहे हैं बिना चारे और पानी के अभाव में, पीने के पानी की कितनी परेशानी हो रही है, कितने लोग बिना रोजगार के हैं, यह सब वे देखें। एक एक तहसील का इन्चार्ज बन कर देखिये और कम्पीटीटिव स्पिरिट से काम करिये तो आपको पता चले।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन): हम एक एक इलाके में जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप ओसिया में ही जाते होंगे। यह ठीक है, ओसियां में अकाल नहीं है, लेकिन रिलीफ वर्क्स बहुत चल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वहां के ६५ गांव फेमिन अफेक्टेड है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी इसके लिये तारीफ करता हूँ। आप वहां के प्रतिनिधि हैं, खूब रुपया खर्च कर रहे हैं। कभी आप शेरगढ़ और शिव गये हैं, वहां जाकर देखा है कि कितना काम चल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर भी मैं गया हूँ, पी० डब्लू० डी० के जितने वर्क्स चल रहे हैं, उनको देखा है एक एक लेबर से मिला हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो आप यह बता दीजिये कि ओसिया के मुकाबले शेरगढ़ और शिव में ज्यादा स्थिति खराब है। उस हालत में आप कहां पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं; ओसियां में या शेरगढ़ में ?

श्री परसराम मदेरणा : पैसा कहां कितना खर्च हो रहा है, यह तो मैं नहीं कहता। लेकिन शेरगढ़ में पहले से काम चल रहा है, जब कि ओसियां में अभी अभी काम शुरु हुआ है। फलोदी और शेरगढ़ में तीन-चार वर्क्स चल रहे हैं। लेबरर्स की संख्या १२००,१३०० के करीब है जो एक एक वर्क्स पर काम कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : और सब चुप क्यों बैठे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ओसिया के अन्दर काम हाल ही में शुरू हुआ है। शेरगढ़ जिस तारीख को मैं गया था उस समय केवल दो जगह काम चालू था; दो जगहों के अलावा कोई काम नहीं है। आप उस दिन का नक्शा देख लें तो आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल सही है। मुझे बताया गया और मैंने अधिकृत रूप से जानकारी करने की कोशिश की कि दो जगह काम चालू है। शेरगढ़ के सारे लेबरर्स को इसका फायदा मिल सके, यह बात नहीं है।

हमारी सरकार ने रिलिफ वर्क्स चालू किये हैं, उसमें सड़कों का काम ज्यादा लिया गया है।

(श्री भैरोंसिंह)

(१०.०० म. पू.)

यह हो सकता है कि सड़कों पर जितना खर्चा होगा, योजना में के खर्चे से होगा। बाकी रेवेन्यू विभाग में से होगा वह राजस्थान सरकार की योजना के खर्चे के बाहर होगा। इसलिये शायद सरकार कोशिश कर रही है कि फेमीन में जितना खर्चा हो वह प्लान के अन्तर्गत हो; हालांकि इसमें मैं आपत्ति नहीं समझता। पर आपत्ति तो इसलिये समझता हूं कि रेवेन्यू वर्ग ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है, तो उसे अधिक खर्च करना चाहिये। आज कई स्थानों पर देखा है मैंने कि गैर जरूरी चीजें हो रही हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, नाराज होंगे अगर मैं यह कहूं तो कि उनके क्षेत्र में एक पहाड़ पर सड़क बनाई जा रही है। उस सड़क का क्या उपयोग होगा? एक बरसात में वह समाप्त हो जावेगी। अगर खर्च ही करना था तो ऐसा करते कि जो स्थायी रहता। नीचे इतने तालाब हैं या तालाब बनाने की गुंजाइश है कि उनको अगर करवाया जावे तो बीस सड़कों का जितना काम वहां पूरा करवाया जा सकता है। आज अकाल पड़ा है। उसका सामना जरूरी है करना, पर साथ साथ यह भी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी कि जो पैसा खर्च करें वह परमानेन्टली उपयोग की चीजों में लगे।

इरिगेशन के नाम से, ड्रिंकिंग वाटर के नाम से पंचभद्रा में सांधिगाली गांव में रिलीफ वर्क्स में सड़कें बनाईं। मैं वहां गया लोगों से पूछा। वे सड़कें गई कहां? अध्यक्ष महोदय, महाराज उम्मेदसिंह जी ने अकाल के नाम पर सड़कें बनवाई वे वैसी ही हैं आज भी, पर राजस्थान सरकार सड़कें बनवाती हैं; जनवरी में बनाती है और फरवरी में वह गायब हो जाती है।

(विराम)

मेरा यह कहने का यह आशय नहीं कि आप रिलीफ वर्क्स में सड़कें नहीं बनावें या रिलीफ वर्क नहीं चलावें, पर यह कहूँगा कि नालियां, जोड़ियां खटीन असल में जितने काम इस मौके पर करवा सकें सबसे ज्यादा अच्छा है। ट्यूब वेल जितना ज्यादा बनवा सकें अच्छा होगा।

पर बदकिस्मती यह है कि प्लान और नोन प्लान पी. डब्ल्यू. डी. और रेवेन्यू के झमेले में इतना ज्यादा फंस गये हैं कि रिलीफ वर्क ज्यादा नहीं कर सके हैं। इसलिये ये सारी दिक्कतें हैं।

कोर्ट्स में काश्तकार जाते हैं, हाकिम मिलते नहीं। राजस्थान सरकार तारीफ करती है अपने कलेक्टरों की। उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ३१ अक्टूबर तक भेज दी, ३० नवम्बर तक पहली रिपोर्ट दे दी। ऐसी हालत में मैं पूछना चाहूंगा कि ३० नवम्बर तक जब रिपोर्ट आ गई तो गजट में नोटिफिकेशन दिसम्बर और जनवरी में क्यों करवाया? दिसम्बर में भी आखिर में करवाते हैं। सस्पेन्शन के लिये स्थिति पैदा करते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं और आज के दिन तक गजट नोटिफिकेशन निकलते हैं, कलेक्टर की तारीफ करते हैं तो फिर सेक्रेटेरियेट में देरी क्यों हुई? सारे नोटिफिकेशनों में सब में देरी हुई है, इसके कारण काश्तकार परेशान हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

लगान के लिये बढ़िया बात सरकार ने स्वीकार की है, मैं इसके लिये मुख्य मन्त्री जी को निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा। क्या बात स्वीकार की अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूँ। अब लगान कोअर्सिव मेथड से वसूल नहीं की जावेगी। मैं नहीं समझ पाया कि आज तक कोअर्सिव मैथड से कैसे लगान वसूल करते थे, किसने सरकार को अधिकार दिया था अब तक कि वह इस मैथड से लगान वसूल करे। जब लोग पहले कहते थे कि सरकार लगान वसूली में कोअर्सिव मैथड एडोप्ट करती है तो हमारे उपमन्त्रीजी कहते थे कि यह गलत बात है। आज आपका कागजों में लिखा हुआ उसका सुबूत है। आपने लिखा है कि अकाल ग्रस्त एरिया में कोअर्सिव मैथड नहीं एडोप्ट करेंगे लगान वसूली में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 'कोअर्सिव मैथड' लफ्जों, का अर्थ लगा रहे हैं जो सदस्य वह गलत है। कोअर्सिव का मतलब यह है कि पहले जो पी डी.आर. के तहत वसूल कर लिया करते थे वह नहीं करेंगे। यहां कोअर्सिव का मतलब मारपीट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मारपीट की बात मैंने नहीं कही। आपके दिमाग में मारपीट कैसे घुस गई ?

आप जरा सुनने की सब्र रक्खें। मैं आपके ही क्षेत्र की बात बताता हूं क्योंकि आप रिप्रेजेन्ट नहीं करते उन गरीबों को।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोअर्सिव मैथड क्या है। राजस्थान सरकार कहती है लगान वसूल नहीं किया जावे अकालग्रस्त इलाके में। पर मैं बताऊं, ऐसे इलाकों में न केवल खरीफ को, बल्कि आगे की रबी की फसल जिसे पाला खा गई, जो आप हम सब अच्छी तरह जानते हैं, उसका भी वसूल कर लिया लगान। सरकार कहती है ऐसे इलाकों का हम लगान-सस्पेन्शन कर रहे हैं। आपको अगर मेरे कहने पर भरोसा न आये तो उन किसानों से वसूल की गई रकम की रसीदें मेरे पास हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं स्पष्टीकरण के लिये कहना चाहता हूं कि जिसको अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है वहां रबी की फसल का लगान वसूल कर लिया गया, क्या आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): प्राय: सारे गंगानगर जिले में भी रबी का लगान वसूल हो गया है। आपके यहां से दिसम्बर में मालूम किया गया तो कहा गया कि गंगानगर जिले में तो लगान सस्पेन्ड हो जावेगा। १४ जनवरी को आपके यहां से आर्डर गया। जिसको कि ५ फरवरी तक कलेक्टर मानने से भी इन्कार करता रहा और सारा लगान वसूल कर लिया। इससे लगता है आपने कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिसी एडोप्ट की है कि काश्तकारों से तो कह दिया कि हम सस्पेन्ड कर रहे हैं और अन्दरुनी अपने कलक्टरो से कह रखा हो कि वसूली करोगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This is absolutely wrorg.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जो कागजों से आदेश दिये गये हैं वही इन्सट्रक्शन्स हैं। कोई दूसरे आदेश नहीं हैं। अगर इन आदेशों की किसी ने अवहेलना की है तो we will take suitable action on that.

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं, यह किसी पटवारी, तहसीलदार या कलेक्टर की गलती नहीं है। यह गलती आपकी है, आपकी सरकार की है, सेक्रेटेरियट की है। आपने एक नोट सरक्युलेट किया है। उस नोट को पढ़िये। उसमें आपने रेन्ट का रियलाइज़ेशन सस्पेन्ड किया है पर साथ साथ यह भी लिख दिया है कि रेंट चूंकि कम देना पड़ता है और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के काश्तकार रेन्ट देने को तैयार हैं इसलिये वसूली करें। यह आपने कैसे लिख दिया आपने आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट में न केवल खरीफ की बल्कि रबी की लगान भी वसूल करली।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जो डिक्लेअर्ड एरिया है उसमें सस्पेन्ड कर दिया है और साथ साथ कियः यह जा रहा है कि जो स्केयर्सिटी एरिया डिक्लेअर्ड हो गया है उनमें रिलीफ वर्क शुरू किये जावें और जो दूसरे एरिया हैं वहां भी रिलीफ वर्क्स शुरू कर दिये जावें जो डिक्लेअर्ड नहीं किये गये हैं उनमें भी।

श्री भैरोंसिंह : डिक्लेअर्ड एरिया नहीं है तो लगान सस्पेन्ड करने का सवाल नहीं है। आप वह नोट जरूर मंगवा कर पढ़ लीजिये।

मैं अभी बताऊंगा कि वह स्केयर्सिटी एरिया है। ब्यावर तहसील के कई गांव स्केयर्सिटी एरिया में शामिल किये गये हैं। जो शामिल नहीं किये गये वहां लगान सस्पेण्ड करने का सवाल नहीं पैदा होता, रिलीफ वर्क का सवाल नहीं है। तो डिक्लेअर्ड एरिया में आपने लगान वसूल किया है, यह बात मैं कहना चाहता हूं इसलिये निवेदन करूंगा कि मेरे पास रसीदें हैं, माननीय सभापति महोदय। यदि सरकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं उनको ये रसीदें दिखाने को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अभी तक समझ नहीं पाया। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष बजट के सबंध में एक रिव्यु दिया था। उसमें इकोनोमी सर्वे की बेसिस पर यह बताया गया था कि यहां का लैंड रेवेन्यू और राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, एक स्टेट को छोड़ कर वह भी इस साल बढ़ गई है। बाकी सब स्टेटों के मुकाबले लैंड रेवेन्यू ज्यादा है। लैंड रेवेन्यू पर भी सरचार्ज लागू किया वह अलग प्रश्न है।

अब लैंड रेवेन्यू को हम वसूल कर रहे हैं और अकाल पड़ता है कहीं तो स्थगित करते है। अब स्थगित का भी सवाल क्यों ? गांवों में पानी नही बरसा, फसलें सूख गईं, आप मन्जूर करते हैं। वहां कुछ पैदा नहीं हुआ, यह भी मंजूर करते है। झुंझुनूं जैसे इलाके में फसलें खेतों में खड़ी भी हो गई पर वहां भी ठंडी हवा से खतम हो गई; दो-तीन बार बीज बोया, पर वह भी समाप्त हो गया। लोगों के अनाज पैदा नहीं हुआ, चारा पैदा नहीं हुआ तो आप उस लगान को आगे क्यों स्थगित कर देते हे ? रेमिशन क्यों नहीं करते ?

(श्री भैरोंसिंह)

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस लगान को सस्पेन्ड न कर जिस क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त घोषित करें उसका लगान समाप्त किया जाये और काश्तकारों से किसी प्रकार का लगान वसूल नहीं किया जाये। काश्तकारों ने जमीन पर हल नहीं चलाये और उनसे लगान लें, किसी ने पानी के अभाव में बाजात नहीं की और लगान लेंगे, काश्तकारों को बीज की प्राप्ति करने के लिए मौका नहीं मिला और लगान वसूल करेंगे। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जो काश्तकारों के हितों की चिन्ता करने वाली सरकार है वह कम से कम इस बात की व्यवस्था करे कि लगान को सस्पेन्ड न कर उसमें रेमीशन दिया जाये और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फोरिन कन्ट्रीज़ में जिस प्रकार क्रोप्स का इन्श्योरेन्स करने की व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था यहां भी करें। अगर हमारे यहां इन्श्योरेन्स की व्यवस्था हो जायेगी तो भी हो सकता है कि लगान की वसूली भी हो जाये। लेकिन जब तक इन्श्योरेन्स की कोई व्यवस्था नहीं हो उस समय तक राजस्थान सरकार को केवल सस्पेन्शन से संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि रेमीशन करना चाहिए और इस अकाल के बारे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के समय में लगान का रेमीशन निहायत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि इस साल तो प्रकृति का प्रकोप है और अगली साल दो वर्षो का लगान वसूल करेंगे तो यह आपकी तरफ से किसानों के ऊपर प्रकोप आयेगा और किसान चिल्लायेगा कि पिछली साल तो वर्षा नहीं होने से वे त्राहि-त्राहि कर रहे थे और इस साल सरकार की अदूरदर्शिता के कारण त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपने दल की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के ऊपर आज एक आकस्मिक संकट है और इसका मुकाबिला करने के लिए राजस्थान सरकार जिस प्रकार का मेरे दल की ओर से सहयोग मांगेगी वह देने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी एक्यूट प्रोब्लम फाइनेन्स की है उसके कारण शायद सरकार नहीं करना चाहे, लेकिन राजस्थान के मंत्री जब चुनाव आते हैं तो कलकत्ता और बम्बई जाते हैं और लाखों रुपया इकटठा करते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में २८ लाख रुपया वे वहां से ले आये लेकिन आज इस संकट का सामना करने के लिए वे कलकत्ता जायें, बम्बई जायें और बाकी के मंत्रियों को भी वहां भेजें और वहां से पैसा इकट्ठा करके लायें। वे निकलें तो सही। इसके अन्दर हां, यह जरूर होगा कि अगले वर्ष जो रुपया कांग्रेस को उनसे मिलने वाला हैं उसमें कटौती होगी, लेकिन ऐसा राजस्थान के हित के लिए उनको बर्दाश्त करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सैनिकों का आया। मैं समझता हूं कि इस विधान सभा में सैनिकों के प्रश्न के बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। मैं भी नहीं चाहता था कि इस प्रकार की चर्चा में मैं पड़ूं। हमारे राजस्थान को श्री शैतानसिंह जैसे व्यक्ति के जन्म देने का गौरव प्राप्त है। राजस्थान के कई लोग चीन से मुकाबिला करते हुए मारे

(श्री भैंरोंसिंह)

गये, कई अपंग हो गये, कई लापता हो गये। हजारों लोगों ने फौज में भरती होकर भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने का बीड़ा उठाया। यह सब कुछ हमने किया। उन लोगों ने जो भारत माता की आनबान के लिए मरने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात की कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनको जिस प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए आश्वासन देना चाहिए वह दिया गया और खूब आश्वासन दिये गये कि वे जमीन लें, नौकरी लें, उनके मुकदमे जितने आते हैं वह सरकारी वकील लें, लड़कों के लिए पढ़ाने के लिए सहायता लें। राजस्थान सरकार ने डिफेन्स फण्ड्स ओन राजस्थान नाम का एक पेम्फलेट निकाला, एक पुस्तिका निकाली मैंने उसको देखा। अध्यक्ष महोदय, फौजियों के जमीन के अलॉटमेन्ट के लिए रूल्स बने। रूल्स सन् १९६२ में बनते हैं, जमीन रिजर्व की जाती है सन् १९६३ में। दो लाख बीघा जमीन रिजर्व की गयी और किसी बात का आश्वासन देने के बाद ६२ में जो मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि २ लाख एकड़ जमीन हम फौजियों के लिए रिजर्व करते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि २ लाख एकड़ जमीन में से कितनी जमीन आपने सैनिकों को अलॉट कर दी? बल्कि मैं समझता हूं कि उनके अलॉटमेन्ट में आपने रोड़े ही अटकाये हैं.....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं समझता हूं कि जो जमीन २ लाख एकड़ रिजर्व की गयी है वह इस बात के लिए रिजर्व की गयी है कि जो सैनिक मारे जायें, लड़ते हुए मर जायें या अपंग हो जायें और उनमें से किसी परिवार की मांग आये तो उनको जमीन दी जाये और इस प्रकार के व्यक्तियों की जहां भी मांग आई है उसके लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये गये हैं और कई बार इसमें यह मुगालता होता है कि सर्विस पर्सोनल्स भी बहुत से एप्लाई करते हैं और उनको अलॉटमेन्ट करने से यह होता है कि जमीन अलॉट नहीं की गयी। तो यह जो जमीन रिजर्व की गई है यह या तो उन लोगों के लिए जो कि एक्टिव सर्विस में मारे जावें, डिसएबल्ड हो जायें या लापता हो जायें।

श्री भैरोंसिंह: यह ठीक है। जिन्होंने इस बात को सुना है, जिस समय इसकी घोषणा की गयी थी उस समय इस बातको कभी भीस्पष्ट रूप से कहा नहीं गया था कि जो इस समय ऑपरेशन में हैं, जो एक्टिव सर्विस में हैं उनको जमीन अलॉट की जायेगी। आपकी और पंजाब के मुख्य मन्त्री की घोषणा साथ साथ हुई है और पंजाब के मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि एक्टिव सर्विस में हैं उनको जमीनें अलॉट करेंगे। राजस्थान में जो इस घोषणा का पार्ट ऑपरेट होता है उसका इन्टरप्रिटेशन दूसरा लिया जाता है और पंजाब में दूसरा लिया जाय, तो मैं तो यह समझता हूं कि या तो उस समय जो आपने आश्वासन दिया उसमें भूल हुई.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं अध्यक्ष महोदय, इसको और स्पष्ट कर दूं कि जब तक वे सैनिक सर्विस करते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं और एक्स-सर्विसमैन बन जाते हैं उसके बाद फिर वे हकदार हो जाते हैं जमीन के लिए और उसके लिए उनको जमीन मिल सकती है। परन्तु कोई व्यक्ति सर्विस में है और उसको इमोल्युमेंट्स मिल रहे हैं उस स्टेज पर यह एडीशनल जमीन देने की बात खड़ी नहीं होती है। उसके बाद भी जो व्यक्ति जहां का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रहने वाला है उसी गांव के पास जमीन हो तो उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। यह फैसला लेटेस्ट किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जो लेटेस्ट फैसला है वह मैंने देख लिया और आपने रूल्स में जो अमेंडमेन्ट किये हैं वे भी देख लिये। लेकिन इसके कारण फौजियों में असंतोष बढ़ा है इसलिए कि उस समय जो कुछ आपने आश्वासन दिया था आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, यानी उस इच्छा को उस रूप में फौजियों में नहीं लाये। वे लोग यह सोचकर चलते हैं कि २ लाख एकड़ जमीन हमारे लिए रिजर्व की गयी है और वह जमीन उनको नहीं मिली। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके आश्वासन के अनुसार जैसा आपने परिवर्तन किया है, आपने २ लाख एकड़ भूमि रिजर्व की और उन लोगों के लिए की कि जो मारे जायें या डिसएबल्ड हों या लापता हों तो आपने कभी इस प्रकार की जांच की कि राजस्थान में कितने व्यक्ति ऐसे मारे गये, कितने डिसएबल्ड हो गए और कितने लापता हो गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितने मर जाते हैं उसकी रिपो आर्मी से कम्पलीट आती है और जो मिसिंग होते हैं उनकी रिपोर्ट भी आती है और जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड है उनके सेक्रेटरी को और सबको इन्सट्रक्शन्स हैं और कलेक्टर को इन्सट्रक्शन्स हैं कि जहां भी इस प्रकार की परिस्थिति आये उसको फौरन लाया जाये।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब यह है कि वह संख्या सीमित है —ज्यादा हों गे और सौ के लिए २ लाख एकड़ जमीन रिजर्व की जाये, यह प्रेक्टीकली सम्भव नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जिस समय इसका ऐलान किया था उस समय चीन के मोर्चे पर लड़ाई रुक जायेगी और आगे परिस्थिति क्या होगी, इसका मालूम नहीं था। सवाल यह था कि परिस्थिति ऐसी चलती रहने के कारण कितनी ऐसे व्यक्तियों की तादाद हो, जो नेफा और लद्दाख में लड़ रहे हैं उनके लिए कहा है। उनको यह कहा गया है कि जो नेफा और लद्दाख में लड़ रहे हैं उनके अपने पीछे के परिवारों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, उनके लिए इन्तजाम कर दिया जायेगा, यही उस समय कहा था और यही आज स्टेन्ड करता है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह जो कहते हैं कि लड़ाई चल रही थी उस समय कहा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि लड़ाई खत्म होने के बाद कहा है। जिस समय लड़ाई में लोगों के मरने का सवाल नहीं था उस समय कहा और जिस समय कहा उस समय आपकी यह मन्शा थी कि जो फौजी एक्टिव सर्विस में हैं उनके परिवारों के पास जमीन नहीं है तो उनको जमीन दी जायेगी और आज सरकार ने डेलीबरेटली अपने इन्टरप्रिटेशन का बहाना बनाकर उससे बेकआउट करने की कोशिश की है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इस चीज को कहना नहीं चाहता लेकिन मुश्किल यह हो गई कि मैं नेफा के उस क्षेत्र में गया। मुख्य मंत्री महोदय के भाषण को सुना तो मैंने भी कहा उन लोगों से कि लोगों को जमीन मिलेगी। वहां से मुख्य

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रीजी के पास चिट्ठियां आती हैं तो उनकी एक प्रतिलिपि मेरे पास भी आती है और वे कहते हैं कि उनको जमीन नहीं देते हैं लोग मुझ को गालियां देते हैं जमीनें देना तो मेरे पास है नहीं। डिफेन्स की तरफ से कोई ध्यान नहीं। हमें गालियां निकालीं तो किससे कहें। मैंने मन्त्री महोदय के भाषण जो इस सम्बन्ध में हुए थे उनके कटिंग काट काट कर मैंने फौजी अधिकारियों के पास भेजी कि मैंने कोई गलती नहीं की यहां पर जो मंत्री महोदय ने कहा था वे शायद उसको सही शब्दों में नहीं कह पाये या मैं उसका अर्थ नहीं निकाल सका।

श्री अध्यक्ष : सोल्जर्स की ऐसी स्थिति है कि राजस्थान केनाल का कोलोनाइजेशन होगा और उसके लिए जो सरकार अपनी नीति निर्धारित करेगी उसमें एक्स सोल्जर्स के लिए प्रोवीज़न होगा इसलिए दो लाख की पूर्ति हो जायगी।

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया: एक्स सोल्जर्स हैं उनके लिए अलग है। वह तो डिसएबल्ड के लिए है और एक्स-सोल्जर्स के लिए अलग किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था कि इस तरह की जो घोषणा हुई है वह उससे सम्बन्धित तरीके से हुई है। सरकार का आश्वासन था कि दो लाख के बारे में कि वह राजस्थान केनाल के बारे में पूरा किया जायगा, उसकी प्रशासनिक योजना नहीं बनी है। वह सारे राजस्थान केनाल के कोलोनाइजेशन से सम्बन्धित है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उससे सम्बन्धित वैसे है, लेकिन उससे सम्बन्धित होते हुए भी वहां पर अलाटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है? कौन कौन केटेगरीज़ आसकती है, तो मैंने निवेदन किया है कि डिज़ीज्ड़ और डिसएबल्ड हैं उनको वहां पर उन कन्डीशन्स पर बसाया जा सकता है। जो एक्स-सर्विसमैन हो जाये उनको किस प्रकार से मिल सकती है. उसके अलग रूल्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह कैसे हो सकता है कि १०० आदमियों के लिए दो लाख का रिजर्वेशन हो जाय? राजस्थान स्टेट में जहां दुनिया भरकी बातें करते हैं वहां २ लाख का रिजर्वेशन हो जाय, क्या यह सरकार की इच्छा है?

अब इस अलॉटमेंट के साथ-साथ सरकार ने एक सरक्यूलर निकाला और सारे हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंटस को एक सरक्यूलर भेजा कि साढ़े बारह पर्सेन्ट सर्विसेज़ का एक्स-सोल्जर्स के लिए रिजर्व किया जाय। क्या कभी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जांच की है कि इस सरक्यूलर का कोई डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है, कोई इस बात की कोशिश करता है कि जो सरक्यूलर इश्यू किया गया है उस सरक्यूलर के अनुसार उसके रिजर्वेशन के अनुसार लोगों को नौकरी मिले। वह नौकरी नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो आप आंकड़े बता दें कि कितने लोगों को साढ़े बारह पर्सेन्ट के बाद में नौकरी मिली है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बदकिस्मती तो यह है कि राजस्थान के सिपाही फौज के, राजस्थान के अफसर फौज के, किसी प्रान्त से कम नहीं होंगे। १९६१ में हमारी सरकार ने सेन्सस कराया फौजियों का राजस्थान में, और मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं जाना चाहता,

(श्री भैरोंसिंह)

केवल एक बात माननीय परसरामजी यहां बैठ हुए हैं इसलिए, कहना चाहूंगा कि जोधपुर जिले के फौजियों की संख्या इतनी बताई गई है, केवल ३२६०। वे जानते हैं कि अकेली उनकी ओसियां तहसील में ही ३२६० होंगे। ओसियां तहसील फौजियों का घर हैं, उनका एक प्रकार से स्टॉक है। यह जो आपकी सेन्सस हैं यह बिल्कुल गलत सेन्सस हुई है। सारे फीगर्स का टोटल नहीं लूंगा, लेकिन सीकर डिस्ट्रिक्ट के लिए कहता हूं और सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कहता हूं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सही आंकड़े नहीं हैं। सेन्सस गलत हो गई और गलत सेन्सस के आधार पर आज आप काम करने की कोशिश करेंगे तो सारे परिणाम गलत निकलेंगे।

सोल्जर्स बोर्ड की स्थापना आपने बरसों से कर रखी है। दैवसंयोग से मैंने सोल्जर्स बोर्ड के सारे डिसीजन्स देखे हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां डिसीजन्स सिवाय इसके कुछ नहीं होते कि सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी को तनख्वाह ज्यादा दी जाय, उनको डी० ए० ज्यादा दिया जाय, उनको मोटर एलाउन्स ज्यादा मिले, उनको शहर में रहने का किराया मिले। बाकी और कोई चीज कुछ नहीं कर पाये, रेकन्स्ट्रक्शन फण्ड, बैनेवोलेन्ट फण्ड और राजस्थान वार वैलफेयर फण्ड सारे के सारे ब्लॉक हो गये हैं। लोग पढ़ना चाहते हैं तो पैसा नहीं मिलता है, लोग मकान बनाना चाहते हैं और कर्ज लेना चाहते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। इतना ही नहीं आज सवाई-माधोपुर जिले में जायं वहां जाकर यदि तहसील की तलाशी ली जाय तो आपको बोरियों में भरे हुए मैडल्स मिलेंगे। वे मैडल्स इस बात के लिए हैं कि फौजियों में बांटे जायं। आपने वे मैडल्स नहीं बांटे। मेरीटोरियस सर्विसेज के नाम पर हुकूमत ने मैडल्स दिये, लेकिन राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी है कि उन मैडल्स को उन आदमियों के पास नहीं पहुंचा सकती।

(विराम)

आज सरकार केवल यह कहती है कि चीन की समस्या है, पाकिस्तान की समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने भाषण के अन्दर इन सारी चीजों का निराकरण कर दें कि डिफेन्स एफर्ट्स के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो २ घोषणायें की हैं उस सम्बन्ध में इस सदन को जानकारी दें और जानकारी देकर यह बतायें कि राजस्थान में जो कुछ घोषणायें की गई हैं उनका इस लेवल तक इम्प्लीमेन्टेशन किया है। यह हो सकता है कि घोषणायें तो स्वर्णकारों के लिए भी कीं। आपने कमेटी बनाई, सब कुछ किया, उन लोगों को आपने धन्धा नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, वह तो समझ में आ सकता है, लेकिन फौजियों के लिए इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तो वह सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। वह एक नेशनल क्वेश्चन है और उस नेशनल क्वेश्चन को इम्पोर्टेन्स देनी पड़ेगी। देना चाहिए तो स्वर्णकारों को भी, वह मैं आगे चल कर कहूंगा; उनको भी ऐसी स्थिति है, अध्यक्ष महोदय।

दूसरा प्रश्न आता है मंहगाई का। सरकार कहती है कि मंहगाई बढ़ी है। मंहगाई कब से बढ़ने लगी ? मंहगाई बढ़ने लगी इस साल के शुरूआत से। मैं ज्यादा लम्बे चौड़े आकड़ों पर नहीं जाऊंगा। अप्रेल में १२४ जो फूडग्रेन्स का सूचनांक था वह दिसम्बर में १५८ होगया। जनवरी के अन्दर वह बढ़ा होगा निश्चित रूप से, और इस प्रकार से जो जनरल इन्डेक्स है वह

(श्री भैरोंसिंह)

१२६ से बढ़ कर १४५ हो गया। यह तो डिटेल्स कज्यूमर्स प्राइसेज़ के हैं। अब होलसेल का भी इस प्रकार से है। अप्रैल में १२३, दिसम्बर में १४३ और जनरल इन्डेक्स १२५ था वह १३६ हो गया। अब राजस्थान सरकार आज के दिन इस बात की चिन्ता करती है और घोषणा करते हैं मंत्री महोदय कि हम सस्ते गल्ले की इतनी दुकान खोलेंगे। आपके पास आपका विभाग है जो कि समय समय पर आपको सूचना देता है कि चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आपको समय समय पर जानकारी मिलती है अधिकारियों की मार्फत कि लोगों में मंहगाई के कारण से परेशानी है और महंगाई के कारण आन्दोलन की स्थिति आ रही है और आज हमारी सरकार घोषणा करती है कि दूकानें ज्यादा से ज्यादा खोल रहे हैं। आज तक सरकार सोई क्यों रही? ये दूकानें पहले भी खोली जा सकती थीं जिस समय कि आपको सूचना मिली कि भाव बढ़ रहे हैं। उस समय अगर पर्याप्त संख्या में खोली जातीं तो आज यह स्थिति नहीं होती जिसमें लोग आज इस बुरी तरह से पिस रहे हैं, खास तौर से वेतन भोगी। उनका हाल तो परमात्मा ही जानता है। जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी बड़ी मुश्किल है। उनके घाटे की पूर्ति ५) रु०, १०) रु० या २०) रु० से नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से भावों का स्तर बढ़ा है उस स्तर तक उनकी व्यवस्था नहीं की तो निश्चित रूप से यह उनके लिए एक परेशानी का कारण होगा। भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि सेन्ट्रल एम्प्लोईज़ की तनख्वाह, जयपुर नगर को बी श्रेणी का नगर घोषित कर दिया तो वहां पर उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है और राजस्थान सरकार चुप बैठी है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूँगा कि जो स्टेच्यूटरी प्रोवीजन है उस स्टेच्यूटरी प्रोवीजन के अनुसार बी क्लास सिटी के अन्दर जितने भी रहने वाले कर्मचारी हैं उनका वेतन-स्तर बढ़ाया जाय, वह आज तक क्यों सोई हुई है? क्यों नहीं बढ़ाया है? जब भारत सरकार बढ़ा सकती है तो राजस्थान सरकार ने वेतन क्यों नहीं बढ़ाया? आप वेतन बढ़ायेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जयपुर में रहने वाले कर्मचारियों का वेतन-स्तर बी क्लास श्रेणी का शहर होने के नाते ज्यादा बढ़े इस प्रकार का ख्याल रख कर चलें।

अब एक प्रश्न आता है, चीनी का मैं। नहीं कहना चाहता कि जयपुर शहर में २१ तारीख को एक किलो चीनी नहीं थी। मेरे पास लिखा हुआ है एक लैटर लिख कर मैंने पूछा था कि चीनी कितनी है, तो जवाब मिला कि एक किलो भी नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):- ब्लेक मार्केट में?

श्री भैरोंसिंह:- ब्लेक में हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि कन्ट्रोल्ड कॉमोडिटीज के ऊपर आप व्यापारियों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो आप मोनोपोली सिस्टम इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए मेरा कहना है कि मोनोपोलाइज्ड सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सारी चीजें क्रय-विक्रय संघ को दी जायें, यह एक दूसरे प्रकार की मोनोपोली है। इस मोनोपोली में लोग ईमानदारी से काम करेंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और उस जिम्मेदारी के लिए यदि आप देखना चाहें तो

(श्री भैरोंसिंह)

अभी भरतपुर के अन्दर गुड़ आया तो राजस्थान क्रय-विक्रय संघ, जयपुर द्वारा गुड़ खरीदा, दिल्ली की तरफ मेरठ का गुड़ खरीदा; तो गुड़ खरीदने के अन्दर जो कोस्ट-प्राइस थी उसको वहां ज्यादा बढ़ाकर दिखाया, वहां पर जो बोरियां खरीदी गईं उनकी कीमत ज्यादा बढ़ाकर दिखाई गईं। ब्लैक में जिस भाव से गुड़ बिका है उससे मंहगा क्रय-विक्रय संघ के द्वारा बिकने वाला गुड़ हो सकता है! यह ठीक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत यह काम चालू किया जाय, मै इसके विरोध में नहीं हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आज करप्शन के अड्डे बनते जा रहे हैं।

यह केवल मैं ही नहीं कहता बल्कि संतराम शर्मा डी. आई. जी. पुलिस भी यह कहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि क्राइम इसलिये बढ़ते हैं कि सहकारी समितियां डबल हो गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मोनोपोली को खत्म करें। यदि सोसाइटी के के मारफत ही कराना चाहती है तो क्रय-विक्रय संघ की मोनोपोली को खत्म करके करप्शन को रोकें। सरकार अपनी दूकानें खोलना चाहती है तो अपनी दूकानें खोल सकती है। जो भाव बाजार में बढ़ रहे हैं उनको रोकने का एक तरीका यह है कि बाजार में सरकारी दूकानें खोली जायें और वहां पर फिक्स कीमत पर बेचेंगे तो व्यापारी अपने आप भाव नीचा करेंगे। सरकार ने चारे की निकासी तो बंद की लेकिन गवार की निकासी बंद नहीं की और यह छूट दे दी कि गवार बाहर जायगा और उसका गम बनेगा और उस गम से फोरिन एक्सचेन्ज प्राप्त किया जायगा। यहां राजस्थान में तो जानवर गवार के अभाव में खत्म हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं; लेकिन आप गम लेना चाहते तो मैं कहूंगा कि अंग्रेजी का 'गम' छोड़ कर हिन्दी का गम मिलेगा। राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह इस चक्कर में नहीं है कि भारत सरकार ने कहा है कि ६० पर-सेन्ट गवार की चूरी दे देंगे। गवार की पोटेन्शियलिटी में और चूरी की पोटेन्शियेलिटी में बहुत फर्क है। जितनी पोटेन्शियलिटी १ सेर गंवार में है उतनी १० सेर गवार की चूरी में नही है। इसलिए मैं कहूंगा कि भारत सरकार से कहा जाय कि गंवार की निकासी बंद की जाय क्योंकि यह फोडर की तरह काम में आने वाली चीज है।

मैं सरकार ने जो व्यवस्था की है उस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। वित्त मंत्रीजी बड़े दयालू बनते हैं और कहते हैं कि अनाज के भाव मंहगे हैं। मैं कहता हूँ कि आप इस अनाज पर से सैल टैक्स तो हटा दें। अनाज खाकर लोग जिन्दा रहना चाहते हैं इसलिए आप इस पर से सैल टैक्स तो वापिस ले लें। जिस चीज के भाव बढ़ गये उससे आप अपनी आमदनी बढ़ा कर गरीबों का पेट नहीं भर सकते। इस सेल टैक्स के अलावा आपने इक्वला-ईजेशन चार्जेज ६७ नये पैसे पर क्विन्टल और लगा दिये। कौनसी बला है? उधर दो रुपये सेल टैक्स और इधर ६७ नये पैसे इक्वलाइ-जेशन चार्जेज; २ रु० ६७ न० पैसे का यह भार अनाज पर पड़ता है उसका असर सरकार पर पड़े, न पड़े; पर उपभोक्ताओं पर अवश्य पड़ता है। इससे उपभोक्ताओं को आज बचाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें हमारी बदकिस्मती है उसके बारे में निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करूंगा । वह वदकिस्मती वसे तो खुश-किस्मती है । वह है राजस्थान केनाल । राज-स्थान केनाल जिस समय पूरी हो जायगी उसका पूरा इम्प्लीमेन्टेशन होगा। उससमय तो राजस्थान केनाल राजस्थान के लिये वून सिद्ध होगी, इसमें संदेह नहीं । लेकिन वह पूरी कैसे हो, यह समस्या है । लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इसको पूरा करते करते राजस्थान समस्या के रूप में समाधान नहीं बनकर समस्या के रूप में बलिदान बन जाय । यह समाधान कैसे हो। राजस्थान सरकार और मुख्य मंत्रीजी ने बार बार प्रयत्न किया है कि इसका नेशनल प्रोजेक्ट माना जाय। इसमें कितनी सफलता मिली है, यह मैं नहीं कह सकता; लेकिन प्रकटरूप में ऐसा लगता है कि भारत सरकार, इसको नेशनल प्रोजेक्ट मानने को तैयार नहीं है । मैने पिछले दिनों सुना है कि भारत सरकार इसका कोर्पोरेशन का रूप देने को तैयार है । लेकिन इसके लिये भारत सरकार की एक शर्त है और वह यह है कि राजस्थान के नीचे जो जमीन है उस अलोटमेन्ट इस कोर्पोरेशन के हाथ में होगा । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कोर्पोरेशन बने, लेकिन आप भारत सरकार को इस शर्त को स्वीकार न करें कि इसकी भूमि के एलाटमेन्ट का अधिकार भारत सरकार को या कोर्पोरेशन के रूप में जो बोडी होगी उसके हाथ में रहेगा, बल्कि वह अधिकार भारत सरकार या कोर्पो-रेशन के बजाय राजस्थान सरकार के हाथ में रहेगा । मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि एलोटमेन्ट इनको हो या उनको । लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस भूमि का एलाटमेन्ट राजस्थान के निवसियों को हो । मैं तो यह कहूंगा कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाय । यदि नहीं बनाते है और कॉर्पोरेशन बनाते है तो एलोटमेन्ट की पोवर सरकार से हाथ में ही रहे, यह मैं फिर कहता हूँ ।

एक दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा जिसे गंगा-नगर जिले के लोग महसूस करते हैं वह पानी का है । मैं पिछले दिनों पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के साथ पंजाब गया था । वहां हम पंजाब के सिचाई मंत्री और मुख्य मंत्रीजी से मिले और इस संबंध में बात-चीत हुई थी । गंगानगर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य मनफूलसिंह जी उससे परिचित हैं । उन्होंने उनसे जो प्रश्न पूछे और उनका उत्तर जो उन लोगों ने दिया उसे मैंने सुना और मैंने सुना और मैं स्तम्भ रह गया उनके उत्तर से । मुझे ऐसा लगता हैकि पंजाब सरकर राजस्थान पर कभी कृपा करने वाली नहीं है, बल्कि शोषण करने वाली है । शोषण किस बात से करना चाहती है ? हमारी जिन्दगी पंजाब के हाथ में है और वह इस प्रकार कि वह जितना और जब चाहे उतना और तब पानी देती है, जितनी चाहे उतनी बिजली देती है और जो खर्चा होता है उस पर कंट्रोल पंजाब के हाथ में है नतीजा यह हुआ कि गत वर्ष इस गंग केनाल से राजस्थान सरकार के लगभग ७ लाख ८० हजार की वाटर रेट कम मिली । १ लाख ६५ हजार का लेंड रेवेन्यू में घाटा हुआ क्योंकि पानी कम मिला और १, २४, ३५४ घन फुट पानी कम मिला । वह क्यों ? पंजाब सरकार कहती है कि सतलज का जो फ्लो है उसमें कोई तुम्हारा अधिकार नहीं है, यह जबर्दस्ती पंजाब सरकार कहती है जब कि फ्लो पर हमारा अधिकार है । एमर्सन की रिपोर्ट के अनु-सार और हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बीच जो ट्रीटी इंडस वाटर के लिये हुई है उसके

(श्री भैरोंसिंह)

इम्प्लीमेन्टेशन का फोर्मुला वर्क आउट किया है उसमें भी हमारा हिस्सा है। लेकिन पंजाब सरकार हमको हिस्सा नहीं देती, यह मानकर भी नहीं देती कि राजस्थान का इसमें हिस्सा है और देना चाहिये। बल्कि पंजाब सरकार यह कहती है कि यदि किसी मंत्री ने समझौता कर लिया होगा तो गलती की होगी, हम उसको मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान सरकार को इस प्रकार ७ लाख ८० हजार का वाटर रेट में घाटा हुआ, १ लाख ९५ हजार का घाटा लैंड रेवेन्यू में हुआ और भी दूसरा घाटा हुआ वह कुल मिलाकर ११ लाख ७५ हजार रुपयों का हमारी सरकार को हुआ। लेकिन किसानों को ४६ लाख मैट्रिक टन का घाटा हुआ जिसकी कीमत होगी ३ करोड़ २३ लाख रुपये। आज हमारा यही हाल है भाखरा में भी और गंग केनाल से पानी नहीं मिलता।

मैं राजस्थान सरकार से इतना अवश्य कहूंगा कि आज तक आपने व्यवस्था नहीं की कि जिस चीज पर हमारा खर्चा हुआ है उस चीज पर एक दूसरी सरकार के हाथ में कंट्रोल हो। यह नहीं होना चाहिये। इसका कंट्रोल राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार दोनों के हाथ में होना चाहिये इसके लिये एग्रीमेन्ट में शर्त रखी होगी और उस एग्रीमेन्ट को शुरू में ही इम्पलीमेन्ट कराया होता तो राजस्थान सरकार को यह घाटा नहीं होता। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इस बारे में सरकार का हाथ मजबूत करने को तैयार नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आप भारत सरकार से निवेदन करें कि दोनों का जोइन्ट कंट्रोल रहे जो पानी के गेज को देखता रहे और उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर राजस्थान को हिस्सा मिलेगा तो यहां के काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। आज राजस्थान सरकार इस बारे में क्या कर रही है, इसका मुझे पता नहीं; लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां फूड शोर्टेज है। इस संबंध में फोर्ड फाउन्डेशन की ओर से पेकेज प्रोग्राम चालू किया गया है। राजस्थान में पाली में शुरू किया गया है उस पर ६० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इवेल्युएशन कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है उसमें इसका इवेल्युएशन नहीं किया गया, लेकिन इस टाइम जो जो रिपोर्ट निकली है उसमें कहा गया है कि पाली में यह पेकेज प्रोग्राम फैला हुआ है। ६० लाख रुपये खर्च होने के बाद यह फेल क्यों हुआ, इसका पता लगाना चाहिये था कि कितना इर्रिगेशन हुआ तथा कितना और काम हुआ। उस समय यह कहा गया था कि क्रेडिट फेसिलिटी लोगों को दी जायगी, लेकिन आपके बैंक दो साल से डिफन्क्ट है। लोगों को क्रेडिट नहीं दे सकेंगे तो लोगों की पर्चेजिंग पोवर नहीं बढ़ सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता बल्कि गिरता है। आप वहां पर पेकेज प्रोग्राम चलाते हैं लेकिन वहां के सभी लोग कहते हैं कि ट्रेक्टर व मशीनरी आप लाते हैं वे वर्क शॉप में चले जाते हैं। लोग यह कहते हैं और बाकी के सब डिस्ट्रिक्ट्स-लुधियाना और ईस्ट गोदावरी और जहां जहां यह पेकेज प्रोग्राम है, उनकी रिपोर्ट को मैंने देखा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात देखकर ताज्जुब हुआ उस रिपोर्ट में इस चीज को एम्फेसिस किया गया है कि जहां जहां पंचायत राज की व्यवस्था होगी वहां पंचायत इन्स्टीटयू-

(श्री भैरोंसिंह)

शन्स का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्ज का ज्यादा से ज्यादा कोआपरेशन लिया जायगा बाकी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पैकेज प्रोग्राम बने हैं, पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख उस कमेटी के सदस्य होंगे। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने दो कोआर्डिनेटिंग कमेटी बनाई हैं; एक कोआर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं मुख्य सचिव और दूसरी कोआर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन हैं कलेक्टर। उनमें कोई जिले के व्यक्ति या रिप्रजेंटेटिव नहीं है, जो पंचायत समिति के प्रधान या जिला प्रमुख के प्रमुख हों। मैं समझता हूं कि इसका कारण एक हो सकता है और वह कारण यह हो सकता है कि राजनैतिक आधार पर हम लोगों को एकोमोडेट नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं, यह चीज अच्छी नहीं है, बुरी है कि मंत्री महोदय यह समझें कि कांग्रेस सदस्य के अलावा सब पैकेज प्रोग्राम में रोड़ा अटकाने वाले हैं। जो पंचायत समिति के प्रधान हैं उनको एडजस्ट किया जाय और जिला परिषद के प्रमुख को एडजस्ट किया जाय। मैं पूछना चाहूंगा कि जहां पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन है वहां कोआर्डिनेटिंग कमेटीमें पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज को क्यों लिया गया और पाली मे क्यों नहीं लिया गया। इसका कहीं यह कारण तो नहीं है कि वहां के बी. डी. ओ. और एग्रीकल्चर आफिसर आपस में लड़ते हैं और पंचायत समिति इनके झगड़े के कारण इस प्रकार का प्रस्ताव पास करने को मजबूर हो कि यह काम नहीं करे और इसे बन्द कर दें। आज यह हालत ६० लाख रुपया लगने के बाद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैकेज प्रोग्राम के बारे में सुना है कि उसे भीलवाड़ा ले जा रहे हैं ...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री, शिक्षा) : कहां ले जा रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह: भीलवाड़ा ले जा रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आप इस पर ज्यादा समय नष्ट नहीं करें तो अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह: मैं इस बात पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं कि भीलवाड़ा क्यों ले जा रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह असत्य है।

श्री भैरोंसिंह: मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा कि इसे भीलवाड़ा क्यों ले जा रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कहीं फिर रुपया व्यर्थ न जाय। इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं। आप भले ही भीलवाड़ा ले जाय, चित्तौड़ में ले जायं, उदयपुर में ले जायं ..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जयपुर शहर में आ नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह: जयपुर शहर में आप जैसे रहते हैं उनसे ही शहर परेशान है।

मैं एकबात निवेदन और करना चाहूंगा। मैंने कहा कि पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अब एक प्रश्न आता है कि भारत सरकार के कोई मन्त्री हारते हैं

(श्री भैरोंसिंह)

तो उनको गवर्नर बनाया जाता है। तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने देखा कि वे पीछे क्यों रहें ? तो उन्होंने कहा कि जो मन्त्री हारें उनको अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में भेज दो। राजस्थान के भूतपूर्व गृह मन्त्री जयपुर शहर में हारे। जनता ने उन्हें बुरी तरह से हराया। राजस्थान विधान सभा की जयपुर शहर की तीनों सीटों पर कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं आया, पालियामेंट के लिए एक भी व्यक्ति नहीं आया, नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के दो व्यक्ति आये। जनता ने कांग्रेस के व्यक्तियों को नहीं चुना। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछता हूँ कि यह कौनसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके आधार पर श्री राम किशोर व्यास और श्री श्याम सुन्दर भाटिया को नामजद करके अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भेजना चाहते हैं (विराम) आपने अलवर में क्या किया। वहां शोभाराम जी हार गये, सम्पतिराम जी हार गये, भोलानाथ जी हार गये; उनको रख दिया। आपको क्या हारे हुए व्यक्तियों का मंत्रिमडल बनाना है। आपको चिन्ता है कि उनको कैसे पाला जाय। लेकिन पब्लिक कोस्ट पर उनको पालने की आवश्यकता नहीं है। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति स्थाई रूप से भावना लोगों के हृदयों में जमाने की दृष्टि से यह चीज अपील नहीं करती है और यह आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अब रामकिशोरजी जयपुर का क्या विकास करेंगे ? वे जयपुर का विकास पिछले पन्द्रह वर्षों में नहीं कर सके। शोभारामजी पिछले दिनों रहे, उन्होंने क्या किया ? वे कैसा विकास कर सके ? वे कोई विकास नहीं कर सके। अगर उनके पास कोई टाउन प्लानिंग की विद्या होती, उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन हासिल की होती तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन उन्होंने न कोई विद्या हासिल की है और न क्वालिफिकेशन। आपने बीकानेर में कांग्रेस के व्यक्ति को बनाया, जोधपुर में एक सरकारी अधिकारीको बनाया। बाकी की सब जगह राजनैतिक व्यक्ति हैं। यह समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के लोग ही मकान बनाना जानते हों......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हम आपसे एग्री नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको नहीं बनाया इसलिए। आप अपने दिल से पूछें कि अजमेर के क्या हाल हैं ? दिल के अन्दर ही अन्दर आंसू आते हैं कि उसको चेयरमैन बना दिया जो अजमेर में लोकप्रिय नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस की बदनामी होती है और विकास की बात होती है तो इस आदमी को चेयरमैन बना दिया......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : श्रीमान्, मैंने यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : आप अपनी छाती पर हाथ रख कर पूछिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मेरी छाती की फिक्र मत कीजिये। आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देखिये।

श्री भैरोंसिंह : मेरी छाती तो बहुत मजबूत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कहा कि जिसने माफी मांगी अंग्रेजों के वक्त में, उसको सिर पर न बैठायें।

श्री भैरोंसिंह : यह एडीशनल क्वालिफिकेशन है। यह आदमी, जिसने स्वतंत्रता आन्दोलन के वक्त में अंग्रेजो से माफी मांगी, जो लोकप्रिय नहीं हैं, वे टाउन प्लानर बनें, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन बनें, यह शर्म की बात है। (विराम) आखिर लोकतंत्र है। जनता की विशेज़ को स्वीकार करनापड़ेगा, जनता के अधिकार को स्वीकार करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और। गृह मंत्रीजी के विभाग के बारे में थोड़ा कह दूं।

इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि इतने डाकू पकड़ लिये गये। मेरी समझ में नहीं आता कि जब हर साल हजारों डाकू पकड़े जाते हैं तो फिर पैदा कैसे हो जाते हैं। हर साल सरकार अपने अचीवमेंट्स बताती है, इतने डाकू पकड़े गये और जिस समय डाकू पकड़ने की घोषणा करते हैं तो कहते हैं कि डाकू बचे नहीं हैं। फिर दूसरी साल भाषण देते हैं तो कहते हैं कि १६० डाकू पकड़े हैं, ये डाकू कहां से पैदा हो गये। वे पैदा कैसे हो गये, इस बात को मैं तलाश कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, तभी सतराम शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या ? एक स्टेटमेंट!

श्री भैरोंसिंह : वह स्टेटमेंट इस बात का दिया, डाकू क्यों पैदा होते हैं। एक प्रेस कान्फ्रेन्स में एक स्टेटमेंट दिया कि डाकू इसलिए पैदा होते हैं कि लोगों में भूखमरी और गरीबी ज्यादा है। यह बात राजस्थान सरकार के पुलिस के एक उच्चाधिकारी कहते हैं कि राजस्थान में गरीबी है, भुखमरी है। डाकू लोग गरीब को राहत पहुंचाते हैं। डाकुओं का उन क्षेत्रों में इसीलिए सम्मान है और इसलिए लोग उनके साथ जाते हैं और डाके पड़ते हैं। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है कि राजस्थान सरकार का एक अधिकारी राजस्थान सरकार का कन्डेमेशन करता है।

(विराम)

सरकार भुखमरी की समस्या को नहीं मिटा सकती। वह कहती है कि डाके और क्राइम हमारे यहां ही नहीं बढ़े, ये तो सारे देश में बढ़ रहे हैं; इसलिए राजस्थान में क्राइम बढ़े तो क्या आपत्ति है ? यह मेरी समझ में नहीं आया कि फिर आप पुलिस पर इतना खर्च क्यों कर रहे है ? सरकार यह बात कैसे कहती है कि क्राइम इसलिए बढ़ रहे हैं कि दूसरे देशों में क्राइम बढ़ते हैं मैं समझता हूँ, यह जरूरी नहीं है कि दूसरे देशों में क्राइम बढ़ें, इसलिए राजस्थान में भी बढ़ें। आपने ऑल इंडियाके फिगर्स देखे होंगे, उनमें राजस्थान में क्राइम ज्यादा हैं। जब राजस्थान में क्राइम ज्यादा हैं तो हम मजबूर होकर विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार क्यों इस छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पाती।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि पाकिस्तान से हमारा प्रेमपूर्ण व्यवहार चल रहा है। मैं, उप-गृह मंत्री बैठे हैं, उनको याद दिलाता हूं एक घटना की। अजमेर की म्युनीसिपेलिटी के चुनाव हुए। म्यूनीसिपलिटी के चुनाव में हिन्दुस्तान के नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पाकिस्तान के नागरिक को नहीं है। इसकी संविधान में इजाजत नहीं है। म्युनीसिपेलिटी के कानून में इजाजत नहीं है। लेकिन एक गुलाम, हुसैन साहब वार्ड नम्बर पांच से खड़े हो गये

(श्री भैरोंसिह)

वोटर लिस्ट में नाम लिखा कर । वे हिन्दुस्तान के सिटीजन नहीं हैं, उनको हिन्दुस्तान की सिटीजनशिप का राइट नहीं मिला है । इसके बावजूद भी चुनाव लड़ते हैं । मैंने उप-गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिख कर दी है । मैं उप-गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज तक उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या किया ? आप पाकिस्तान की अमंत्री की बात करते हैं । पाकिस्तान का कोई नागरिक हिन्दुस्तान में नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अजमेर में वह इलेक्शन लड़ता है और वह लड़ता है वित्तमंत्री के पक्ष को जिताने के लिए

(विराम)

वह इलेक्शन लड़ता है । आखिर यह क्या तमाशा है ? हम बर्दाश्त कर सकते हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते; जिसके लिए राज्यपाल महोदय ने चिन्ता प्रकट की है कि पाकिस्तान से अमैत्रीपूर्ण व्यवहार है । मैं उस सरहद का जिक्र करता हूँ जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर की सरहद है । मैंने वहां का चित्र देखा है । देख कर ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में नहीं है । कोई डेवलपमेंट नहीं है । जैसा कि मैंने जिक्र किया था, इनमें सड़क, टेलीफोन, गांवों में आने- जाने के साधन नहीं हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप या तो इन चारों जिलों से कोई जलन रख कर चलते हैं या आपकी इच्छा है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इन चार जिलों को भेंट कर दिया जायगा । यह इच्छा हैं तो बात दूसरी है । यह इच्छा नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे जिलों से फंड्स डाइवर्ट करके इन जिलों का डेवलपमेंट, फोज की दृष्टि से, हमने को दृष्टि से करें । लोगों में किस प्रकार विश्वास बढ़ सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि जो घटनायें होती हैं, जानवर इधर से उधर ले जाये जाते हैं, डाकुओं से मिल कर, उनको कॉन्फीडेंस में लेकर जो डाके पड़ते हैं, स्मगलिंग होता है, जो पाकिस्तान की टैक्स्ट बुक्स चलती हैं-इन सबके बारे में सख्त कदम उठाये जायें । मै इस अवसर पर इनका विशेष उल्लेख नहीं करता क्योंकि कई बार उल्लेख कर चुका हूं लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है । सरकार कहती है कि डी. आई. आर में लोगों को गिरफ्तार किया । उसकी लिस्ट बहुत लम्बी है । मैं पूछना चाहता हूं कि ब्लेक मार्केटियर्स, होर्डर्स, स्मगलर्स आदि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और कितने लोगों का चालान किया है ? यह इस बात से साबित है कि डी० आई० आर० में एक्शन लेने के बाद आप अभी तक चालान नहीं कर सके हैं । चालान इसलिए नहीं कर सके हैं कि आपके ऊपर पोलिटिकल प्रेशर है कि यह व्यक्ति मेरा है, यह व्यक्ति तेरा है । इस आधार पर लोगों का चालान नहीं किया जिन्हें आपने डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया । आप उनका चालान नहीं कर सकते जिन लोगों को आपने एन्टीनेशनल एक्टीवीटीज में गिरफ्तार किया । आपने उनको ६ महीनों के बाद जब आप पर पोलिटिकल प्रेशर पड़ा तो आपने उनको छोड़ दिया । क्या उनका ६ महीने बादही हृदय परिवर्तन हो गया ? यह साफ बतलाता है, इसका मतलब साफ है कि पोलिटिकल प्रेशर से आपने उन्हें गिरफ्तार किया था और जब आप पर पोलिटिकल प्रेशर पड़ा तो आपने उन्हें वापिस छोड़ दिया । आपके डी० आई० जी०, सी० आई० डी० ने कहा कि अगर इस तरह से लोगों को गिरफ्तार

(श्री भैरोंसिंह)

किया गया तो सब जेलें भर जावेंगी । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय और अब भी गवर्नमेंट की जेलें खाली हैं. कोई भी जावें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है । जेलें खाली है, कोई भी पधारें....

एक माननीय सदस्य : आप ही पधारें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो नहीं जाता । मगर ऐसी स्थिति में मैं प्रवेश करा सकता हू प्रवेश-पत्र प्राप्त करा सकता हूँ । इसमें मैं आपको सहयोग देसकता हूं ।

अब इन्तजाम के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात निवेदन करूंगा । जयपुर में स्कूटर आए । सरकार को उन्हें बांटना था। कुल ३० स्कूटरों को बांटना था । उसके लिये हजारों आदमी इकट्ठे हुए । आप प्रायोरिटी से उनका इन्तजाम नहीं कर सके और आपने उल्टा कन्फयूजन पैदा कर दिया । चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्कूटरों का बंटवारा 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड' के सिस्टम से न होकर लोटरी सिस्टम से हो जावे । मगर इसका निपटारा ७ दिनों मे भी नहीं हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि एक आदमी की जान गई । स्कूटर तो कहीं रह गया । यह एक छोटी सी चीज थी जिसका इन्तजाम भी आप नही कर सके ।

अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी और आखिरी बात है भ्रष्टाचार की । मैं व्यक्तिगत मामलो पर नहीं जाना चाहता । अध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेंट ने घोषणा विजिलेन्स कमेटी फोर्म करने की की । मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इससे पहले एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट खोला और उसने लोगों को पकड़ा और जिन मामलों में लोगों को सजा हो सकती थी उसमें आपने एक टैक्नीक अपनाई, वह यह कि जिन केसेज़ को रजिस्टर कर लिया उनकी जांच पहले की जाए और जो केस कोर्ट में कामयाब नहीं हो सकता उसको पेश नहीं किया । आपने यह किया कोर्ट में बताने के लिये कि इतने केसेज़ में कन्विक्शन हुआ, ३३ केसेज़ का चालान कोर्ट में पेश किया और ३२ को सजा मिली । यह टैक्नीक आपने अपना ली ।

पहले यह एन्टी करप्शन था और आज यह विजिलेन्स कमीशन है और इससे पहले भी पुलिस में इसके लिये अलग से प्रबन्ध था । अब आपने लोगों को बचाने के लिये सबसे बड़ी व्यवस्था कर रखी है वह यह कि आपने कमिश्नर फोर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज कायम कर रखा है । जिस मामले को आपको खत्म करना होता है उसे आप इसे दे देते हैं । फुर्सत उन्हें मिलेगी नहीं, काम होगा नहीं क्योंकि उनको फुर्सत मिलती नहीं है । तो तीन, चार--पांच साल तक केसेज़ उनके पास पड़े हुए है । अध्यक्ष महोदय, जिनका रेप केस से, गबन और धन के दुरुपयोग से संबन्ध है, उन मामलों को कमिश्नर फोर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी लेकर बैठा हुआ हैं । आप एन्टी करप्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं । क्या आपने कभी तकाजा किया कि ये केसेज़ इतने दिनों से क्यों पड़े हुए हैं ? नन्दाजी ने घोषणा की कि यदि दो वर्षों में करप्शन को समाप्त नही कर पाऊंगा तो त्याग-पत्र दे दूंगा । हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी उनका सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की । मैं कहूंगा कि आप इस प्रकार की घोषणा न करें क्योंकि यह घोषणा त्याग-पत्र की बोइस हो सकती है, करप्शन

(श्री भैरोंसिंह)

रुकेगा नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज तक क्या किसी पब्लिक ने किसी भ्रष्टाचार का सामाजिक बहिष्कार किया है। अब आपने विजिलेन्स कमीशन की स्थापना की। मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि आपके कहने के मुताबिक किसी ने किसी भ्रष्टाचारीका समाजिक बहिष्कार किया है। क्या आपकी पार्टी ने भी आपके कहने के मुताबिक किसी व्यक्ति का इस प्रकार से बहिष्कार किया है ? मैं कहूंगा कि कोई व्यक्ति हो इस प्रकार की घोषणा करे और खास कर सत्ता पर बैठने वाला और उसकी घोषणा का पालन नहीं करे तो इसका मतलब यह है कि आपकी पब्लिक में कोई वोइस नहीं है. आपका पब्लिक में कोई रेप्यूटेशन नहीं है।

(विराम)

आज यहां राजस्थान मे करप्शन दिनो दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिये मैं नजीर बताना चाहता हूं। जयपुर की स्कूल में साबुन खरीदा जा रहा है। श्री उप शिक्षा मंत्री जी सुन लें। उसमें लाइफ बोय खरीदा जाता है। माननीय उप-मंत्रीजी जानते है कि लाइफ बोय कितने में आती है। यह सभी जानते है कि लाइफ बोय कितने में आती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री-शिक्षा): आप रातको इस्तेमाल करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : में आपके साथ इस्तेमाल करता हूँ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में ५० नये पंसे में और बाहर ७५ नये पंसों में। इसकी कीमत शहर में आठ आना और उसी की कीमत ७५ नये पंसे और जगह। यह लिस्ट बहुत है, इस लिस्ट को सदन का कोई भी सदस्य देख सकता है। इस प्रकार की बाजार की रेट्स थीं उनको किस प्रकार से बढ़ा-चढ़ा कर सब चीजों की रेट दी गई है। ये कौन देते हैं, यह भी आपको बता दूं। ये वे लोग देते हैं जो साबुन के व्यापारी नहीं हैं। यह नरसिंहदास विट्ठलदास जो लोहे के व्यापारी हैं वे साबुन बेचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ? मैं आपसे यह कहूंगा कि पब्लिक लाइफ में भ्रष्टाचार इतना घुस आया कि छोटे-मोटे आॅपरेशन से काम नहीं चलेगा। आपको इसके लिये मेजर आॅपरेशन करना होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी ने जो अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है, वह आपको स्वीकार कर लेनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार उनकी सिफारिशो को स्वीकार करे। राजस्थान के नेताओं को पब्लिक इन्क्वायरी फेस करने के लिये तैयार होना चाहिये, उनकी जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये जुडिशियल ट्रिब्यूनल की स्थापना कर ली जावे। इसके साथ २ मैं यह भी कहूंगा कि जब तक मंत्री महोदय इन्क्वायरी फेस करने के लिये तैयार नहीं होंगे और हमेशा बचने को तैयार रहेंगे उस समय तक सरकारी अफसरों पर कोई असर नहीं पडेगा। जब आप इसके लिये तैयार होंगे तो सरकारी अफसरों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

आपने रेवेन्यु बोर्ड के चेअरमैन को नोटिस दिया है कि ५८ वर्ष की उम्र हो गई है रिटायरमेंट के लिये। इस सदन में मैने पिछली बार कहा था कि रेवेन्यु बोर्ड की हालत दिनो दिन गिरती जा रही है। आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड रेवेन्यू के मामलों में

(श्री भैरोंसिंह)

हाइएस्ट ग्रॉथोरिटी है। मगर हमारी सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अब एक वर्ष बाद उनको आप रिटायर कर रहे हैं। आप उन्हें ३ वर्ष पहले रिटायर करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मगर आपने यह जो किया है वह आपकी सर्विसेज को डीमॉरेलाइज कर रही है। आपका उनसे झगड़ा हुआ, आपने उनको रिटायर कर दिया। जो एब उनमें उस समय थे वे आपसे छिपे नहीं थे और वे आपको भी और हमको भी मालूम थे। अब कौन से नये ऐब उनमें पैदा हो गये हैं। आपको चाहिये था कि एक वर्ष पहले ही उनके खिलाफ एक्शन लेते। चीफ मिनिस्टर बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब आप उनको रिटायर कर रहे हैं। ५५ वर्ष के बाद ३ वर्ष तक एक्सटेन्शन हो सकती है और इसका असर सारी सर्विसेज पर पड़ता है। सर्विसेज यह समझती है कि अगर एक्सटेन्शन लेना है तो 'खाओ, पीओ, मौज करो' और मंत्रीजी को खुश रखो।

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): मैं आपको बता दूं कि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है जिसके कारण ऐसा करना पड़ा हो।

श्री भैरोंसिंह: चीफ मिनिस्टर का नहीं तो मुख्य सचिव........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इस बारे में मैं मुख्य सचिव से भी गाइड नहीं हुआ। मैंने सारे हालात को देखकर यह किया है। किसी दूसरे के झगड़े की बात नहीं है।

(११.०० म.पू)

श्री भैरोंसिंह: मैं मुख्य मंत्रीजी के उस फैसले की बात नहीं करता, आपने जो यह फैसला किया कि उनको नहीं रखना चाहिए था, उस व्यक्ति को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन नहीं रहना चाहिये था उस फैसले की मैं ताईद करता हूं। मेरी शिकायत तो यह है कि जिस समय इस प्रकार के फक्शन्स होते हैं उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लेते, प्रोटेक्शन क्यों देते हैं? इस प्रकार के प्रोटेक्शन्स देने से सर्विसेज पर बुरा असर पड़ता है कि सर्विसेज में किसी की ५५ वर्ष की उम्र हो जायगी तो यह राजस्थान सरकार की स्वीट विल का सवाल होगा कि किसको रखा जायगा और किसको नहीं रखा जायगा। जहां तक शिकायत करने का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मालपुरा के सम्बन्ध में कम से कम १०० एप्लीकेशन्स मैंने मुख्य मंत्रीजी को सेशन से पहले पेश की थीं और इसलिये पेश की थी कि जनता शिकायत करते करते परेशान हो गई, तो मैंने यह देखा कि मैं भी ये शिकायतें पेश करके देख लूं कि क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ सदन के समक्ष यह कहना पड़ता है कि अभी तक उन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया और जिन लोगों की शिकायतें की गईं वे लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं और लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने भैरोंसिंह की मार्फत हमारी शिकायतें मुख्य मंत्रीजी के पास पेश करवाई हैं, इसलिये तुम्हारा विक्टिमाइजेशन होगा। किसानों का विक्टिमाइजेशन हो रहा है। आज सभी कहते हैं कि किसान प्रोडक्शन को बढ़ायें, पर आप कभी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि किसान अफसरों की नादिरशाही से नहीं मारे जाय; किसानों पर

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)

नादिरशाही हो रही है और वे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते, अफसरों की नादिरशाही में जब तक किसान फंसा रहेगा तब तक वह प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता।

बापना कमेटी की रिपोर्ट के माफिक मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जुडिशियरी का सेपरेशन होगा, पर आज इतना अर्सा बीत जाने पर उसमें प्रगति क्यों नहीं हुई ? जिस चीज की आवश्यकता है उसको आप कर नहीं पा रहे हैं। सरकार कहेगी कि खर्चा नहीं है। मैं कहूंगा कि खर्चा है, पर सरकार की करने की इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो सरकार करती, पर करने की इच्छा ही नहीं है। वित्त मंत्रीजी ने कहा कि जहां जहां रोडवेज चल रही है वहां १० लाख रुपये लगाकर मुसाफिर खाने खोलेंगे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम धूप में खड़े रह सकते हैं प्रायोरिटीज़ के नाते जो आवश्यक कार्य हैं उनमें सबसे पहले खर्चा करें तो बात समझ में आ सकती है।

एक सबसे बड़ी बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा जो है हमारी इन्डस्ट्रीज़ के बारे में। हमारे यहां नमक इन्डस्ट्रीज़ के बारे में राज्यपाल महोदय ने फर्माया कि जोधपुर, डीडवाना, पचपदरा, फलोदी, जहां जहां नमक बनता था वहां अहद करके मेन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस देने का फैसला किया है। जोधपुर के रूलर के साथ जो ट्रीटी थी वह १९६० में खत्म हुई, डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना चालू किया। पचपदरा में खुद सरकार ने मेन्युफैक्चर करने का लाइसेंस हासिल किया लाइसेंस मिल जाय, इसमें एतराज नहीं; पर लाइसेंस हासिल करने केसाथ-साथ सबसे बड़ी बात यह है अध्यक्ष महोदय, उस स्थिति में सबसे बड़ा फैक्टर यह आता है, सांभर में हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी है, डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है, पचपदरा में सरकार ने खुद मेन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ले लिया है। सॉल्ट के नियम कहते हैं कि मेन्युफैक्चर करने वाले को ही लाइसेंस मिल सकता है। क्या आप मेन्युफैक्चर कर रहे हैं ? आप कानून की खिलाफत कैसे कर रहे हैं, कानून की खिलाफत भी राजस्थान के हित में हो तो समझ में आ सकता है, पर ३० हजार टन के करीब नमक वहां पर पड़ा हुआ है, राजस्थान सरकार का ८ लाखरुपया वहां लगा हुआ है, पिछले साल सरकार को ७५हजार का घाटा हुआ; व्यापारी खरीदने नहीं आते, २७ नये पैसे रिबेट देना चाहते हैं, फरवरी, मार्च और अप्रेल में टेन्डर देकर क्लीयरेंस करना चाहेंगे उनको देना चाहते हैं, इसके बाद क्लयेरेंस करने वालों को २७ नये पैसे का रिबेट नहीं मिलेगा। नमक की क्वालिटी गिरती जा रही है। बरसातसे नमक गलता है, सरकार को घाटा हो रहा है। अगर वह ३ रू० २५ नये पैसे के हिसाब से बिकता है तो १ रू० १० नये पैसे में सरकार खरीदती है, २ रूपये बीच के बिचौलिये सरकार से खाना चाहते हैं। रेट बढ़ा दी गई तो कोई नहीं खरीदता। हमारी सरकार ने जहां पर सुजानगढ़, डीडवाना, फलोदी आदि जितना भी सेलाइन एरिया था वहां नमक मेन्युफेक्चर करने का लाइसेंस दे दिया और उनको किसी भी भाव में बेचने की छूट दे दी। तो फिर पचपदरा वालों ने क्या गाय मारी है, बाकी किसी पर कन्ट्रोल नहीं कि ३ रु० २७ नये पैसे के हिसाब से उनका नमक बिकेगा। मैं सरकार से नमक की नीति के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। डीडवाना में सोडियम सल्फेट का काम चालू है, मैं अभी डीडवाना गया और वहां ऐसी स्थिति देखी कि डीडवाना का नमक जिस क्वालिटी का होना चाहिये उस क्वालिटी का नहीं है, इस कारण वह नमक इन्डस्ट्रियल पर्पज़

(श्री भैरोंसिंह)

के लिये बेचा जा सकता है। आखिर यह नमक की क्वालिटी बिगड़ क्यों गई ? बिगड़ी इसलिये कि सोडियम सल्फेट नाम की वस्तु जो ३०० रुपया मैट्रिक टन के भाव से बिकती है, जिसे हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिये हमें फोरिन एक्सचेन्ज का खर्चा करना पड़ता है, वह नमक में मिली रहती है। मैंने अपनी आंखों देखा कि सर्दी में नमक पर सोडियम सल्फेट आता है, वह नमक के साथ जाता है और इस तरह नमक की क्वालिटी गिरती है। मेरा एक कागज मिस्प्लेस हो गया जिस पर मैंने केल्कुलेशन निकाले हैं मैं अभी बताऊंगा कि १६,०० एकड़ में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जा कर सर्दी के दिनों में उन क्यारियों से सोडियम सल्फेट निकालने की व्यवस्था की जाय तो एक साल में राजस्थान को करोड़ों रुपयों का लाभ हो सकता है। मैं नहीं समझता कि सरकार को इस बात का पहले पहल ही पता चला हो, इससे पहले सरकार को इस बात का पता नहीं हो। मेरी जानकारी में है कि सरकार की जानकारी में यह बात चार महीने पहले ही आ गई थी। जहां लाखों रुपयों का, करोड़ों रुपयों का घाटा राजस्थान को होता है वहां सरकार की ओर से इस प्रकार की ढिलाई बरती जाय, इससे बढ़ कर और दुख की बात क्या हो सकती है ? मैं योजना मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे वहां जाकर कैम्प लगायें, वहीं पर बैठ जायं, सेक्रेटेरियेट में नहीं बैठने से एक–दो लाख का भी घाटा नहीं होगा पर डीडवाना में जाकर जम कर बैठ जाय तो एक दिन में सरकार को लाखों रुपयों का फायदा होगा। पर हमारी सरकार इसमें कछुए की सी धीमी गति से चलती है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : वह तो मेरी कॉन्सटीटयूएन्सी है. मैं वहीं जाकर बैठ जाऊंगा ......

श्री भैरोंसिंह : मुश्किल तो यही है कि चुनावों में हो जाकर बैठते हैं, चुनावों के बाद नहीं बैठते।

श्री मथुरादास माथुर : फिर आप कह देंगे कि वहां जाकर बैठ गये।

श्री भैरोंसिंह : चुनावों के बाद वहां नहीं जाते मैं चाहता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। मैं यह नहीं कहता कि एक्स्पेरिमेंट मत करिये, एक्सपेरिमेंट जरुर करिये। सोडियम सल्फेट पैदा करने से वहां ५ दिन में हो लाखों रुपयों का लाभ हो सकता है।

श्री माथुरादास माथुर : यह सब हो रहा है. मैं उत्तर दूंगा तब आपको संतोष होगा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो संतोष तभी होगा जब कि सोडियम सल्फेट वहां पैदा किया जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपको तो संतोष तब होगा जब ये कुर्सी से नीचे आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : अभी समाप्त करता हूं। राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसके लिए मैं इन परिस्थितियों में उस अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने में विवश हूं और एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा......

श्री अध्यक्ष : और भी कई मौके हैं।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट में समाप्त करता हूँ। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का जिक्र किया कि संख्या बढ़ाई गई है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि जितनी कोटा १२ महीनों में इंडस्ट्री को रन करने के लिए चाहिए उतना कोटा नही मिला है। इसमें ब्लैक होता है। इसको और सरकार को ध्यान देना चाहिए।

दूसरे राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नही होता क्योंकि राजस्थान में पावर शोर्टेज है। राजस्थान के शहरों की आबादी बढ़ रही हैं, और गांवों में हम बिजली नहीं दे पाते हैं। हम इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सस्ती कीमत पर बिजली नहीं दे सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट्स यहां आते हैं दूसरी स्टेट्स से, जहां बिजली सरप्लस है इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली देते हैं। यह कम्पीटीशन इंडस्ट्री में पावर के नाम पर जो चलती है वह देश के लिए बहुत बुरी है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से इस बात की कोशिश करे कि सारी पावर का नेशनल ग्रिड बन जाय। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ हैं इसके रेट्स नेशन के अन्दर एक होने चाहिए और जब सारे रेट्स एक होंगे तो उसका परिणाम निश्चय पूर्वक राजस्थान सरकार को इन्डस्ट्री के नाम पर मिलेगा। यह आखिरी सुझाव देता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(११.१२ म.पू.)

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचंद जैन।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हुजूर आपने मुझे कहा था।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया उस पर मैं काफी गंभीरता से मनन कर रहा था और देखने की कोशिश कर रहा था कि इस अभिभाषण के द्वारा राजस्थान ने क्या प्रगति की है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें संदेह नहीं कि हम धीरे धीरे प्रगति-पथ पर चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बुनियादी तौर पर हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी ओर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। परन्तु मैं इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकता कि आज १६ साल के बाद भी हमारे राजस्थान की जनता की जो स्थिति है उस पर हमको गंभीरता से ध्यान देना होगा और सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज चारों तरफ से जन-साधारण की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, उनका क्या समाधान करना चाहते हैं। इसके बारे में मतभेद हो सकते हैं, परन्तु मैं इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूं इससे पहले कल जो इस बहस के दौरान में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये अनायास ही मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया।

सबसे पहले विरोधी दल के माननीय नेता ने सदन के समक्ष कुछ अपने विचार रखे और बहुत जोर से उन्होंने कुछ बातें सदन के अन्दर कहीं। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई। इसलिए मैं सबसे पहले उनका उल्लेख यहां पर करना चाहता हूँ।

कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनके बारे में मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे मतभेद नहीं होने चाहिए। कल उन्होंने यह कहा कि समाज-

(श्री फूलचन्द जैन)

वाद और प्रजातन्त्र साथ साथ नहीं चल सकते। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वे क्या चाहते थे। समाजवाद इस देश के अन्दर ये नहीं लाना चाहते थे, यह उनकी मन्शा थी या जनतन्त्रवाद उनको पसन्द नहीं है। इसका स्पष्टीकरण तो वे ही कर सकते हैं पर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अन्दर समाजवाद लाने का हमारा दृढ़ संकल्प है, वह हम जनतन्त्रवाद के द्वारा ही लायेंगें। इसके अन्दर जो रुकावटें आएंगी उनका दृढ़ता से मुकाबला करेंगे और कोई भी शक्ति जनतन्त्रवाद के द्वारा इस देश के अन्दर समाजवाद लाने की दिशा में हमारे मार्ग में रुकावटें नहीं डाल सकती।

इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे और भी मुझे हैरानी हुई। विरोधी दल के माननीय नेता ने कल ही सदन के अन्दर यह कहा कि चीन को हम अपनी भूमि से नहीं खदेड़ सकते। अपने भाषण के दौरानमें उन्होंने यह बात कही और मैं नहीं समझता कि विरोधी दल के माननीय नेता के मुंह से इस प्रकार के शब्द सदन में कहे जायं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : उन्होंने कहा कि अगर मित्रों ने सहयोग नहीं दिया तो।

श्री फूलचन्द जैन : यह भी सही हो सकता है, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी से हमको सहयोग मिले या नहीं मिले, हमारा यह नैतिक कर्त्तव्य और दृढ़ संकल्प है कि हम चीन को अपनी भूमि से जिस पर उसने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, किसी भी सूरत में खदेड़ेंगें।

श्री केसरीसिंह : तो फिर हमला करो।

श्री फूलचन्द जैन : यह हो सकता है कि कौनसा समय उचित रहेगा और किस तरह से कार्य किया जायगा परन्तु क्या विरोधी दल के नेता यह चाहते है कि ब्रिटेन, अमरीका या दूसरे देश हमें मदद नहीं दें तो हम चीन के सामने सरेंडर कर जायं। क्या वे चाहते हैं कि हम इस डर के कारण कि काश ब्रिटेन और अमरीका ने मदद नहीं की तो चीन को खदेड़ नहीं सकते। हम चीन और अमरीका के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। मैं समझ नहीं पाता कि इतने समझदार होकर भी एक दल के नेता होकर इस प्रकार के विचार यदि यहां पर व्यक्त किए जाय तो उनके बारे में क्या करना चाहिए।

श्री केसरीसिंह : यदि अकेले ही खदेड़ सकते हो तो फिर देरी क्यों कर रहे हो?

श्रीफूलचन्द जैन: यह बात आपकी समझ में नहीं आ सकती क्योंकि आप कोशिश नहीं करते। मै आपसे निवेदन करूं कि आपके कुछ विचार ऐसे हैं जिन्हें मैं समझ नही पाता कि स्वतन्त्र पार्टी क्या बोलती है।

(१०.१६ म. पू.)

(श्री भीमसेन सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने एक बात और कही। पाकिस्तान और काश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि काश्मीर समस्या को आज तक हम हल नहीं कर पाए हैं और करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं मैं आपसे निवेदन करूं कि उनकी यह हिम्मत क्यों नहीं होती है कि सबसे पहले कहने की जोकि स्वतन्त्र पार्टी के नेता, श्रीराजगोपाला-

(श्री फूलचन्द जैन)

चारी हैं उसको जो कहते हैं कि काश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाय । वे छिपाते क्यों हैं, वे ये क्यों नहीं कहते कि हम काश्मीर हर्गिज पाकिस्तान को नहीं देंगे । वे यह भी नहीं कहते कि वे पाकिस्तान को सौंपना क्यों चाहते है ? क्योंकि उनके नेता कुछ कहते हैं । ये परिस्थितियां जब वे देखते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है ऐसी बात कहने की । मैं आपसे निवेदन करु कि स्वतन्त्र पार्टी के महारावल साहब, विरोधी दल के नेता, हमारे यहां स्वतन्त्रपार्टी के विचार प्रकट करते हैं । उनको यह देखना पड़ेगा कि स्वतन्त्रपार्टी के बारे में जो कुछ भी वे कहते हैं वास्तव में उनके दल वाले वैसा करते हैं या नहीं ?

यह नहीं हो सकता कि स्वतन्त्र पार्टी की जो नीति है उसका इन्टरप्रिटेशन दूसरे ढंग से करके लोगों को यह दिखाना चाहो कि लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है । नागरिकों के बुनियादी हक और उनकी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने के लिए आप कहां तक कर सकेंगे, यह राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है । राजस्थान का हर एक नागरिक जानता है कि आप उनके हकों के लिए कहां तक लड़ते हैं ।

कुछ राष्ट्रीय प्रश्न हैं । जब तक आप उनके सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट नहीं करते हैं तो शंका होती है कि दिल में आपके कुछ और है और ऊपर से कहते कुछ हैं । माननीय सभापति महोदय, महुआ के चुनाव से लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ी विजय हासिल करली । यह बात सही है कि स्वतन्त्र पार्टी का उम्मीदवार महुआ इलेक्शन में विजयी हुआ । स्वतन्त्र पार्टी की यह विजय हुई, मैं ऐसा नही मानता । मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महुआ का चुनाव जीत कर और राजस्थान में कुछ नगरपालिकाओं के चुनाव जीत कर आप राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हो कि स्वतन्त्र पार्टी जनता के हकों की रक्षा करेगी, तो यह आपका भ्रम है । राजस्थान की जनता आपको जानती है । राजस्थान की जनता यह भी अच्छी तरह से जानती है कि स्वतन्त्र पार्टी का जन्म कब हुआ । राजस्थान के राजपूत और छोटे २ जागीरदार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उनकी जागीरी छीनी जा रही थी, जब उनकी जागीरियों पर राजस्थान सरकार अधिकार कर रही थी उस समय यह स्वतन्त्र पार्टी कहां चली गई थी, राजा-महाराजा कहां चले गये थे ? उन जागीरदारों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए वे नहीं आये । उन पर उस समय कोई असर नहीं पड़ा, जब वे जागीरदार लुट रहे थे, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ा । जयपुर के महाराज उस समय राजप्रमुख थे ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप जैसे मर गये जब यह पैदा हुई । आप लोग जैसे चोर पैदा हो गये तब यह पार्टी पैदा हुई ।

श्री फूलचन्द जैन : उस समय स्वतन्त्र पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था । राजा-महाराजा चाहते नहीं थे ।

श्री मानसिंह महार : घबराते क्यों हो ? हम तुमको खा जाएंगे । यह तो महुआ का ही इलेक्शन देखा है ।

श्री फूलचन्द जैन: हमको क्या खावोगे ?

श्री रामकिशन ; सभापति महोदय, यहां तो मानव-भक्षी आ गये हैं । उनको सदन से निकालो ।

श्री फूलचन्द जैन : जब धीरे धीरे उनको पता चला कि समाजवाद इस देश में आकर रहेगा और वह जनतन्त्र के द्वारा आयगा तो उन लोगों को यह भय लगा कि जो हमको प्रिवीपर्सेज़ और सुविधायें मिल रही हैं वे जाने वाली हैं, हमारे ऊपर हमला होने जा रहा है तब स्वतन्त्र पार्टी का उदय हुआ। आप चाहे जितनी भी बात कह लीजिये । जब छोटी-मोटी जागीरें रही थीं उस समय आप चुप थे और अपनी सुविधाओं को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील थे, वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। जब आप जनता को भुलावे में डाल कर आजादी की बात करते हैं। राजस्थान की जनता इतने भुलावे में आने वाली नहीं है । मैं यह मानता हूँ कि आदमी जिम्मेदारी के साथ काम करता हैं तब ही राज्य चलाया जाता है । मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, जब आदमी सत्ता में नहीं होता है तो दुनिया भर की बातें कहता है और जब सत्ता में आता है तो उनके विपरीत आचरण करता है मतलब यह कि जिम्मेदारी आने के बाद आदमी को किस तरह सोचना पड़ता है और काम करना पड़ता है। नारे लगाने से और आन्दोलन करने से और परिस्थितियों का फायदा उठाने से कहीं जीत हो जाय तो डंके की चोट यह कहना कि यह कर दिया, वह कर दिया: इससे केवल आत्म-संतोष ही कर सकते हैं । वास्तविक फायदा नहीं ।

श्री मानसिंह महार : आत्म संतोष तो आप कर लीजिये ।

श्री फूलचंद जैन : घबराइये नहीं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं स्वतन्त्र पार्टी के बारे में इससे अधिक कहना नहीं चाहता क्योंकि हमे उसकी कोई फिक्र नहीं है और हमको इस बात की पूरी तसल्ली है कि वे जो कुछ काम कर रहे हैं उसका परिणाम सामने आयगा । स्वतन्त्र पार्टी जैसे आयी वैसे ही अपने घर चली जायगी । नागरिक स्वतन्त्रता की बात करते है ? जिसका पाठ उन्होंने खुद ने नहीं पढ़ा, उसको लोगों को पढ़ाना चाहते हैं । लोगों को भुलावा देना चाहते हैं । लोगों को भुलावे में हम नहीं आने देंगे ।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मुझे इस बात से भी हैरानी हुई कि किस प्रकार से विचार प्रकट किये गये हैं। अभी जनसंघ के माननीय अध्यक्ष ने अपने विचार प्रकट किये । काफी सारगर्भित भाषण उन्होंने सदन के अन्दर दिया । मैं नहीं समझ सका कि वे किस कारण से माननीय विरोधी दल के नेता के विचारों के बारे में अपने विचार प्रकट करने से रुक गये । मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जनसंघ क्या इस बात को पसन्द नहीं करता है कि काश्मीर पाकिस्तान को सौंप दिया जाय ? जनसंघ कभी इस बात को पसन्द नहीं करता कि चीन को हम अपनी भूमि से नहीं खदेड़ें । कुछ इस तरह की बातें सदन में कही गईं, मैं तो ऐसा मानता था कि वे इससे सहमत नहीं होंगे; परन्तु आज जब उन्होंने अपने आपको इस बारे में मौन रखा तो मुझे भी शका हुई कि उनकी भी कुछ सांठ-गांठ अन्दर से कुछ ऐसी है विचारों की दृष्टि से, अपने विचार दबा कर उनका साथ निभाने की दृष्टि से, चाहे राष्ट्र का अहित हो रहा हो तो हो वे ऐसा कर गये, ऐसा प्रतीत हुआ उनके भाषण से । यह सोचने की बात है जब कि देश के राजनैतिक दलों का ऐसा हाल हो । उस समय मैं आशा तो यह करता था कि

(श्री फूलचन्द जैन)

राज्यपाल महोदय के भाषण पर इस सदन में जो बहस होगी उसमें राजस्थान की पिछली प्रगति का लेखा-जोखा और आगे नीति संबंधी जो बुनियादी बाते हैं उन पर रचनात्मक दृष्टिकोण से बहस की जायगी ।

श्री मानसिंह महार : वह करो ना ।

श्री फूलचन्द जैन : हम तो एक्शन में भी करते है । हम कम बोलते हैं और ज्यादा काम करते हैं ।

श्री मानसिंह महार : क्या किया ? पन्द्रह वर्ष में राजस्थान की जो देश की बर्बादी ही की । बर्बादी करने के सिवाय और कोई काम किया हो तो बता दो ।

श्री फूलचंद जैन : मुझे हैरानी हुई इस बात से कि इतना बड़ा राजनैतिक दल है और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद जो विचार उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रकट किये । मुझे तो ऐसा लगता है कि विरोधी दल केवल आलोचना करने के लिए ही बना है।

श्री मानसिंह महार : अब के समझदारी की बात कही ।

श्री फूलचन्द जैन : किस प्रकार से अपने हकों की आप रक्षा करें इसीलिए यह है ।

श्री मानसिंह महार : आप भी अपने हकों की रक्षा इन्हीं कुर्सियों पर बैठ कर कर रहे हो ।

श्री फूलचन्द्र जैन : अब मैं इस प्रसंग में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि माननीय सदस्य को बहुत हैरानी होती है ।

श्री मानसिंह महार : मुझे कुछ हैरानी नहीं हो रही है ! हैरानी तो आप लोगों को हो रही है ।

श्री फूलचन्द जैन : मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के समक्ष गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखना चाहूंगा ।

श्री रामकिशन : (वैर) आप दब गये ।

श्री फूलचन्द जैन : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले पीने के पानी की समस्या की ओर आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यो का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं ऐसा महसूस करता हूं कि राजस्थान बनने के बाद और अब तक के अर्से में इस ओर जितने भी प्रयत्न किये गये उनसे राजस्थान की इस समस्या का बहुत कम समाधान अभी तक हो पाया और अगर मैं यह निवेदन करूं तो इसमें भी कोई अनुचित बात नहीं होगी कि राज्य सरकार जितनी बात करती है चाहे इसके कुछ भी कारण हो परन्तु उस पर उसी अनुसार अमल नहीं होता है । यह मैं खास तौर से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह गम्भीरता से सोचने की बात है कि अभी भी अगर गांवों के अन्दर, शहरों के अन्दर लोगों को पीने के पानी के अभाव के कारण मे भयंकर मुसीबतें उठानी पड़ें, वह शोभा की बात नहीं हो सकती ।

(११.३० म पू.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इस प्रसंग में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कुछ

(श्री फूलचन्द जैन)

ऐसी हालात है जिनको वर्दाश्त नहीं किया जा सकता । मसलन मैं आपसे सुजानगढ़ की जल समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । यह ४० हजार की आबादी कस्बा है आज वहां की स्थिति यह है कि वहां पर दुर्भाग्य से खारा पानी होने की वजह से पीने का पानी मुहैया नहीं होता है। और इसकी वजह से वर्षों से जब से सुजानगढ़ बसा है तब से यह समस्या जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है यह समस्या भयकर बनती जाती है। राज्य सरकार का ध्यान बराबर इस ओर खींचा गया है। कहने को तो यह कहा जाता है कि पांच हजार से ऊपर की आबादी वाले हर गांव और कस्बे की पानी की समस्या का हल किया जायगा, लेकिन यह सुजानगढ़ जिसकी आबादी ४० हजार की है उसकी जल समस्या का हल नहीं किया गया है। खास तौर से इस प्रसंग में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां की जनता इस समस्या के हल के लिए जितना भी कॉन्ट्रीब्युशन आप उनसे लेना चाहें वे देने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि राज्य सरकार उनसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्युशन चाहें तो वह भी देने के लिये तैयार है। अफसोस की बात है कि दूसरों के लिये नहीं, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जितनी बार भी सुजानगढ़ पधारे हैं वहां पर उन्होंने इस बात का जरूर आश्वासन दिया है कि इसका जरूर इन्तजाम हो जायगा लेकिन आज तक सरकार इस बारे में सक्रिय कदम नहीं उठा पायी है। ऐसी हालत में मैं यह उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे आश्वासन नहीं दिये जायं तो भी अच्छा है, इससे हमारी परेशानियां बढ़ती हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जल-समस्या को हल करने के लिये वहां के नागरिकों की ओर से अभी तक लाखों रुपया खर्च किया जा चुका है बोरिंग के काम के लिये और दूसरे दूसरे कामों के लिये, ताकि किसी तरह से पानी मिल जाय और वाटर वर्क्स की स्कीम चालू हो जाय। इस बारे में काफी खर्च किया गया है, लेकिन राज्य सरकार को इस बात का गौरव प्राप्त नहीं कि उसके द्वारा इस बारे में एक भी पैसा खर्च किया गया हो, सिवाय आश्वासनों के।

दूसरी तरफ स्थिति यह है कि वहां के नागरिक अपने पास से पैसा खर्च करके बोरिंग आदि दूसरे काम करवाते हैं। उसमें भी प्रशासन का जो सहयोग मिलना चाहिये उसमें भी प्रशासनिक अव्यवस्था की दृष्टि से इतनी दिक्कतें आती हैं कि हैरानी होना स्वाभाविक है। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जल की समस्या है सुजानगढ़ के लिये इसको सीरियसली टेक अप किया जाना चाहिये। और भी अकाल ग्रसित क्षेत्रों के अन्दर जहां पीने के पानी का अभाव है, जहां इस वर्ष और पिछले वर्ष भी वर्षा न होने की वजह से पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गई है, चाहे प्लानिंग हैड में वह आता हो या नहीं, रेवेन्यु हैड से भी व्यवस्था करनी पड़े तो भी इस पानी की समस्या का हल निकालना चाहिये।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसमें हमारी राज्य सरकार के कुछ निश्चय हमारे सामने आये हैं, उनमें से यातायात का राष्ट्रीयकरण किया जायगा, यह एक महत्वपूर्ण निश्चय है। इस निश्चय का मैं स्वागत करता हूँ,

(श्री फूलचन्द जैन)

इसका स्वागत करने के साथ साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, जितना जल्दी हो सके धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण करने की दृष्टि से सारे राजस्थान को अपना कार्य क्षेत्र बना लेना चाहिये । आज इस संबन्ध में आलोचनायें या शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि अमुक जगह पर अमुक तरीके से गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है । आज की ही बात है, भरतपुर जिले के अन्दर बस दुर्घटना हुई, जिसमें काफी सवारियां मारी गईं । इसका यह कारण है कि उसमें ज्यादा सवारियां बैठी हुई थीं, पुराने मोडल की गाड़ियां चलायी जाती हैं, इन सब का समाधान केवल रूटों का राष्ट्रीयकरण करने से ही हो सकता है ।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे राजस्थान के अन्दर पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक दृष्टि से काफी प्रगति हुई है, लेकिन जैसी प्रगति होनी चाहिये वैसी प्रगति नहीं हुई है और जहां तक मैं समझ पाया हूं मैं ऐसा मानता हूं छोटे छोटे उद्योग-धन्धे लगाने वाले जो लोग हैं उनके सामने प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं जिस वजह से वे चाहते हुए भी उद्योग-धन्धे नहीं लगा पाते । दूसरी जो दिक्कतें आती है आम तौर पर जो कुछ ऐसी इन्डस्ट्रीज़, हैं जिनका कोटा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जिनके बारे में आम तौर पर शिकायत रहती है इस प्रकार के कोटे का दुरुपयोग किया जाता है क्योंकि जो कोटा मिलता हैं उसका बाजार भाव और जो उसको मिलता है उस भाव में काफी अन्तर होता है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वास्तव में जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने दिक्कतें आती हैं, उनके ऊपर भी शंका की जाती है; अगर ये इन्डस्ट्रीज़ जो लगाना चाहते हैं इस कोटे के कारण लगाना चाहते हैं तो इस संबन्ध में राज्य सरकार की कमजोरी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर कोई उद्योगपति कोटे का दुरुपयोग करता है तो उसकी जांच कर सख्त से सख्त कार्यवाही करने का अधिकार आपका है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका दुरुपयोग होगा । इस वजह से वास्तव में जो काम करना चाहते हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और इस तरह से राजस्थान में उद्योग-धन्धे पनप नहीं सकते । इसके साथ साथ राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से जो साल में दो-तीन मीटिंगें होनी चाहिये उसका भी अभाव है, इसका मुख्य कारण है कि जितना इन उद्योगों को पनपाना चाहिये उतना उन्हें नहीं पनपा रहे हैं । सौभाग्य से चूरू और नागौर को ग्रामीण इन्डस्ट्रियेलाइजेशन का सेन्टर बनाया गया है । मैं खास तौर से चूरू जिले के बारे में निवेदन करूंगा, ग्रामीण औद्योगीकरण की दृष्टि से जिसकी कि बहुत आवश्यकता है इन प्रोजेक्ट्स पर जिस प्रकार का काम होना चाहिये उस संबन्ध में काम होना तो दूर रहा इसके लिये जो कमेटी बनी हुई है वे किस प्रकार से इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट का काम करे, इसका भी ज्ञान उनको नहीं है । इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं जिसके कारण हमारे काम की गति मन्द हो जाती है । इस तरह हमारा ध्यान तेजी से जाना चाहिये और इसके साथ साथ कुछ इस तरह की सामग्री आम जनता के अन्दर वितरित की जानी चाहिये जो उस क्षेत्र में आते हों, जिनकी उसमें दिलचस्पी हो, वे जानकारी के आधार पर जल्दी अपने

(श्री फूलचन्द जैन)

उद्योग लगाने की दृष्टि से सारी कार्यवाही करवा सकें।

श्री सभापति : आप जरा संक्षेप में कहिये।

श्री फूलचन्द जैन : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

अब मैं अकाल की स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि फेमीन रिलीफ के काम काफी शुरू किये गये हैं इससे अकाल-ग्रसित क्षेत्र को राहत मिली है. लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं अब तक जो कुछ भी धन-राशि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में व्यय की जाने को रखी गई है. आगामी वर्षा ऋतु तक उसी तरह से वह व्यय होनी चाहिये यह न हो कि पहले ही काम रोक दिया जाय। इसके लिये गंभीरता से विचार करके यह दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि आगामी वर्षा ऋतु तक जो अकाल-ग्रसित क्षेत्र में रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं वहां उनको जारी रखा जाना चाहिये और जहां पर भी जो काम किया जाय वह स्थायी हल लिये हुए हो और उसकी योजना आगामी वर्षा ऋतु तक की योजना बनायी जानी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि जो धन-राशि हमने इसके लिये निर्धारित की है वह जल्दी ही खत्म हो जाने पर वहां के लोगों के सामने पैसे वगैरह की दिक्कत पैदा न हो जाय।

अब मैं खाद्यान्नों के बढ़े हुए भावों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बारे में सरकार को सख्त नीति अपनानी चाहिये। इस बारे में सरकार को केन्द्रीय सरकार से अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करना चाहिये और राजस्थान के कोटे को ऐसे खाद्यान्नों के लिये, जो बाहर से आते हैं, बढ़वाना चाहिये। अब इसमें सरकार की क्या कमजोरी है, मैं नहीं जानता। पर राजस्थान की जनता राहत चाहती है। इस काम में सदन आपके साथ है कि आप इसके लिये क्या प्रयत्न करते हैं। इस दिशा में सरकार को तेज और सख्त कदम बढ़ाने चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आज इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्थान बनने के बाद इस क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। पढ़ने वाले छोटे-बड़े बच्चों की संख्या बढ़ी है। पर शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये था, जिसके लिये हम सब काफी असें से सोचते-विचारते आ रहे हैं उस ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियां उसका भविष्य है। भविष्य की इस बुनियाद को अच्छी डालने के लिये हमें शिक्षा प्रणाली में शीघ्र परिवर्तन करना चाहिये। उनका अच्छा भविष्य अच्छी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : You have takan 45 minutes. आपने ४५ मिनिट ले लिये है, अब संक्षेप में बोलें।

श्री फूलचन्द जैन : शिक्षा प्रणाली की त्रुटियों की ओर काफी गम्भीरता-पूर्वक और

(श्री फूलचन्द जैन)

सोच-विचार से हमें ध्यान देना चाहिये और इन्हें दूर करने के लिये जल्दी कोई ठोस कदम उठाने चाहिये। इतना ही निवेदन करके सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह (जायल): सभापति महोदय, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अन्दर कई गम्भीर समस्याओंका जिक्र तो किया है, पर उनका समाधान जहां विस्तारपूर्वक करना चाहिये था, नहीं किया। इसे मैं एक त्रुटि समझता हूं।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह राज्यपाल के भाषण के द्वारा अपनी नीति प्रकट करती है, इसलिये जब राज्यपाल अपना अभिभाषण दें तो उस समय मुख्य मुख्य समस्याओं के समाधान का भी विस्तार-पूर्वक कथन किया जाना आवश्यक है।

इन समस्याओं में दो मुख्य प्रकार की समस्यायें हैं; एक तो ऐसी समस्याएं जो चीन और पाकिस्तान से सम्बन्ध रखती हैं। ये समस्याएं हल करने का भार केन्द्र पर है। काफी हमारी कमजोरियों और गलतियों के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं। दूसरी समस्याएं हमारी अपनी हैं, राजस्थान की हैं, ये आर्थिक दृष्टि की हैं इन कठिनाइयों और समस्याओं का हमने पूरी तरह से मनन और समाधान नहीं किया इसलिये ये बढ़ती जा रही हैं। मैं उन समस्त प्रकार की समस्याओं पर यहां विचार न रखकर कुछ समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

पानी की हमारी समस्या है। खेद है कि सरकार इसे दूर नहीं कर सकी। राजस्थान का उत्तर-पश्चिमी इलाका रेगिस्तानी है। यहां अभी तक पानी की कमी है। कम से कम आठ-आठ और दस-दस मील दूर से पानी लाना पड़ता है। सन् ५२ से आज तक इन समस्याओं पर सदन में बराबर विचार कर रहे हैं परन्तु राज्य सरकार इसे दूर नहीं कर सकी है।

दूसरी इसी से सम्बन्धित समस्या है कि कुछ इलाकों में पानी है बहुत ही खारा है। मवेशी भी उसे नहीं पी सकता, पी ले तो मर जाती है।

नागोर जिले में उत्तरी भाग में खारी पट्टी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, वहां वैसे ही पानी की कमी है, पर जो भी कुछ पानी है, वह भी इतना खारा है कि मवेशी भी उसको पी नहीं सकती।

इस समस्या को कुओं से भी हल नहीं कर सकते। यह या तो होज बनाकर कैचमेंट एरिया होजों को बहुत ज्यादा देकर कर सकते हैं ताकि दो-तीन साल का पानी उसमें ठहर सके, तो कुछ हद तक यह कठिनाई वहां की कुछ दूर हो सके। बारबार इसके कहने पर कि वहां होज बनाये जायें उसके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि वहां पर कुछ दूरी पर पर, दस-बारह मील की दूरी पर जो मीठे पानी के कुए हैं उनके पानी को बढ़ाया जाकर पाइप लाइन से जो इलाके खारे पट्टी के हैं वहां पहुंचाया जाये। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक हल नहीं की जा सकेगी। इसलिये सर्व प्रथम यह जरूरी है कि वहां पर होज

(श्री गंगासिंह)

बनाये जायें और होज इतने बड़े बड़े बनाये जायें जिससे दो-तीन साल का पानी वहां ठहर सके।

इसके साथ ही साथ दो दूसरी समस्याएं हमारे क्षेत्र के अन्दर हैं, इसकी ओर भी सभापति महोदय मैं आपका पूर्ण तौर से ध्यान आकर्षित करूंगा। नागौर जिले में जायल तहसील, मेड़ता तहसील, डेगाना और लाडनूं और डीडवाना का कुछ इलाका है, उनमें घोर अकाल है और अकाल के संबंध में कलेक्टर द्वारा जो नियम अनुसार अकाल-ग्रसित गांव निर्धारित किये गये थे उसके अन्दर यहां के आदमियों से बात-चीत तक नहीं की। वहां के प्रधानों ने, एम० एल० ए० ने भी आपत्तियें कीं परन्तु वे इलाके जहां कि नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ इसके ऑब्जेक्शन्स कॉल किये थे उन ऑब्जेक्शन्स पर जो विचार आये उनके ऊपर कोई तवज्जोह नहीं दी गयी। यहां तक कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां ६ आना ८ आना अकाल बताया गया है सरकारी रेकार्ड के अनुसार वहां पर लोग बिल्कुल अकाल ग्रस्त हैं, जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, वहां पर एक जायलीगांव है उसमें पटवारी का जो रेकार्ड है उसके आधार पर इस गांव के अन्दर ९६ प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन जो कलेक्टर साहब ने अपना निर्णय दिया है वह ६ आना और ८ आना ही नुकसान बताया है। जब डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी हुई तो उनसे पूछा गया कि आपके इस प्रकार ६ आना और ८ आना आंकने का क्या आधार रहा है तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ इलाके निर्धारित कर दिये और यदि इस गांव को १० या १२ आना रखेंगे तो दूसरे गांव वाले चिल्लायेंगे। इसलिए जिस इलाके में जो गांव आ गया उसके अनुसार ही हमने इसका निर्धारण कर दिया। यह जो रवैया अकाल मानने का हमारे डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है वह बिलकुल गलत रवैया था। हकीकत में जिसका जितना फसल का नुकसान होता है उसके आधार पर ही आपको अकाल घोषित करना चाहिए था और उसी के आधार पर आपको रेमीशन के लिए सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसके साथ ही साथ जब कि हमारा क्षेत्र अकाल से ग्रसित है और ६ आना और ८ आना के नुकसान के जो आंकड़े आपने बताये हैं वहां पर १२ आना से ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अब यह आश्वासन दे दिया गया है और सरकार ने यह तय भी कर दिया है कि इन क्षेत्रों में जो ६ आना, ८ आना आता है अकाल घोषित किया दिया जावे तो अब जल्दी से जल्दी यह हुक्म दिया जाये कि उन गांवों में लगान की वसुली नहीं की जावे। बारबार आश्वासनों के बावजूद भी और यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी हुई थी उसमें भी तय होने के बाद में यह जो ६ आना और ८ आना के आंकड़े आते हैं उनको अकाल-ग्रस्त मान लिया जाये और इनके लिए जल्दी से जल्दी गजट नोटीफिकेशन हो जाये, लेकिन वह नोटीफिकेशन अभी तक शाया नहीं हुआ है और उसके कारण अभी तक कई काश्तकार पीड़ित हैं, उनसे रकम वीघोड़ी की वसूल की जा चुकी है और जहां तक मुझे जानकारी है आज दिन तक जब कि गजट नोटीफिकेशन इन गांवों का नहीं हुआ है वह फौरन कराया जाये जिससे काश्तकारों को राहत पहुँच सके। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब आपने यह तय कर लिया है और आपने अपनी केबिनेट की मीटिंग के अन्दर तय

(श्री गंगासिंह)

कर दिया है कि इन गांवों को अकालग्रस्त घोषित मानते हैं तो संबधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इस संबंध में आदेश दे दिया जाये कि इन गांवों में लगान की वसूली नहीं की जाये। इस संबंध में जब कि हमारे गांवों के अन्दर चारों तरफ अकाल ही अकाल है राहत कार्यों के संबंध में मैं आपसे कुछ अर्ज करूंगा। जो राहत कार्य इन क्षेत्रों में अभी दे रहे हैं वे काफी नहीं हैं। जो सड़कें बन रही हैं उन सड़कों का कुछ काम शुरू हुआ है, लेकिन काफी काम जो डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी द्वारा तय किये जाने की सिफारिश की गई है, जिनके लिए गवर्नमेन्ट के सम्मुख आवेदन-पत्र भी पेश कर दिये गये हैं, लेकिन उन पर अभी तक विचार नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ जो सड़कें हैं, उन पर मिट्टी का काम तो चालू है, लेकिन जो कंकड़ी है वे डाली नहीं जा रही हैं। इसलिए महीने, डेढ़ महीने के अन्दर जो पश्चिमी हवायें आयेंगी उससे सारी सड़कें खराब हो जायेंगी और गवर्नमेन्ट का पैसा बरबाद हो जायेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि सड़कों पर मिट्टी की सड़कों के साथ कंकरी भी डालना शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका हजारों रुपया जो सड़कों पर लग रहा है वह काफी बरबाद हो जायेगा।

इसके साथ ही साथ एक बात और अर्ज करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर खड्डी काफी तादाद में निकलती है। पहले तो खड्डी का कोई उपयोग नहीं होता था लेकिन जब देखा गया कि यह रॉमेटीरियल भी बहुत उपयोगी है तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने इसको अपने हाथ में ले लिया है और राजस्थान सरकार और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के बीच में काफी बात-चीत चल रही है कि इस खड्डी की खानों को किस तरह से खुदाई की जाये। लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं होने से वे खानें अभी तक पड़ी हुई हैं जिससे हजारों आदमी जो कि अकाल - ग्रस्त क्षेत्र के अन्दर काम कर सकते थे और जिनको मजदूरी मिल सकती थी वह बेकार हो गये हैं। तो स्टेट रिलीफ कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी मेरा अनुरोध था कि खड्डी की खानों की समस्या को जल्दी से जल्दी तय कर दिया जाये और आज भी यह अनुरोध करूंगा कि ये जो खानें हैं इसके लिए आप जल्दी से जल्दी तय कर लें और इनको चाहे आप स्टेट लेवल पर चलायें, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट किसी को ठेका देकर चलाये, इससे हमारा मतलब नहीं, लेकिन हमारा मतलब इससे इतना ही है कि इनका काम जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाये जिससे मजदूरों को राहत पहुंचे और जहां खड्डी की खानें हैं वह अकाल ग्रस्त एरिया है और वहां राहत लोगों को मिल सकेगी।

इसके साथ ही साथ हमारे यहां पानी की समस्या के सम्बन्ध में और अकाल का उससे सम्बन्ध होने के कारण मेरा यह अनुरोध है कि इस समय करीब-करीब सारे तालाब सूखे हुए पड़े हैं। उस क्षेत्र में तालाबों का पानी पिया जाता है, बड़े-बड़े तालाब हैं और एक-दो बरसात हो जाती है तो तालाबों के अन्दर १॥-२ वर्ष का पानी आ जाता है और तालाब सूखते नहीं हैं। लेकिन इस समय बरसात नहीं होने से वह तालाब सारे के सारे सूखे हुए पड़े हैं। अगर इन तालाबों की खुदाई हो जाये तो वे तालाब आपके पानी की समस्या को पूर्ण रूप से उस इलाके में हल कर सकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि रिलीफ

(श्री गंगासिंह)

वर्क्स के लिए जहां सड़कें वगैरह के लिए काफी पैसा सरकार दे रही है। उसके साथ-साथ तालाओं के लिए और झोड़ों के लिए जहां नाड़ियां वगैरह हैं वहां काफी तादाद में पैसा दिया जाये जिससे कि जो पानी की समस्या है वह भी काफी हद तक दूर हो सकेगी और लोगों को अकाल के समय में राहत भी पहुंचेगी।

इसके साथ ही साथ अकाल के समय हमारे वहां घास के डिपोज खोलने का प्रबन्ध हुआ है। लेकिन २-३ जगह के सिवाय ये डिपो नहीं खोले गये हैं। वहां पर भी जो अभी तक घास ले जाया गया है वह भी इतना खराब है कि वहां के मवेशी उस घास को खा नहीं सकती हैं। यहां तक की कलेक्टर के जरिये गवर्नमेंट को भी समाचार दिया गया था कि इस तरह की घास नहीं भेजी जाये क्योंकि इसको हमारे यहां के मवेशी नहीं खा सकते हैं तो जो अच्छी घास वहां पहुचने को थी वह अभी तक नहीं पहुंच सकी। उसके बजाय ऐसी घास पहुंची है कि जिसको कोई मवेशी खा नहीं सकती। तो ऐसी घास को भेजने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुरोध है कि या तो अच्छी जोड की घास भेजी जाये जिससे कि मवेशी उसको खा सके वर्ना जो घास अभी वहां भेजी जा रही है वह नहीं भेजी जाये।

इसके साथ-साथ अकाल के अलावा मैं एक समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि हमारा जो विचार सपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का था वह सेपरेशन पूर्णतया नहीं हो रहा है जब बार-बार सरकार से यह अनुरोध किया गया था तो सरकार का यह आश्वासन रहा कि इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जायगा, परन्तु अभी तक वह सेपरेशन नहीं हो रहा है।

(१२.०० मध्यान्ह)

इसके साथ-साथ लैण्ड रेवेन्यू का जहां तक सम्बन्ध है, जो लैण्ड रेवेन्यू अकाल-ग्रस्त गांवों से नहीं लेने के लिए ऑर्डर्स हैं वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनको जल्दी से जल्दी भिजवाया जाय। अकाल-ग्रस्त गांवों के लिए स्टेट रिलीफ कमेटी ने जो सड़कें पास की हैं उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाय।

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उद्देश्यों पर जिक्र करते हुए खास तौर से तीन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। उसमें पहला जो पोइन्ट है वह यह है कि मातृभूमि की मर्यादा और स्वतन्त्रता की सर्वभावेन रक्षा हो। यह जो सवाल है मातृभूमि की रक्षा का यह मेनली चीन और पाकिस्तान की तरफ है और यह सेन्ट्रल का सब्जेक्ट है। लेकिन केवल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही यह बात नहीं हो सकती। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी योग अवश्य होता है और हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो फर्ज स्टेट गवर्नमेन्ट्स की तरफ से करना आवश्यक हैं उनकी तरफ हमको यह देखना है कि क्या हमारी राज्य सरकार ने उन बातों के लिए जो उनको करना

(श्री जुझारसिंह)

है पूरी तरह से कोशिश की है। चीन के आक्रमण के टाइम पर हमारे राज्य ने आवश्यक रुपया और धन देकर भारत सरकार की फौज के लिए इमदाद की है लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमानेन्ट बेसिस पर हमारी सरकार को करनी हैं, और उस पर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जितना एफर्ट हमारी तरफ से होना चाहिए था, उसमें कुछ कमी है। एग्जाम्पिल के तौर पर मैं चित्तौड़ के सैनिक स्कूल की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। सारे राज्यों में इस एमर्जेन्सी में सैनिक स्कूल शुरू किये गये हैं, और उसी तरह से राजस्थान में, चित्तौड़ में, सैनिक स्कूल चालू हुआ है। अभी जो मेरे को जानकारी मिली है उसके हिसाब से ६८ पर्सेन्ट बॉएज़ [boys] यहां पर राजस्थानी होते हैं, परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस राजस्थान के पंजाब के बाद में सबसे ज्यादा फौज में सिपाही भरती होते हैं, और जिन्होंने बोर्डर के डिफेन्स के लिए, वहां पर देश की रक्षा के लिए, जो बहादुरी के काम किये हैं उनको देखते हुए, यह हमारी राज्य सरकार का फर्ज हो जाता है कि आदमियों के अनुपात में, उनके रेश्यो में हमारे यहां के ऑफिसर्स भी जायें। अभी जो राजस्थान के ऑफिसर्स इन्डियन आर्मी में हैं उनकी दिनों-दिन कमी होती जा रही है और दूसरी ओर यह है कि यहां के हिसाब से फौज में पूरी तरह से ऑफिसर्स नहीं जा सकते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए सैनिक स्कूल एक ऐसी चीज है जिससे कि वह आवश्यकता पूरी हो सकती है। अभी एक प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने फर्माया कि हमारे यहां के बोएज़ [boys] स्टेण्डर्ड के नहीं होने की वजह से सैनिक स्कूल में राजस्थान का कोटा पूरा नहीं कर सके है। यह बहुत ही अफसोस की बात है, यहां के ऑफिसर्स की जो कमी है उस हिसाब से यहां से और ज्यादा भेजे जाने चाहिए। राजस्थान सैनिक स्कूल के अलावा हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहां के स्टूडेन्ट्स दूसरे सैनिक स्कूलों में भी जायं और फौज में जाकर अच्छे ऑफिसर बनें ताकि राजस्थान का जो ट्रेडिशन है उसको निभा सकेंगे। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे यहां हम सैनिक स्कूल की स्ट्रेंग्थ पूरी नहीं कर पाते तो हमारी राज्य सरकार के लिए शोभनीय बात नहीं है। तो मैं राजस्थान सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो कोटा राजस्थान सैनिक स्कूल, चित्तौड़ में राजस्थान के लिए निर्धारित है उसके लिए पूरी कोशिश करें कि वह कोटा भर जाये और भी यह एफर्ट्स किये जायं जिससे हमारे यहां के ज्यादा से ज्यादा आदमी भारतीय सेना में अफसरों के रूप में भरती हो सकें, क्योंकि जो फौजी रिक्रूट्स हैं वे हमारे इलाके के बहुत हैं तो उन लोगों में डिस्एपोइन्टमेंट होता है कि हमारे यहां के ऑफिसर्स उस रेश्यो में नहीं जा पाते हैं। इसलिए राज्य सरकार को कोशिश करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है जब कि चीन की एमर्जेन्सी शुरू हुई है तो भारत सरकार ने महसूस किया है कि जिन इलाकों में चीन के मुकाबले में लड़ाई करनी पड़ती है वहां खच्चरों और घोड़ों की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि वहां पर मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन्स बहुत डिफिकल्ट है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार

(श्री जुझारसिंह)

लाखों रुपये के खच्चर और घोड़े इटली और दूसरी जगह से मंगा रही है। राजस्थान ट्रेडिशनली होर्स ब्रीडिंग का एरिया है। इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना है और उस पर पूरी तरह से एफर्ट्स करती है तो हम होर्स ब्रीडिंग और म्युल ब्रीडिंग यहां पर कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी राजस्थान सरकार से कई बार योग देने के लिए एप्रोच किया है और अनुरोध भी किया है। इस स्कीम में राजस्थान उनको सहयोग दे। लेकिन राज्य सरकार बावजूद भारत सरकार के अनुरोध करने के इस स्कीम पर जितना ध्यान देना चाहिए, खासतौर से इस वक्त जब कि नेशनल एमर्जेन्सी है, तो यहां पर होर्स ब्रीडर्स जो कि सेन्चुरीज से रहते आये हैं तो यह काम वहां पर वे आसानी से कर सकते हैं, उस स्कीम को जिसकी कि राष्ट्र को जरूरत है, उसको हम यहां राजस्थान के इलाके में अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें ढिलाई बरतना और उनके ब्रीडर्स को पूरी तरह से सहूलियत न देना यह डिफेन्स एफर्ट्स में कमी करना है। तो इस तरह से मैं अनुरोध करूंगा कि होर्स ब्रीडिंग और म्यूल ब्रीडिंग और दूसरे डिफेन्स परपजेज के लिए जो भारत सरकार की स्कीम है जिसमें कि वह राजस्थान सरकार का सहयोग चाहती है उसमें उसका सहयोग देने में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उसका फायदा पूरी तरह से उठाना चाहिए ताकि हमारे यहां के जो होर्स ब्रीडर्स हैं वे अच्छे घोड़े तैयार कर सकें और डिफेन्स में भारत सरकार को मदद कर सकें।

इसी तरह से सोल्जर्स के बारे में, खास तौर से उनके सेटलमेंट के बारे में, जिस तरह की प्रगति हमारे राज्य को करनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। अभी तक एक्स-सोल्जर्स को बसाने के लिए जो जमीन देने के नियम है वे नियम भी पूरी तरह से नहीं बन पाये हैं और सिपाहियों को और एक्स-सोल्जर्स को जमीन पर बसाने में द्विविधा आ रही है। यह चीज जरूर है कि जो क्रिपल्ड हैं, डिसएबल्ड हैं, डेड सोल्जर्स हैं उनके लिए नियम बना दिये गये हैं, लेकिन उसके अलावा जो हजारों की तादाद में ऐसे सिपाही हैं जो रिटायर होकर घरों में आ गये हैं उनको जमीन और धन्धों की जरूरत है, उनके लिए नियम नहीं बनते हैं तो उन फेमिलीज और लोगों को एक तरह से डिसएपॉइन्टमेंट होता है और किसी नेशनल एफर्ट के लिए, वार एफर्ट के लिए कॉन्फीडेन्स की सबसे बड़ी जरूरत हुआ करती है। उस कॉन्फीडेन्स को रेस्टोर करने के लिए और बढ़ाने के लिए जो सहूलियतें फौजी और रिटायर्ड फौजी अफसरों को देने की आवश्यकता है उसमें किसी तरह की ढिलाई बरती जाना एक शुभ-सूचक बात नहीं है। इसलिए इनके जो नियम बनाने में, या उनको बसाने में, या जमीन दिलाने में, किसी वजह से जो कमी आ रही है, उसको दूर करने की आवश्यकता है, ताकि फौजी सिपाहियों की फेमिलीज में एक तरह का कॉन्फीडेन्स रेस्टोर कर सकें। वे यह महसूस करें कि जो देश की सेवा के लिए जाते हैं या सेवा करते रिटायर होते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार खासतौर से केवल एनाउन्समेंट ही नहीं करती है, बल्कि उनके इम्प्लीमेन्टेशन में भी सिन्सियेरिटी के साथ कोशिश करती है। ये बातें मैं महसूस करता हूं और आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं कि डिफेन्स एफर्ट्स के

(श्री जुझारसिंह)

बारे में जो आज तक कोशिश की गई है उसके मुकाबले में अधिक कोशिश करें।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा वह यह है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने पाकिस्तान के खतरे की तरफ संकेत किया है। जो हमारा इलाका पाकिस्तान से लगा हुआ है और बोर्डर पर है उस इलाके की रक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और उस इलाके के लोगों में कॉन्फीडेन्स रहे इस बात की हमें जरूरत है। अभी राज्य सरकार ने पिछले एक साल में एमर्जेन्सी खड़ी होने के बाद आर०ए०सी०,आर्म्ड पुलिस और मजबूत करने की कोशिश की है। उनको बहुत सी सहूलियतें दी हैं और वहां पर पिछले एक साल में स्ट्रेंथ भी बढ़ाई गई है, और काफी उस दिशा में किया गया है. जिसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं।

लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि आर. ए. सी. में जिस तरह के ऑफिसर्स रखे जाते हैं या जो वे लोग अपने बारे में सोचते हैं वह यह है कि जिन ऑफिसर्स पर राज्य सरकार या मंत्री नाखुश होते हैं उनको आर. ए. सी. में कमान्डेन्ट बनाकर भेजते हैं। यह बात कहां तक सच है, यह मैं नहीं जानता लेकिन वहां जाने वाले ऑफिसर्स का इम्प्रेशन यह है कि जिन पर प्रकोप होता है उन्ही ऑफिसर्स को कमान्डेन्ट बनाया जाता है और जो नये या ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं उनको दूसरे स्थानों पर लगाया जाता है। तो इस एमर्जेन्सी और खतरे के समय जब कि पाकिस्तान का इन्टेन्शन साफ नहीं है. उसकी तरफ से खतरा है, कंट्री में टेन्शन है, वैसी हालत में बोर्डर पर रहने वाले आर ए. सी. के ऑफिसर्स का यह इम्प्रेशन रहना कि उनको कन्डेम्न्ड किया गया है या उनसे ऑफिसर्स नाराज हैं इसलिये उनको वहां भेजा गया है तो यह आर. ए सी. के लिये अच्छा नहीं है और गवर्नमेन्ट के लिये अच्छा नहीं है। जो ऑफिसर्स हमारे बोर्डर की रक्षा करते हैं उनके दिल में यह शक हो कि हमारे साथ जस्टिस नहीं किया है तो वे बोर्डर को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और उनमें वह जील पैदा नहीं हो सकती इसलिये उन ऑफिसर्स के साथ इस तरह का रवैया सरकार का नहीं रहना चाहिये। वहांपर कॉम्पीटेन्ट ऑफिसर्स भेजे जाने चाहिये जो बोर्डर की प्रोब्लम्स को समझने वाले हों, बोर्डर पर जो लेंग्वेज बोली जाती है उसको समझने वाले ऑफिसर्स रहने चाहिये जो कोन्फीडेन्टली अपनी ड्यूटी को अन्जाम दे सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह की भावना ऑफिसर्स में आ गई या सरकार में है वह दूर होनी चाहिये और वहां पर कॉम्पीटेन्ट ऑफिसर्स जाने चाहिये।

तीसरी बात जो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं वह अकाल के बारे में है। अकाल के बारे में दूसरे इलाकों से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी काफी कह दिया है, इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतना कहूंगा कि अकाल के लिये कोटा डिविज़न से घास या दूसरी सुविधाएं इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन जिन ऑफिसर्स को घास वगैरह जिस सतर्कता से इकट्ठा करना चाहिये वह नहीं हो रहा है। मैं मिसाल के तौर पर बारां डिपो के बारे में जिक्र करूंगा। लास्ट ईयर बारां में करीब ५३ हजार मण घास इकट्ठा किया गया लेकिन जहां तक

(श्री जुझारसिंह)

मेरी जानकारी है, उसका कोई अकाउन्ट नही है कि किस तरह खर्च हुआ। इस अकाल के समय उस डिपो से घास मांगा गया था तो वहां के ऑफिसर ने सिर्फ ६। हजार मण घास दिया है बाकी ३४-३५हजार मण घास का क्या हुआ, कितना क्योंइकट्ठा किया गयाथा और अकाल-ग्रस्त मवेशियों को क्यों नहीं उपलब्ध हो सका, इसके बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है। यह समय एमर्जेन्सी से भी ज्यादा बढ़ कर है हमारे इलाके के लिये। इस वक्त यदि इस तरह से रवैया रहा और जो चीज इकट्ठी की थी और जिसके कब्जे में यह चीज थी वह इसका अकाउन्ट नहीं देसके और जितना इकट्ठा किया था उसका चौथाई हिस्सा ही प्रोड्यूस करे और सरकार का उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो तो यह उचित नहीं है। जो भ्रष्टाचार की चीज सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है और जिस ओर सरकार का ध्यान बार बार जाता है भ्रष्टाचार मिटाने के लिये, उस समय यदि इस तरह की मिसाल सामने होने पर भी कोई एक्शन नहीं हो तो यह उचित नहीं है। इस तरह की चीज के लिये डेफिनिट एक्शन होना चाहिये ताकि इस तरह वक्त का फायदा उठाने वाले ऑफिसर्स आइन्दा इस तरह की बात न करें।

तीसरी बात जिसके बारे में मैं निवेदन करूंगा और जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है राजकीय, प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। क्योंकि आज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इतनी जटिल हो रही है बावजूद हमारी मशा काश्तकारों के हित में कार्य करने की होने पर भी, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पलीकेशन्स इतने ज्यादा है कि काश्तकार या गांव के साधारण लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते। वे लीगल कॉम्प्लीकेशन्स में इतने फंस जाते हैं कि प्रोसीजरल डिफिकल्टीज से बाहर नहीं निकल सकते और उनका समाधान नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय ने जिस चीज का जिक्र किया वह सुन्दर सुझाव है क्योंकि आज हम जो राहत देना चाहते हैं वह उनको नहीं मिल सकती। आज हमारे इलाके में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इस बात की है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का आपसी झगड़ा तय नहीं हो रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने गोचर भूमि पंचायतों को सौंप दी और गोचर भूमि पर पंचायतों का कब्जा होते हुए भी फोरेस्टवाले उनकी परवाह नहीं करते और उनमें अपना प्लान्टेशन कर देते हैं; जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इलाके में बहुत से जोड़ रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने पंचायतों को ट्रान्सफर कर दिये और पंचायत वाले उन्हें अपना इलाका मान कर मवेशी चराते हैं या ठेकादेकर पेड़ काम में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन फोरेस्टवाले कहते हैं कि जो जोड़ आपको ट्रान्सफर किया गया है वह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का नहीं है, हमारा है; इसलिये वे न तो पंचायतों की परवाह करते हैं और न रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की परवाह करते हैं और उन पर कब्जा करके प्लान्टेशन शुरु करते हैं। इस लिये वह जोडिपार्टमेन्टल कॉम्प्लीकेशन और डुपलीकेसी है उसको दूर करने का ध्यान सरकार का गया है कि इस प्रकिया को सरल बनाया जाय उसके लिये राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है उसके लिये में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति : Briefly now. I will give you only five minutes more.

श्री जुझारसिंह : I will finish in two minutes, Sir.

इसी तरह सतर्कता आयोग के बारे में कहा गया। सेन्टर की तरह यहां भी सतर्कता आयोग बनाने का अच्छा सुझाव है। लेकिन इस बारे में भी जैसी सदन के दूसरे माननीय सदस्यों की राय है वैसी ही मेरी भी है। केवल आयोग बनाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। भ्रष्टाचार (निरोधक) विभाग पहले से ही खुला हुआ है, पुलिस ने बहुत से एफर्ट्स किये हैं, लेकिन मेन चीज जो है वह आदमी की एफिशियेन्सी है। यदि पर्सन्स ईमानदार हैं और आदमी कॉन्फीडेन्स और सतर्कता से काम करता है तो आयोग की आवश्यकता नहीं है। केवल आयोग के बन जाने से ही पब्लिक में सेटिस्फेक्शन हो जाय, यह बात नहीं है। मेन चीज यह है कि कॉमन आदमी या साधारण आदमी को उसकी समस्याओं के समाधान में दिक्कत आती है। हर तबके और हर स्टेज पर कोमन आदमी को लूटा जाता है, और कोई इस बात की कोशिश नहीं करता है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाय। वह किसी को जाकर कहता है तो भी उसको सिद्ध करने की रेस्पोन्सिबिलिटी उसी पर आती है। यह साधारण आदमी के बूते के बाहर की बात है; जिस रूप में आप आयोग कायम करना चाहते हैं। उसी रूप में आपको लीगल प्रोसीजर और कॉम्पलीकेशन्स को दूर करके, सरल करके करेंगे तो फायदा होगा। अमुक तरह से सिद्ध करने का भार उसी पर डालेंगे जैसा कि भ्रष्टाचार का महकमा करता है तो काम नहीं चलेगा। जो साधारण व्यक्ति है वह अपनी मुसीबतें या उसे किसी तरह की परेशानी हो तो वह उसे राज्य सरकार के सामने रखना चाहेगा। तो आखिर की चीज है - आयोग; यह एक सरकारी चीज है। इस आयोग के बनने के बाद उसको बतादें क्योंकि अब तक वह कानून के चक्कर में न फँसना चाह कर अपनी मुसीबत और परेशानी का सामना करता है। तो आयोग की सफलता इस पर डिपेन्ड करती है। मैं यह अपेक्षा करूंगा सरकारसे कि वह जो कोई चीज करना चाहे या जो चीज उसके सामने आ गई है; जैसे राज्य में भ्रष्टाचार है, पब्लिक भ्रष्टाचार से परेशान है, दूसरी मुसीबतों से परेशान है– इनको दूर करना है। यह मेन चीज को दूर करना है, तो इसको दूर करना सरकार के ऊपर है। आयोग के बना देने के बाद वह यह चीज देखें कि आयोग इफेक्टिवली काम करता है, लीगल कॉम्प्लीकेशन्स में फंस कर तो नहीं रह जाता है। ऐसा आयोग आप नहीं बना सकेंगे। यह चीज अगर साबित नहीं हुई, इसे चालू नहीं कर सके तो जनता का कॉन्फीडेन्स सरकार से दूर होगा। इससे तो बेहतर यह होगा कि आयोग न बनाया जाय। अगर बनाया जाय तो वह इफेक्टिवली, बिना लीगल कॉम्प्लीकेशन्स में फंसे काम कर सके और पब्लिक को राहत पहुंचा सके ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं, सरकार इसको इफेक्टिव बनायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : सभापति महोदय, जब मैंने राज्यपाल महोदय

Page No.92

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

का अभिभाषण पढ़ा और उसके बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई उसको सुनने के बाद मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष इस स्पीच में यह लिख दिया जाता है कि फलां सन् में इन कारखानों को नया लाइसेन्स दिया गया, इस वर्ष इन नये कारखानों में प्रोडक्शन चालू हुआ। लेकिन जब मैंने पिछली वर्ष की दो-तीन रिपोर्ट्स को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ कारखानों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। मैं सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन कारखानों को १९६३ में लाइसेन्स दिया गया, उसका क्या हुआ – इसका सरकार ने इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया। गुआर गम फैक्ट्री बिसाऊ, जिला झुंझुनू, फायर ब्रिक्स और स्टोर वेयर पाइप्स और फिटिंग्ज मैन्युफेक्चरिंग यूनिट, भरतपुर और सीमेन्ट फैक्ट्री, नीम का थाना इन्हें १९६३ में लाइसेन्स दिया गया था। इनका क्या हुआ, इसका इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। इसी प्रकार, सभापति महोदय, १९६२ में लाइसेन्स दिये गये थे उनके बारे में १९६२ की रिपोर्ट में है कि ये लाइसेन्स दिये गये हैं। उनकी क्या प्रोग्रेस है। उसके लिए लिखा है कि दो-तीन वर्ष में काम शुरू हो जायगा। इस वर्ष रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्या हुआ। जो रोलर फ्लोर मिल्स जोधपुर, पाली और उदयपुर; पेपर मिल जयपुर, पंक्शनल एच. पी. मोटर्स मैन्युफेक्चरिंग इन्डस्ट्री धौलपुर, चिप-बोर्ड प्लान्ट, बांसवाड़ा एक्स्ट्रुजन प्रेस कोटा और बहुत सारे लाइसेन्स कोटन मिल्स को दिये गये, उनके बारे में क्या हुआ इसके बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है।

इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण बात है, सभापति महोदय और वह है कि भोपाल सागर शुगर मिल बन्द हो गई। वह किन कारणों से बन्द हुई ? उसके बन्द होने के कारण क्या थे-इस बारे में न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और न कोई जानकारी दी गई है। आज शुगर की इतनी बड़ी समस्या देश में है कि गांवों में शुगर नहीं मिलती है। लोगों को दो-दो, तीन-तीन मील से आना पड़ता है शक्कर लेने के लिए कई घंटे लाइन बनाकर खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर पाव-पाव किलो शक्कर मिलती है। क्या सरकार ने यह जानकारी करने की कोशिश की है कि यह शुगर मिल बन्द क्यों हो गई ? क्यों गन्ना नहीं आया ? क्या इसके मैनेजमेंट में डिफेक्ट था ? वहां की सड़कों का क्या हाल है ? क्या पैसा किसानों को चुकाया गया ? आखिर इसका कारण क्या है ? सभापति महोदय, मैं गांवों में गया। गांव वाले कहते हैं कि गन्ना तो हमसे खरीदते हैं लेकिन हमको शक्कर नहीं देते है, इसलिए हम गन्ना क्यों दें ? इसके अलावा भाव का भी जिक्र हुआ। जब सारी चीजों की कीमत बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में गन्ने का भाव क्या निर्धारित किया है ? छोटी-छोटी शक्कर फैक्ट्रीज दो रुपया मन गन्ना खरीदती है जब कि राज्य सरकार की शुगर मिल १ रुपया १४ आना मन खरीदती है। कौन व्यक्ति ऐसा बेवकूफ होगा जो छोटी फैक्ट्री में गन्ना न देकर आपकी शुगर फैक्ट्री को देगा ? एक्चुअल समस्या यह है कि और चीजों की प्राइस बढ़ने पर गन्ने का कोई प्राइस कंट्रोल ठीक ढंग से आपने नहीं किया। इससे कितना नुकसान हुआ किसानों का जिन्होंने

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

शुगर-केन आपकी शुगर मिल में शुगर बनाने के लिए पैदा किया। उनका गन्ना वहां पड़ा-पड़ा सूख रहा है। बहुत सारा गन्ना वहां पर पहुँच गया है लेकिन शुगर मिल बन्द कर देने से वह गन्ना वहां पड़ा हुआ है और सूख रहा है। यही नहीं, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने गुड़ बाहर से इम्पोर्ट किया है। इसमें मजेदार बात यह है कि इसके वितरण क्रय–विक्रय संघ को अधिकार दिया है। उसने बिना पूछे डूंगरपुर और उदयपुर की सहकारी समितियों को माल का अलॉटमेंट कर दिया। यहां से तीन लाख का माल उदयपुर भेजा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने व्यवस्था की है कि वह सहकारी समिति तीन लाख का माल छुड़ा सकती है ? आपने क्या व्यवस्था की है ? किसी बैंक, तहसीलदार, कलेक्टर के मार्फत कि सहकारी समिति तीन लाख का माल छुड़ा सके ? क्या आपने नोटिस दिया था कि तीन लाख का माल भेज रहे है और वे इसको छुड़ाने का इन्तजाम करें ? वह सारा गुड़ वहां पड़ा हुआ है और डेमरेज ऊपर से खा रहा है। वह सहकारी समिति उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। उसने जयपुर क्रय विक्रय संघ को लिखा है कि आपने बिना हमसे पूछे गुड़ भेज दिया। हम इसे छुड़ाने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं कि मेरठ से व्यापारी आते है। वे माल लाते हैं और गोडाउन में रखते हैं, लेकिन आप उन्हें बेचने की इजाजत नहीं देते। उनसे कहा यह जाता है कि यह माल ले जाकर गांवों में बेचो। गांवों में यह समस्या नहीं है। गांवों में गुड़ तैयार होता है। वे यू. पी. का गुड़ पसन्द नहीं करते हैं और शहरों में यू. पी का गुड़ पसन्द किया जाता है; तो वहां गुड़ बेचने की इजाजत नहीं दी जाती। इस प्रकार जहां आवश्यकता नहीं है वहां भेजा जाता है और जहां आवश्यकता है वहां इजाजत नहीं देते-यह कौनसा न्याय है ? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सहकारी समिति का कागज में प्लान हो ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहां इतनी सहकारी समितियां हैं ? अगर आप यही चाहते हैं तो बात मानी जा सकती है, लेकिन अगर आपको सहकारी समितियों को सफल करना है तो उसको सिस्टम से काम करना पड़ेगा जितनी उसकी कैपेसिटी हो। और अगर उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उस ओर ध्यान न देकर इस बात को किया गया है।

अब मैं इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस के बारे में दो–तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और दूसरी ओर उनको जो सुविधायें देनी चाहिए वे नहीं दी जा रही हैं। आज आप कहते हैं कि बिजली सुलभ है। लेकिन जहां बिजली पहुंच गई है वहां इन्डस्ट्रीज हैं उनको बिजली नहीं दी जा रही है। मैं एक केस के बारे में स्वयं जानता हूं, जिसके लिए मैंने स्वयं ने प्रयत्न किये लेकिन उसे बिजली नहीं मिली। वह इन्डस्ट्री बनी हुई है, मशीनें लग गई हैं, निम्बाहेड़ा में एक स्टोन इन्डस्ट्री लगा रखी है। उसमें आपत्ति क्या है कि रेल्वे लाइन क्रास करनी है। दो साल हो गये, लेकिन राज्य सरकार भारत सरकार और रेल्वे बोर्ड से मिल कर प्रबन्ध नहीं कर सकी, रेल्वे लाइन क्रोस करने के लिए। छोटी सी सुविधा चाहिए इसमें क्या आपत्ति है। जब पूछा जाता है तो लिख देते है कि रेल्वे से कोई सेटलमेंट नही हो पाया

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

है, रेल्वे से तय नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार इन्डस्ट्री सेट-अप करते हैं, दो साल तक इन्तजार करते हैं लेकिन बिजली का इन्डस्ट्री को कनेक्शन नहीं दे पाते हैं।

साथ ही जहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, सभापति महोदय, उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फतहनगर में इतनी मिलें हैं, कॉटन फैक्ट्रीज, ऑयल मिल्स इत्यादि; लेकिन वहां बिजली देने की सुविधा नहीं है।

इसी तरह आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करते हैं। उसके लिए कुओं को बिजली देनी चाहिए। राजस्थान में ३२ हजार २०० गांव हैं। लेकिन १३०० कुओं को अब तक बिजली मिली है। १९६२ की इस रिपोर्ट में लिखा है कि १३०० कुओं के अन्दर बिजली देंगे। उसमें से भी ५५० कुओं को ही बिजली दी गई। जब आपने १३०० कुओं को बिजली देने का प्रावधान रखा तो ५५० कुओं को ही बिजली क्यों मिली ? यह बिजली कम मिली है, इसका क्या कारण है ? इसके साथ ही कितने गांवों को बिजली मिली है इसका अन्दाज लगायें तो मालूम होगा कि बहुत थोड़े गांवों में बिजली पहुंच पाई है। जहां चारों तरफ अकाल की स्थिति है, पानी की बहुत कमी है वहां भी बिजली नहीं पहुँचा सके हैं। आप वहां बिजली गांवों को प्राथमिकता देकर पहुंचा सकते हैं। तो मैं समझता हूं यह देश का बहुत बड़ा हित होगा, यह किसानों के हित में होगा, यह राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम होगा और साथ ही अन्न के दृष्टिकोण से आत्म निर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन जहां ३२ हजार २४० गांव हैं उनमें से केवल १८५० कुओं को ही बिजली पहुँचाई है।

अकाल की समस्या को देखते हुए सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जहां आप और हम यह कहते हैं कि जानवरों को घास नहीं मिलता, मनुष्यों को खाने को अनाज नहीं है, अनाज इतना महंगा हो गया है मैं यह कहूंगा कि सरकार ने इसके लिये क्या कदम उठाया है ? आज हम देखते हैं कि कपास और रूई पर टेक्स है। मैं पूछना चाहता हूं कि कपास पर आप क्यों टैक्स लेते हैं ? इसको जानवर खाते हैं। क्या आप जुवार, बाजरा और मक्की पर टैक्स माफ नहीं कर सकते, उसके बाहर जाने की निकासी नहीं रोक सकते ? जो मक्की उदयपुर में मनुष्यों के खाने के काम आती है वह अहमदाबाद में starch मिल के लिए जा रही है और हमारे यहां लोग भूखों मर रहे हैं। क्या आप मक्की की निकासी को बन्द नहीं कर सकते जो कारखानों में जा रही है। यदि मक्की किसी के खाने के काम के लिये दूसरे प्रान्त में जाती तो मैं उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वहां पर भी वह मनुष्य के खाने के लिये काम आती। मगर यह कारखानों में जा रही है और यहां पर मनुष्यों के खाने के लिये इसकी आवश्यकता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी निकासी को बन्द नहीं कर सकते, यह बात सोचने की है।

श्री सभापति : चार मिनट बाकी हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि किसानों के साथ किस प्रकार की ज्यादतियें

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

की जा रही है। मैं अभी एक किसान कमेटी के सिलसिले में दौरे पर गया था। गांव गांव में देखा कि पाला पड़ा है, मगर फिर भी उनसे दोनों साल के लगान वसूल किये जा रहे हैं। एक खेमली गांव में २०१९६. का पंचायत टैक्स वसूल किया जो कभी का समाप्त हो चुका। इस संबन्ध में पहले निर्णय लिया गया था कि कहीं से यह वसूल हुआ है तो उसको वापिस दिया जावे। सरकारी कागजों में जमा नहीं होने से किसानों से जबर्दस्ती वसूली की जा रही है। यह कहां का न्याय है ?

अब एक दो-बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : मिनट भी दो ही रह गये हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : भ्रष्टाचार की दुहाई बहुत दी जाती है और राजस्थान सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ प्रयत्न किये हैं इसको रोकने के लिये मैं इस संबन्ध में आपको ताजी सूचना देना चाहता हूँ कि कालूलाल, जो गोगुन्डा में एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस, उदयपुर में सर्विस करते थे उनको १६-६-६३ को इसलिये निकाला गया कि उन्होंने, he accepted illegal gratification. उन्होंने रिश्वत ली और इस कारण उनको डिसमिस किया गया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति को वापिस सर्विस में ले लिया, वह इसलिये कि कांग्रेस के नेताओं की सिफारिश थी। १६-६-६३ को निकला हुआ और वह भी ऐसे जुर्म में accepance of illegal gratification. मगर आज की सरकार ने उसको वापिस ले लिया।

यह कहां का न्याय है आपके भ्रष्टाचार को मिटाने का ?

दूसरी बात मैं पम्प लगाने के संबन्ध में बताना चाहता हूँ और जो एक ही व्यक्ति को इसके लिये अधिकार दिया गया है इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। वहां पर क्या किया गया कि जिला प्रमुख ने राजस्थान मशीनरी मार्ट को पम्प के लिये मुकर्रर कर रखा है। कलेक्टर, उदयपुर ने सब पंचायतों को पत्र लिखा है कि राजस्थान मशीनरी मार्ट से से पम्प आदि खरीदे जावें। किसी अन्य से मशीनरी खरीदने पर लोगों को लोन नहीं मिलता है। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों के यहां पहले मशीनरी राजस्थान मशीनरी मार्ट के द्वारा लगादी जाती है और फिर उनको लोन मिलता है। कोई भी व्यक्ति पाइप या और कोई मशीनरी कुए पर लगवाना चाहता है तो वह पहले उससे कांटेक्ट करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

एक माननीय सदस्य : मैंने भी संशोधन रखा है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर दो दिन से बहस हो रही है। धन्यवाद तो हमें देना ही है और देना ही चाहिये।

श्री सभापति : संक्षेप में ही कहें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : संक्षेप में ही कहूँगी।

जहां तक इसका संबन्ध राज्य सरकार के कार्यों से है और जिसका प्रभाव दो करोड़ से अधिक राजस्थान की जनता पर पड़ता है इसलिये भी यह विषय विशेष विचारणीय बन जाता है। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पेरा नं० ७ में पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की है और उस विषय में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने पुलिस कर्मचारियों के अत्याचारों और जुल्मों का ज्वलंत उदाहरण रखा है. उस विषय में मैं विस्तार से इसलिये नहीं जाऊंगी कि माननीय सदस्य सही तौर से सारी कैफियत सुना चुके है। सभापति महोदय बात सही है इसलिये मैं हमारी सरकार से यह अवश्य कहना चाहूँगी कि आप इसकी पूरी जांच कराने के बाद पुलिस विभाग में जागरूकता और सतर्कता लाइये। मैं तो यहां तक कहना चाहती हूँ कि अगर कोटा कलेक्टर ने उस समय कर्तव्य-निष्ठा नहीं दिखाई होती तो शायद यह भी सुनने को नहीं मिलता की पुलिस वहां पर पहुंची या नहीं। कोटा कलेक्टर ने जो भाग-दौड़ की इसकी एक चौथाई भी यदि पुलिस सतर्क हो जाती तो नजारा कुछ और ही होता। यह एक अजीब बात है कि वहां की गरीब जनता को पुलिस कर्मचारियों की पूजा पुजापा और करनी पड़ती हे दूसरी ओर डाकुओं की सेवा करनी पड़ती है। इस तरह से जनता पर दोहरी मार होती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि खास तौर से सरकार इस विषय की जांच करें और इसके लिये सक्रिय कदम उठाये।

इसके बाद में लम्बी-चौडी बातों में नहीं जाना चाहती। राज्यपाल महोदय ने पेरा ४६ पर पीने के पानी की उपलब्धि के बारे में जिक्र किया है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। खामियें हो सकती हें. लेकिन मुझे दुख है कि १९६२ के प्रथम सत्र में मैंने शाहबाद में होने वाली इसी कठिनाई के बारे में जिक्र किया था अध्यक्ष महोदय, शाहबाद एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां अधिकतर आदिवासी रहते हैं और अन्य जनता भी वहां की बहुत गरीब है। शाहबाद में अनेक गांव ऐसे है जहां के लोगों को पांच पांच, सात सात मील दूर से पीने का पानी लाना पडता है और यह भी इतना गन्दा कि जिसे देखने से ही पता चलता है। वह पथरीला इलाका है इसलिये वहां कुए नहीं खोदे जा सकते तालाबों द्वारा ही यह समस्या हल हो सकती है इस पर समाज कल्याण मंत्री महोदय द्वारा जवाब दिया गया था कि तालाबों की सर्वेहो चुकी, रिपोर्ट आ चुकी और टेन्डर्स कौल कर लिये गये हैं। मगर वह टेन्डर खुलने की तारीख कब आएगी, भगवान जाने दो साल में आएगी या चार साल में ! इसे सरकार के प्रशासन में ढिलाई कहा जावे तो और क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन की यह बैठकें और यह सारी कार्यवाही आखिर क्या है ? यदि इसकी

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

भाषा और परिभाषा के विस्तार में नहीं जावें तो मैं सोचती हूं मोटी सी बात है कि यहां बैठ कर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो कानून बनते है उन्हें सरकार किस प्रकार कार्यान्वित करती हैं इस बात की चर्चा हो और क्योंकि राजस्थान के कोने कोने से, प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग से जनता के प्रतिनिधि चुने हुये यहां आते हैं हम आपको यह बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में आपकी योजनाएं पूरी हुईं या नहीं जो योजनाएं लागू हो रही हैं जनता को उससे लाभ है या हानि, कौनसे कार्य ऐसे हैं जिनसे वहां की जनता संतुष्ट है और किस कार्य के अभाव में वहां के लोग दुखी हैं। अब काफी भ्रष्टाचार की बातें लम्बी-चौड़ी बताई गई इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पर मेरा दृष्टिकोण इसमें और तरह का है। सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार और सरकारी मशिनरी, मैं नहीं समझती कि कितनी खराब हो गई है जितनी कि इसके बारे में चर्चा हो रही हैं बल्कि मैं तो यह कहना चाहती हूं कि सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में कई सरकारी कर्मचारी इतने कर्त्तव्य निष्ठ, योग्य और ईमानदार हैं कि उनकी प्रशंसा करने में हमें गर्व होना चाहिये। यह सही है कि इतनी बड़ी मशीनरी में कहीं-कहीं खराबी आ गई है, कई कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का जाल बिछा दिया है इसके उन्मूलन के लिये समितियों के गठन की, आयोगों के गठन की बातें कही जाती हैं। मैं तो कहूंगी कि समितियों के गठन की और आयोगों के गठन की बात छोड़िये, मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस विषय में सीधा सम्बन्ध होना चाहिये, सीधा सम्बन्ध इस तरह बढ़ा दीजिये कि यदि कहीं मंत्रि-मंडल में खराबियां नजर आती हैं तो उन्हें दूर, कीजिये सरकारी मशीनरी में कहीं खराबी नजर आती है तो उसे दूर कीजिये। मैं मुख्य मंत्रीजी के सरल व्यवहार और कार्य-क्षमता की तारीफ करती हूं पर जो कड़वे और कठोर आरोप लगाये जाते हैं उनको केवल सहन की आदत डाल देना ठीक नहीं होगा, चारों तरफ ध्यान देना होगा। ऐसा करने पर भी भ्रष्टाचार नहीं मिटे, ऐसा मैं नहीं समझती।

हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद इसलिये दे रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि केवल विकास की दौड़ में ही मत रहिये। अनाज की समस्या है, उसके सम्बन्ध में बड़ी कठोर बातें कही गई। मैं नहीं चाहती कि अधिक दिनों तक यह समस्या बनी रहे, यदि अधिक दिनों तक यह समस्या बनी रही तो राजस्थान की जनता इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो स्थिति बड़ी खराब हो जायगी, इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और साथ ही यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप और अधिक सतर्कता बरतिये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री मोहनलाल सारस्वत !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : But the condition is that he should speak in Bikaneri language.

श्री सभापति : पर संक्षेप में बोलें; I hall give you 15 to 20 minutes.

श्री मोहनलाल सारस्वत : (रतनगढ़) मेरी पार्टी को एक ही आदमी बोल्यो है, अब मेरो नम्बर है।

श्री सभापति : I will give you fifteen to twenty minutes.

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदय ! राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले पैरे में उनके द्वारा कयोड़ी बात सत्य है। सन् १६६३ वास्तव में अर्थतन्त्र के लिए एक समस्या पूर्ण साल रह्यो है, ईं साल में चीन को हमलो, पाकिस्तान की भारत के साथ विद्वेषपूर्ण नीति आंक सिवाय राजस्थान के बहुत बड़भाग में पड्योड़ अकाल (अभाव) की परिस्थितियों की वजह स्यु लोगां न इस वर्ष काफी असुविधायें उठानी पड़ी।

श्री ज्वालाप्रसादशर्मा (नसीराबाद): हिन्दी बोल रहे हो।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप थोड़ी शान्ति राखो, पाछै बोल लीज्यो राजस्थानी में ही बोलूंगा आप सुणो तो सई।

ईंस्यु आगे राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है वां पर प्रकाश डालूं। राजस्थान क बहुत बड़ भाग में अकाल पड़ेड़ो है, रात-दिन राजस्थान सरकार की तरफ स्युं तरह तरह की प्रचार विज्ञप्तियां भी निकल है पर अकाल पर काबू पाण को कोई भी प्रयास नहीं करायो जारयो है। चुरू जिला में अब तक कोई राहत कार्य चालू नहीं करायो गयो है। राज्य का अधिकारी तथा मंत्रीगण कइ जगह बैठकर जनता के प्रतिनिधियांन आमंत्रित करके मीटिंग कई कर चुकाया है, पर मीटिंग क बाद जनता न तुरता-फुरता राहत नहीं पहुचाई गई। अकाल क्षेत्र घोषित करन में भी पूरी पक्षपात बरती गई, है जं की जगां उप मत्रीड़ायो क्षेत्र हो या कांग्रेसी एम० एल० ए० विजयी हुआ या कलेक्टर क तेल लगाण वालो सदस्य हो वां जगहां में उनकी इच्छानुसार अकाल क्षेत्र घोषित कर दियो गयो, दूसरी जगह में अकाल होतां हुआ भी घोषित नहीं करायो गयो। मेरा क्षेत्र तहसील रतनगढ़ में सिर्फ दो गांव में एक पंचायत समिति के प्रधान को गांव लधासर व दूसरो पाबूसर में ही अकाल घोषित करायो गयो है जबकि रतनगढ़ तहसील में आं दोनो गांवा जिसा पच्चासियां गांव और भी हैं। अकाल के लिये चुरू जिला परिषद की बैठक पिछला दिना बुलाई ही; बीं बैठक में अकाल उपमत्री श्री कमला बहिनजी तथा उपमंत्री श्री दौलतरामजी सारण मौजूदहां; बीं बैठक में मैंने रतनगढ़ में अकाल स्यु अभाव ग्रस्त ३० गांवा की लिस्ट दी थी उक्त लिस्ट पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीं लिस्ट को समर्थन सभा का सारा सदस्यां तथा दोनों उपमंत्रियों करयो हो पर कलक्टर महोदय की कृपा के बिना कोई भी काम हो जाव आंकियां सम्भव हो सके हो ? जिला भर में राज्य अधिकारियां न कलेक्टर पहलां स्यु ही आज्ञा एई ही कि किसी किसी तहसील में किता किता गांवां में अकाल राखणो है, उस हिदायत क अनुसार ही अकाल घोषित करयो गयो। आज ईं जनतन्त्र क युग में भूठ चुनाव ही राज्य बनाण को एक मात्र साधन है बीं जनतांत्रिक युग में चुनेड़ों सरपंच, पंचायत समिति को प्रधान, धारा सभा को सदस्य तथा राज्य को मंत्री उपमंत्री, जो जनता के बिलकुल निकट है अपनी

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

गाय देव उसक अनुसार कार्य न होकर पटवारी की रिपोर्ट पर अभाव ग्रस्त एरिया घोषित करयो जाव। या राज्य सरकार की सदास्युं बड़ी दब्बु तथा गुलाम नीति है। आज नौकरशाही सरकार पर इस प्रकार हावी हो गई है कि वो उसे मनमाना नाच नाचती है। कलेक्टर को दीमाग आकाश में चढ़ गयो है; वो चुने हुए प्रतिनिधियां की रात दिन निन्दा करता है, बांस्युं हाजरी भरवानो चाव है। जो प्रतिनिधि ऐसा नहीं करते उनके क्षेत्र में तरह तरह की गड़बड़िया करता है. दोलतरामजी बैठा मुस्करा रया है।

(१२.४३ म.प)

(श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दौलतराम सारण (उप मन्त्री, पंचायत): यह बात गलत है, मैं उस मीटिंग में आपसे सहमति में था।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ओर मेरी कहणा को मतलब ही के है, ओ ही तो है कि आप तथा कमला बहिनजी उक्त बैठक मे मौजूद थे और मेरी बात से सहमत थे, इतना होने पर भी कलेक्टर ने मनमानी करी ओर वास्तविक बात न छोड़कर अपणी बात पर डट्यो रहयो और इनकी बजाय दो गांवा में ही अकाल घोषित करयो। अठे वां कहावत चिरतार्थ होव है पंचा को कहणो सिर माथ नालो तो अठ ही पड़सी आप लोग क मीटिंग में जाणस्युं जनता न के लाभ होव है; जनता की गाडी कमाई को टी० ए०, डी० ए० चाहे आप लोग लेता रहो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): गिरदावरी आठ आना से ज्यादा आई होगी वहां।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): गिरदावरी तो सेंट परसेंट झूठी भरी जाती है, इसको सिद्ध किया जा सकता है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : चुरू जिले में अभाव ग्रस्त एरिया में आज तक कोई मंत्री दौरे पर नहीं गया। जांव भी कैसे उन बेचारों को राज्य चलाने के लिए पार्टी बाजी स्युं ही फुरसत कोनी। वे तो रातदिन या तो चुनाव चक्कर में घूम है या पार्टी क लोगां क काम कराण में रव है अकाल को काम मुख्य मंत्रीजी व लड्ढा साहब क जिम्म है मैं बान विशेष रूप स्युं कहणो चाहु हूं कि व अपणी नीति न बदल व अकाल कार्य में रुचि लेव। यदि समय रहते जन सहयोग में लग गया तो ठीक है अन्यथा जनता बक्सणवाली नहीं है।

आज अन्न क भाव चारों मिलणो मुश्किल होरयो है, म्हार अठे पाल को चार सेर को भाव है, ई भाव में पशुआन के पाल देवां, पशुधन पर दिन पर दिन ह्रास होरयो है। लोगां पशुधन मरण क डरस्युं निकाल दियो है। झुंडका झुंड पशुवां का चार क अभाव में भटकता फिरे है। या तो बै पशु मालव साइड मे चल्या जाव है या देश द्रोही बालदिया क हाथ पड़ जाव है; अ बालदिया लोग वां पशुआं न टोर क बड़ शहरां क बुचड़ खान तक पहुंचा देव है और वहां जाकर पशुबधकर दिया जाव है। बीकानेर में जनता द्वारा अकाल ग्रस्त इलाकसुं आणवाल पशु बक चार पाणी क वास्त काफी प्रबन्ध है, आं अकाल ग्रस्त केम्पा में हजारां की तादाद में पशु है जिकां को चरण पीण को पूरी प्रबन्ध है। वास्तव में व जन-सेवी प्रशंसा का पात्र है।

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

प्रान्त के इतने बड़े भाग में अकाल पड़ेड़ो है और फेमीन कोड राजस्थान में बणोड़ो है उसके अनुसार म्हारी सरकार न काम करणों चाहिज । अकाल घोषित करण में राज्य सरकार ने जो नीति अपणाई है उसको छोड़कर निष्पक्षता पूर्ण नीति से इस दिशा में कार्य करणो चाहिज । अब तक बीकानेर जिला न छोड़कर सार राजस्थान में मंत्री उपमंत्री कांग्रेसी एम० एल० ए० व राज्य करने वालों के गुर्गों के क्षेत्रों में ही अकाल घोषित करयो गयो है और वां जगहां मेरी मैं ही राहत कार्य चाल्लु करयो गयो है जो कुछ अकालके नाम पर होरयो है बीं में भी बड़ी खामियां है—

१. सात दिन काम करन पर एक दिन का पैसा मजदूरां न अधिक मिलना चाहिजे या एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिजे ऐसा आज तक नहीं हुआ ।

२. पानी पीने का प्रबन्ध पशुओं को तो छोड़ो आदमियां क वास्ते ही नहीं है ।

३. पशुधन क वास्ते चारे को कोई प्रबन्ध नहीं है अगर चारे को प्रबन्ध पहला स्यु हो तो तो इतो बड़ो पशुधन मालवा की तरफ क्यु जातो और बालदियां क हाथ चढ़ क बुचड़ खाना क्यु पहुंचतो । राज न तुरन्त ध्यान देकर ईं भूल वो सुधार करणो चाय ।

४ बुढ़ा-अपंग लोगां न पैसा दाणा चाहिजे जो आज तक नहीं दिया जारया है ।

५. अकाल घोषित करने की जिम्मेवारी रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट की है । उक्त डिपार्टमेन्ट जिम्मेवारी स्यू दूर रयो, समय पर लिस्ट नहीं बनाई । जी स्यू बहुत स क्षेत्र में अकाल घोषित नहीं हो सक्यो । जी स्यु बठग किसानान बहुत बड़ नुकसान को सामनो करनो पढ़ो । मैं रेवेन्यु विभाग क उपमंत्री श्री नढ़ा न इ काम मैं अपराधी मानू हूं जी ने पूरा अधिकार माल मंत्रीजी की तरफ स्यु दियोड़ा हो न क कारण भी बांई दिशा में पार्टीबाजी में लिप्त रहकर कोई नीयमित काम नहीं करयो बल्कि ठावा ठावा टोपीली बाकी का लंगोट वाली कहावत चिरतार्थ करी । ई स्यु विपक्षी एम० एल० एजा को कोई नुकसान नहीं होणा हारो है, जनता में बहुत बड़ो असन्तोष व्याप्त है ।

पड़िहारा, रतनगढ़ स्यु १२ मील है, पिछल वर्ष वहां की हायर सेकेन्डरी के प्रधानाध्यापक पांडे न बठक समाज विरोधी तत्व हंसराज दूगड ओन डियुटी पर मार-पीट की; ई बात को मुकदमो स्थानीय पुलिस दर्ज करयो, अपराधी भूत पूर्व गृह मंत्री माथुर साहब क पास पहुंच गयो । माथुर साहब ने उक्त पत्रावली लाडनूं दौर पर पधारा जद मंगाई और स्थानीय एस० एच० ओ० को मुकदमो खतम करने के लिए आज्ञा दे दी । आज तक यह पत्रावली भी इधर उधर रुलती फिरे है । परिणाम के निकलसी याबात भी भविष्य क गर्व में है ।

चुरु जिला में राजगढ़ (सादुलपुर) तहसील में जहां दिन-दहाड़े सूरजभाण कांड होयो हो । वहां लम्बे समय स्युं समाज विरोधी तत्व गडबड़ी कर रहे थे । वहां की पंचायत समिति के प्रधान कई अन्य कार्यकर्ता कइ एक एम० एल. ए० व मैं श्री माथुर साहब गृह मंत्री भूतपूर्व राजस्थान राज्य जयपुर के पास यह शिकायत लेकर गये के वहां पर कोई न कोई वारदात उन लोगों के तरफ स्यु होवगी । श्री माथुर

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

साहब ने उत्तर दिया के बठे कोई भी गड़बड़ी हो जावे तो मेरी जिम्मेवारी है आप मेरे सिर पर एक बाल न छोड़ना । इस बात के ३-४ दिन बाद ही वहां के आर० ए० एस० अधिकारी, एस० डी० एम० पगोरिया न उन समाज द्रोही तत्वों ने स्टेशन से शहर में जाती वक्त मारपीट किया । राज्य सरकार का बहुत बडा अपमान हुआ । महीनों तक पुलिस की वहां गारद लगी रही । गृह मन्त्री जी को उस दिन दिये गये बचनों की मैं याद दिलाऊ हूँ । इतनो बड़ो कांड राजगढ़ में हो गयो । गृह मन्त्रीजी पार्टीबाजीमें ही फंसेडा रह गया । सिर का बाल आंका तो कुण उखाड़े । पगोरिया का तो समाज द्रोही तत्वां उड़ा ही दिया । पुलिस विभाग की लापरवाही अव्यवस्था क कारण चारों तरफ राजस्थान में हाहाकार मच रहयो है । भीलवाड़ा से ८ मील पर कोदुका कोटा में १ साल पहले गोसांई परिवार में तीन स्त्रियां व १ पुरुष कतल कर दिया गया । उक्त कतला को आज ताईं पतो नहीं चल्यो । पुलिस व अधिकारियां द्वारा प्रथम तो पतो ही नहीं लगायो जाव । यदि काई अधिकारियां थोड़ी बहुत पतो लगाण तक पहुँच तो उसकी बदनो करदी जाव ।

रतनगढ़ मार्केटिंग कोपरेटिव सोसायटी क विरूद्ध हजारों रुपियां को गबन तथा भ्रष्टाचार को मुकदमा दर्ज होया ।लम्बो समय हो गयो पर आज तक उक्त मुकदम क मुलजिमान पकड़या तक नहीं । ई मार्केटिंग कोपरेटिव सोसायटी क विरूद्ध हजारों रुपियां के गड़बड़ गोटाल्य की दो ओडिट रिपोर्ट हो चुकी है, यदि सरकार चाहव तो उक्त दोनो रिपोर्ट में सदन की मेज पर रख सकुं हूं । ई मार्केटिंग कापरेटिव सोसायटी क विरुद्ध कार्यवाही कराण वास्त अनेक बार सुखाड़या साहब से मिलकर कही, अनेक बार रजिस्ट्रार कोपरेटिव सोसायटी स्यु मिल्यो । म्हां लोगां अनेक बार एक्सन लेण क वास्त लिख दियो पर दो वर्षां में आज तक कोपरेटिव क पदाधिकारियां क विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । गबन क मुकदमा में एक्सन लेन को यो एक नमुनो है। इसी तरह स्युं । लूंछ ग्राम सेवा समिति को सक्रेटरी जनता की ५-६ हजार की रकम हजम कर गयो । बींक विरुद्ध पुलिस में मुकदमो दर्ज हो जान पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । सहकारी समितियां भ्रष्टाचार का अड्डा बन रही है। जगह जगह बी कमेटियां पर ४०९ का केश बणा पड़ा है पर पुलिस विभाग कोई एक्सन लेव नहीं । मुकदमा में इस प्रकार की ढिलाई को होणो पुलिस विभाग क लिए कलंक की बात है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): ४०९ का केस आपके खिलाफ था ; वह था या दूसरा ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मेरे विरुद्ध केश जो राज्य सरकार द्वारा झूठो बनायो गयो उसकी बाबत भी में सदन क समक्षसारी परिस्थिति राखणो चाहुं हूं । जिस ४०९ को जिक्र मैंने श्री गोपाल क विरूद्ध होण को ऊपर करयो है। उसी श्रीगोपाल ने पुलिस के सर्किल इन्सपेक्टर सरदाराराम कन मेर विरुद्ध में जीं समय नगरपालिका को अध्यक्ष हो उस समय का वेग एलीगेशन लगाकर दरख्वास्त दी । सरदाराराम सी० आई० न राजस्थान की ऐसी कौनसी जनता है जो नहीं जाण । सरदाराराम पुलिस को महाभ्रष्ट कानून न वलायताक रखकर, पुलिस मनेघडन्त झूठा मुकद्मा बणावणा वालो, अनेक बार रिश्वत की शिकायत में वो सस्पेंड हो

(श्री मोहनालल सारस्वत)

चुकयो है, अनेक कतलां क मुकदमा में वीं को चालाण हो चुकयो है आई० जी० पी० जयपुर क विरुद्ध अनेक पम्पलेट निकाल चुकयो है, ई प्रकार क बदनाम अफसर न श्रीगोपाल क विरुद्ध लगेड़ मुकदमा में श्री गोपाल न बचाण वास्त और मने उलभाणे वास्ते गृह मंत्रीजी सर्किल इन्सपेक्टर रतनगढ़ की पोस्ट पर लगायो ई सरदाराराम ही मेर विरुद्ध भूटो ४०६ को केस दर्ज रजिस्टर करो। ई मुकदम में गुप्तचर विभाग को दफा फाइनल दे चुकयो परन्तु मुकदमो अब तक खतम नहीं करो है। मेरी समझ में राज्य कर्ता लोगां की विरुधी सदस्यां न दबान की यह चाल है और म्हार सिर पर या दुधारी तलवार लटका राखी है। मै सरकार स्यु कहणो चाहू हू कि यदि वो इस मुकदने में लिप्त नही है तो भूठा मुकदमा बनाने वाले सरदाराराम सी० आई० के विरुद्ध उसे सस्पेन्ड करके एक्सन लेकर प्रमाण देवे। सदन सर्वोपरी है। ई में बैठकर गलत बात कहनो महा पाप हैं दुनियां भर का गड़बड़ी ४०६, ४२० क मुकदमा की म्हांर मंत्रियां क शिकायत न होव है पुलिस का अधिकारी का अधिकारी रात दिन जनता की खरी कमाई लूट है भूठा, कतल का केस पुलिस रात दिन बणाव है, चोरियां को तांतो बंधरयो है, किसी भी चोरी को माल बरामद नहीं होव। आं सब मुकदमा मांय म्हारो राज असफल होरयो हैं पर ऐसेम्बली क चुनेड़ा लोगां क विरुद्ध भूठा मुकदमा राग द्वेष पूर्ण ढ़ंग स्यु बनाण मे चूक नहीं। वास्तव में ई राज पर या कहावत चिरतार्थ होव रांगडो घर की फौज खपात्र. अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय. आपने उसका अर्थ नहीं समझा होगा।

(शोरगुल — व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आंर्डर प्लीज़।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ओन ए पोंइन्ट ओफ आर्डर, सर, उन शब्दों को जिनका में अनुवाद करना नहीं चाहता, में समझता हूं कि आशय भी समझ गये होंगे, अब तक इस सदन में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे शब्द नहीं आये। यह पथ भ्रष्ट और हेय शब्द हैं। उसको विड्रो किया जाय और आपको आगाह किया जाय कि आप सदन से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के लिए माफी मांगें और आयन्दा ऐसे शब्द प्रयोग न करें।

श्री उपाध्यक्ष : जो शब्द प्रयोग किया है वह वापिस लेने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप उसका अर्थ तो करिये थोड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : वह बड़ा अभद्र शब्द था। उसको वापिस लेने की कृपा करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, on a point of order, Sir.......

माननीय उप गृह मंत्री ने एक पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है और उन्होंने इस बात की मांग की है कि जो एक वाक्य का प्रयोग माननीय सदस्य ने किया है वे शब्द वापिस लिये जायं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir. चेयर से आब्जर्वेशन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हो चुका है। उसको अब कन्टेस्ट नहीं किया जा सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ ओर्डर हो जाने के बाद यह कहने का अधिकार रहता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चेयर से ऑब्जर्वेशन हो गया है, उसके बाद उसको कन्वेस नहीं किया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह देखने की बात चेयर की है, आपकी नहीं है। मैं सदन के पजेशन में हूं, आपको शान्ति रखनी चाहिये। मैंने पोइन्ट ऑफ ओर्डर रेज किया है।

Sir, I strongly protest the attitude of the Dy. Minister.

श्री निरंजननाथ आचार्य : He has not right to raise this point now.

श्री उपाध्यक्ष : जो शब्द अभी प्रयुक्त हुए है उसके लिए रुलिंग दिया जा चुका है। अभद्र शब्द कार्यवाही से निकाले जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि उनका प्रयोग करने वाले माननीय सदस्य उनको वापिस लेने की भी कृपा करेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उसका भाव तो समझे ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। आप उस शब्द को कृपया वापिस लें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कौनसे शब्द वापिस लूं ?

(व्यवधान – शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Will the Dy. Minister please state which is that word ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am now in possession of the House.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! please !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: There is already one point of order,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय That has already been disposed of by the Chair.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am complying wlth the directions of the chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I will not permit yon because I have raised a point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने मुझे आदेश दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदेश देने के बाद ही पोइन्ट आॅफ आॅर्डर मैंने रेज किया है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जो रेज हुआ था उसके विषय में निर्णय दिया गया था कि शब्द माननीय सदस्य वापिस ले लें। अब एक माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि वह शब्द कौनसा है। मैं इसके लिये उपमन्त्रीजी से निवेदन कर चुका हूं कि उस शब्द को वे बतावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पोइन्ट आॅफ आॅर्डर आपके निर्णय देने के बाद डिस्पोज्ड आफ हो चुका है। अब मैं पोइन्ट आॅफ आॅर्डर रेज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : There can be no other point of order until it is disposed of.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पोइन्ट आॅफ आॅर्डर रेज करना चाहता हूं कि पहले जो पोइन्ट आॅफ आॅर्डर रेज किया गया था वह डिस्पोज आॅफ हो चुका, आपके इस आदेशकेबाद कि वहशब्द वापिस ले लियाजाय। अब मैं रेज करना चाहता हूं कि जिस समय प्रश्न खड़ा किया गया इस बातका कि यह अन्पार्लियामेन्टरी शब्द है इसे विड्रॉ करना चाहिये। मुझे सख्त अफसोस है कि आपने उसे विथड्रॉ करने की भी व्यवस्था दे दी कि वापिस होना चाहिये। तो ऐसी हालत में आसन को यह ज्ञान होना चाहिये था कि वह कौनसा शब्द अनपार्लियामेन्टरी है जिसको आपने विथड्रॉ करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में आप उपमन्त्री से अब क्या पूछ रहे हे कि वह क्या शब्द था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृहमन्त्रीजी ने सदन में ऐसा वातावरण बनाकर और आसन को इस तरह से बरगला करके उनसे आदेश दिलवा दिया कि अमुकशब्द जिसकीजानकारीआसनको नहीं, वह विथड्रा कियाजाय। ऐसा करके आसन को रोंग डाइरेक्शन में गृहमन्त्रीजी ले गये हैं और इस तरह की उनकी कोशिश करना सदन में एक गलत परम्परा होगी। वह क्याशब्द था, आप सम्भवतः अच्छी तरह समझ गये होंगे; आपने व्यवस्था दे दी। आपकी व्यवस्थाएं हमें शिरोधार्य है। आपकी व्यवस्थाओं का पालन करेंगे, किया है और आगे भी करते रहेंगे। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आसन को ऐसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी कि वह कौनसा शब्द है कि जिसको निकाल दिया जावे, प्रोसीडिंग्स में से यह विथड्रा किया जावे तो ऐसा मौका देना ट्रेजरी बैंचों को यह अवसर देना और उनको यह कहना कि वे शब्द की जानकारी दें, यह किन्ही रूल्स में नहीं है और किसी व्यवस्था में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस शब्द की पूरी जानकारी है आसन को। मैं उस गन्दे शब्द को फिर से प्रयोग में नहीं लाना चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपने फिर उनको क्यों पूछा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं भी उस शब्द को दोहराना उपयुक्त नहीं समझता। वह शब्द प्रोसीडिंग्ज में दर्ज है।

(शोरगुल–व्यवधान–कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

माननीय सदस्य को वह शब्द बता दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! order !

प्रोसीडिंग्स में जो शब्द है वह सेक्रेटरी साहब बतावेंगे ।

(शोरगुल: व्यवधान: कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि वह शब्द सदन के सामने नहीं आता है तो क्या विथड्रा करेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of clarification Sir, यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है इस वातावरण को ओर बढ़ाना ।

श्री उपाध्यक्ष: Order Please ! order !! जो शब्द है, मैं उससे पूरी तरह से अवगत हूं । उसको प्रोसीडिंग्स में से एक्सपन्ज कर दिया जावेगा यह मैं आश्वासन देता हूं सदन को । मैं इसका प्रयोग सदन में ठीक नहीं समझता ।

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : उसको वापिस रीपीट कराना चाहते हैं, नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : ई प्रकार का मुकदमा चलाण को के अर्थ है आं बात तो आप लोग समझो. जो लोग कांग्रेस को विरोध करके जीतकर आया है वां लोगां के विरूद्ध ही ई प्रकार का ४०६, ४२० का भूठा मुकदमा बनाया जाव है म्हे तो ओ ही अर्थ समझा हां ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): यह तो बहुत बुरी बात है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यहां सुं डिसीजन होगा रे बाद भी कागज मारो खयाल है निरंजननाथजी की मेज पर पड्या होगा । वे ज्यादा मार मारे है पड्या पड्या । ४०७ की बात मेरे ध्यान में है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके बयान नहीं हुए होंगे । मुझे पता नहीं है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं खुद पतो करवा रहयो हूं आपने । आप कोई भी रियायत मत करजो । अगर कसूरवार हूं तो । आ बात हाउस रे सामने भी केऊं हूं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको फर उनके बंगले पर जाने की क्या जरूरत है ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : ४०६-४२० रा बंगला में थोडे ही आवेला ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): ४०६ ४२० के लिये तो नहीं लगाया जा रहा है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (मारवाडी में): कोई एकदर्जन केस मारा थाना में होगा । वें केसां रे वास्ते जनप्रिय होम मिनिस्टर साहब ने तो आर्डर दिया कि वेंने पेन्डिंग में राख्या जावे आज राज का ऐ अफसरां का एक दर्जन केस वेईमानी का करप्शन का पक्षपात का मैं रख सकूं हूं और खास करने मुख्यमन्त्रीजी ने निवेदन करणो चाहूं हूँ कि वे मेरे पर आज पर दो डाल्यो जाय रहयो है । आ है पुलिस विभाग री सतर्कता जी रे तारीफ रे वास्ते राज्यपाल महोदय एक पेज लीयो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कांग्रेस गन्दी है तो कांग्रेस का फार्म क्यों भरा ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप तो बिराजो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इन्कार करते हैं क्या कि आपने नहीं भरा ? और या कि आगे भी नहीं भरेंगे ?

श्री रामकिशन (वैर): इन केसों को वे खतम ही नहीं करेंगे। जब तक कांग्रेस रहेगी ये केस भी रहेंगे और आप भी रहेंगे।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आज रेलवे रा केस है। जे. आर. पी. रा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ; कांग्रेस में जाने का इरादा है आपका इसका मतलब यह है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ई पुलिस का सिवाय जी० आर० पी० पुलिस को भी बुरा हाल है। १०-१५ दिन पहले म्हारे अठे क खोयड़ी गांव क मघा जाट, जेसा चमार ने रेलवे पुलिस वालां कुलियां स्युं कुटवायो और भूठो केस बनाकर हवालात में बन्द कर दिया। हथकड़ियां लगाई। भारत सरकार का गृह मंत्री श्री गुजारीलाल नन्दा भ्रष्टाचार न समाप्त करण तांई तरह तरह की विज्ञप्तियां निकाल्यो है बां विज्ञप्तियां की नकल म्हारा मुख्य मंत्रीजी कर लेव है। विज्ञप्तियां स्युं भ्रष्टाचार तथा अनियमितायें मिट न वाली नहीं है। भ्रष्टाचार साधारण कर्मचारियां स्युं तथा जनता स्युं शुरु नहीं होव बल्कि नेता व मंत्रियां स्युं शुरु होव है भ्रष्टाचार। यदि खतम करणो है तो पहले मंत्रीगण अपने आपन पवित्र बणावे। म्हार स्युं ३२ मील की दूरी पर सरदारशहर है, रतनगढ़ स्युं सरदारशहर दो गाड़ी जावे है दोनों गाड़ियां माय ७५ प्रतिशत लोग विदाउट चाल है। एन० आर० में सबस्यू ज्यादा चोरी का भूठा कलेम सरदारशहर स्युं पास होया है, ईसी तरह स्युं वेस्टरन रेलवे में चुरु फतेहपुर तक ७५ प्रतिशत लोग बिदाउट चाल है; लांखा रुपियां को नुकसान रेलवे न होव है। श्री गंगानगर जिला की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है बठे मिनखा ने मिनख कुत्ता तांई मार देवे। रात दिन कतला का केस गंगानगर में पुलिस द्वारा होता रेवे। पिछली बार लाश हनुमानगढ़ स्युं ऐसेम्बली क सामन लाकर रखी गई थी, बड़ा बड़ा आश्वासन बी वक्त राज की तरफ स्यू दिया गया पर बीं केस में के कार्यवाही हुई।

नोहर में नृपतसिंह नाम को थाणादार लागोड़ो है बीने अ या ने ८मास होया है ८मास में एक लाख रुपियां की रिश्वत खा चुकयो। आज थानादार क अपणे गांव नागोर में मकान बण रहयो है। किसी खाती पर भूठो मुकदमो बणा लियो वो डर तो खातो काम नागोर जाकर मुफ्त करे है। वेचारां पर भूठो मुकदमो बणा लियो व चेजे को काम नागौर में करे है। अभी थोड़ा दिन पहले एक किसान पर भूठो मुकदमो बना क बीने हवालात में दे दियो। ई नृपतसिंह की शिकायत करण वास्ते २२-२-६४ ने सैकड़ा आदमियां को डेपुटेशन मुख्य मंत्रीजी कने आयो हो। रात दिन राजकीय प्रवास भवन सकेटेरियेट, सिविल लाइन व एसेम्बली के बीच घूम के हजारों रुपियां खर्च करके वापिस चल्यो गयो। मुख्य मंत्रीजी, उप गृह मंत्रीजी ने भेज दियो। एडीशनल आई० जी० पी० साहब स्यू मिल्यो पर बीं तानाशाही थानदार के विरुद्ध

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

आज तांई कोई कार्यवाही नहीं हुई। ई ढंग का थानदार ही पुलिस जिसी सेवा धारी संस्था ने बदनाम करावे है।

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री) : सब इत्तला के सांरी थारे पास ही आवे, उप-मंत्रीजी रे पास तो आवे ही नहीं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपमंत्रीजी कन तथा आप कन सारे केसां की सूचना आव है पर आप लोग ई वक्त राजमद में अन्धा होरया हो, जनता की पुकार सुणनो पाप समझो हो। लोग-बाग दुखी होयेडा आवे है और आप लोग बाने झांसा देकर वापिस भेज देओ हो। आप लोगां की आदत हो गई है कि सांची बात कहो नहीं, सुणो नहीं जिको माननीय सदस्य आपने साची बात कहे व तो खारो लाग

श्री मथुरादास माथुर : अे बातां तो रोज ही केवो।

श्री मोहनलाल सारस्वत : थे राजस्थान राज्यरा मंत्री हो, राजस्यु मोटर मिल्योडो है, निज को बंगलो है, लाखां रुपिया पास में है, रहण को सब तरह स्यु सुख सुविधा है ई वजह स्यु ही म्हा लोगा की कहेडी सांची बातां आपने खारी लाग है, आप म्हारली जगह पर हो तो सब मालुम पड जावे।

श्री मथुरादास माथुर : थाणी जगां तो म्हां घणा बैठिया हां।

श्री मोहनलाल सारस्वत : म्हारी जगां जद आप बैठता और रोड इन्सपेक्टरी करता जद लोगां की सुख दुख की बात सुणता। ई प्रकार जनता के साथ खिलवाड नहीं करता, ए बातां तो मंत्री बणवां के बाद ही आव है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अबदादा को इस काम की इजाजत दी जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनको तो होली के बाद बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पुलिस विभाग की बहुत तारीफ करी है। पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान में डाकू अभियान चलायों गयो हों, ई अभियान मांय राजस्थान में जो पाकिस्तान का डाकु पकडया गया हा वे पाकिस्तान ने लोटा दिया पर पाकिस्तान एक भी डाकु राजस्थान न लौटायों नहीं। पाकिस्तान कों बहुत बडी सीमा राजस्थान के पास लाग है इसी सीमा पर पाकिस्तानियां जगह जगह मसजिदा बनाली। भविष्य मांय कोई भी लडाई को अवसर आयो तो बहुत बडी मुसीबत को सामनो करनो पडेगो यह है सीमा की सुरक्षा और डाकु अभियान की कामयाबी ? भूत पूर्व गृह मंत्री, श्री मथुरादासजी माथुर, ने सारे राजस्थान में तस्करियो को समाप्त करने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के अनुसार प्रान्त भर में पकडा धकडी शुरु हुई जिन लोगां के साथ माथुर साहब को व्यक्तिगत राग-द्वेष हो बाने पकड लिया गया, अनेक लोगां क खिलाफ डी० आई० आर० का मुकदमा बनाया गया। वां ने डरा धमकाकर लाखों रुपियां एंठया गया; कम से कम २५०-३०० व्यक्तियों क साथ ऐसो व्यवहार होयो। मैं गृह मंत्री महोदय से पूछनो चाहूं के इसप्रकार पुलिस जैसीरक्षक संस्था

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

लोगां पर भूठा मुकदमा बनावे और बां लोगां स्यूं डरा धमका कर रुपियां एठ लेव बीं राज को के हाल होणा हारो है ?

(श्री नाथुराम मिर्धा को जाते हुए देखकर) आपकी प्रशंसा तो अब की जायेगी।

यहबात तो बाड खेत ने खावणा हारी है। मुख्य मंत्री जी आजकल गृह मंत्री को काम संभाले है, पुलिस विभाग पर ओ बहुत बडो भारी कलंक हैं क्या मुख्य मंत्रीजी कोई विशेष कमेटी बनाकर ई बात कीजांच करवान को आश्वासन ई सदन न देवेगा और इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैलान में जिन अधिकारियां व मंत्रियां को हाथ है बांने अपराधी करार देकर सजा देवगा जिस्यु आयन्दा कोई व्यक्ति ई प्रकार की राज ने कलंकित करन हारी हरकत करण रो होसलो नहीं करगा।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कह रहे है कि डी० आई० आर० के नाम से लाखों रुपये जमा कर लिये गये। यह जो इस प्रकार से वेगली कहा जानता है यह उपयुक्त बात नहीं है; वे यदि इस बात पर इतने स्ट्रिक्ट है तो कोन्क्रीटली कही जानी चाहिये कि किससे रुपया ले लिया गया किसको छोड़ दिया गया।

श्री **मोहनलाल सारस्वत** : राजस्थान की स्थिति आप स्यूं छिपी नहीं है डी० आई० आर० का भूठा मुकदमा बनाकर रुपयां जकां आदमियां लिया बां रुपिया साधारण रकम होणा के कारण आप तथा गंगानगर जिला को बच्चो बच्चो जाण है। यह तथ्य पूर्ण बात है। ई सम्बन्ध में आप कने गंगानगर से आने वाले तथा रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक बार नहीं अनेक बार सप्रमाण शिकायत की है; पर आपमें सुणी अणसुणीकरण की आदत है जका लोगां ओ अपराध करो है बांस्यु आप गृह विभाग छीनकर प्रसन्न हो गया ईस्यु बां को के बिगड़ो, जीतो लूंट सक्या गृह मंत्री होकर लूंटयो। ई के बाद दूसरा मंत्री होकर लूंटगा।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्यमंत्री): आप सबूत के साथ वे चीजे रखें जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): नाम आपको बता दिये गये हैं कल भी इस बारे में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक लिस्ट सदन की मेज पर रखी थी। लिस्ट एक मेरे पास है वह सब आपको पहुंचा देंगे। आप जितनी लम्बी लिस्ट चाहें मैं आपको दे सकता हूं।

श्री **मोहनलाल सारस्वत** ; मैं समझूं हूं इस प्रकार माननीय सदस्यों द्वारा लिस्टे दी जा चुकी है और सबूत देने को वे लोग तैयार हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर श्री मुख्य मंत्रीजी भ्रष्टाचार ने खतम करण वास्ते सक्रिय कदम अवश्य उठावेगा और अपनी निष्पक्षता को परिचय ई सदन न देवगा।

रात-दिन राज की ओर से होने वाले भ्रष्टाचार, अनियमिततायें और अव्यवस्था की शिकायत जनता के मुह स्युं सुणतां सुणतां म्हें लोग तंग आ गया हां, पर किसी प्रकार को हल नहीं निकले। जनता की बात सरकार तक

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

पहुंचाणो म्हा लोगां रो कर्तव्य है पर सरकार में बैठ्या हारा मंत्री ई तरफ कोई ध्यान नहीं देव ।

राज की रकम को पहले एक पैसो भी यदि कोई आदमी गबन कर जातो खा जातो तो ज्यान बचाणी मुश्किल हो जाती । आज मामलो इससे विपरीत है । रतनगढ़ नगरपालिका को भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा नगरपालिका की लाखां रुपियां की सम्पति को दुरपयोग अपण कार्य–काल में करियो । जनताको शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जांच करी ओर अध्यक्ष के खिलाफ ४०९ आई० पी० सी० को मुकदमो थान पुलिस में दर्ज कर दियो गयो । उक्त मुकदमो में आज तांई कीं कोनो होयो, हालां कि मुकदमो दर्ज होयां डेढ़ दो साल हो गया । ई मुकदम की फायल में भूतपूर्व गृहमंत्री, श्री मथुरादासजी माथुर, हुक्म दियो कि गिरफ्तारी से पहले फाइल मेन दिखाई जाकर गिरफ्तारी की जावे । ओ हुक्म कानून की कुणसी धारा के तहत दियो मैं पूछणो चाहू हूं । इस प्रकार भ्रष्टाचार करण वाला लोगां के विरुद्ध राज्य सरकार स्यु कोई कार्यवाही होव नहीं अगर बहुत ज्यादा चेष्टा करने पर कोई कार्यवाही हो जाव तो पार्टीबाजी में लिप्त मंत्रीगण बीं कार्यवाही ने रोक देव । ई हुक्म के बाद उक्त पत्रावली में कार्यवाही रुक गई । जांच में कई अफसर लागया पर बे लोग गृहमंत्री क हुक्म ने देखता ही चुप्प रह जावे ।

डूंगरगढ़ नगरपालिका में यमुनाप्रसाद लखोटियो आजकल उपाध्यक्ष है पहले अध्यक्ष हो नगरपालिका के एक मेम्बर को वोट प्राप्त करण वास्त बीन १००० रु० को प्रो० नोट लिख दियो ओर बाद में प्रो नोट वाले ने रुपियां मांग्या तो देने स्यु इनकार होगयो । मेम्बर दावो करयो ओर यमुना प्रसाद आ जबाबदेही करी के प्रो० नोट में वोट लेण वास्ते लिख्यो हो । वोट इने दियो नहीं अतः मेरे पर जिम्मेवारी नहीं आनी चाहिये । अदालत स्युं डिग्री हो गई । ई स्य बड़ो मिसकन्डेक्ट को के प्रमाण हो सके हे ? अदालत स्यू परमाणित होन पर भी यमुनाप्रसाद ने पदच्युत नहीं करनो कठे तक वाजिब है ।

सप्लाइज विभाग प्रमुख चोरी करावाण को महकमो है ई महकम पर न कानुन लागू है, न कायदा । खांड वितरण में पूरी धांधली है खांड को कोटो जयपुर स्युं जिलावाइज एलोट होकर जाव है बीं मैं शहर ओर देहातां को पूरो पूरो अलग अलग एलोटमेन्ट होवे है, पर म्हारो कलक्टर बीं कोटा में शहर और देहातां में पूरो फरक घाल देह देहातां न खांड देवे नहीं । राजस्थान प्रांत में खांड वितरण का भिन्न नियम है किसी शहर में एक किलो खांड जनता न दिलाई जा रही है, किसी शहर में आध किलो खांड दिलाई जारही है, म्हारे रतनगढ़ में तीन महीना स्यु जनता ने एकदाणो खांड को नहीं मिल्यो । दो त्योहार निकल गया आज रतनगढ़ में ३–४ रु० रुपिया किलो दाणेदार खांड को भाव है ।

हलवाइयां न वीकानेर में महावार की महावार खांड दी जाती है भीलवाड़ा में १२ टन खांड महावार की महावार दी जाती है । पर चुरु जिला की सातों तहसील में आज तक हलवाइयां को पीढ़ियां को धंधो प्रायः खतम हो गयो है । आज कल विवाह शादी मृत्यु तथा जापे के स्पेशल परमिट भी रतनगढ़ में बन्द

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

कर राख्या है ईस्यू स्थानीय जनता न बहुत बड़ी तकलीफ को सामनो करनो पड़े है। स्पेशल परमिटा में राज्य अधिकारियां द्वारा पूरी पोल चलाई जावे है जीं आदमी ने कलक्टर चाव बोरी को परमिट दे देव, जी न न चाव सेर को ही परमिट नहीं देव। रतनगढ़ में कलक्टर आप के महरबान लोगां न पोणे तीन मण की बोरी का भी स्पेशल परमिट दिया है। चुरु जिला में राज्य सरकार की तरफ स्यु विजिलेन्स कमेटी बनोड़ी है बा फिजूल है, बीं की कोई राय सप्लाइज सम्बन्धी किसी काम में नहीं ली जाती। यह फिजूल दिखावे के वास्ते कमेटी बनायोड़ी है।

स्पेशल परमिट कलक्टर की इच्छा हो तो हर एक नाम स्यु कट जावे। टी पार्टी के नाम स्यु, विवाह शादी और जापे के नाम स्यु, अन्य जीमण क नाम स्यु। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत सप्लाई मिनिस्टर साहब ने कहणो चाहूं कि चुरु जिला की सातों तहसीलों में अधिकारियों द्वारा जो स्पेशल परमिट आज तांई वट्या बांकी लिस्ट मगांई जाव। चावल जो कन्ट्रोल का आया बांक वितरण में भी पूरी धांधली हुई अनाज क भावां में वो तेजी आई है कि लोगां न दो वक्त भोजन मिलनो कठिन हो गयो है, बहुत सा लोग एक वक्त भोजन करके ही दिन पूरो करे है। एक सेर को आट को भाव होरयो है। राजस्थान की प्रसिद्ध मंडियां श्री गंगानगर जिला अन्न को भन्डार मानो जाव है बां मंडिया को अनाज गुजरात तथा बम्बई में म्हारी जन प्रिय सरकार भेज दियो और अब जगह जगह अन्न की कमी पड़ रही है। ई तेजो को कारण वीं कमी ही है। आस्ट्रेलिया तथा कनाडास्यु गेहूँ मंगाकर जनता न खाण वास्ते दिया जा रहा है। जो अन्न सोनो हो को दूसरी जगह भेज दियो और विदेशां में जो गेहूँ फेंकण, खाद बणा ने व जाला क काम में आव व गेहूँ राजस्थान की जनता न महरबानी करके खिलाया जारया है। आं गेहूं. बां की परीक्षा सरकार करवाई या नहीं। आ गेहूँ स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद तो नहीं है, ई बात की परीक्षा राज्य सरकार ने करवा लेनी चाहिज। अनाज का भाव ५-६ महीना में दूणा हो गया है ई तरफ भी राज्य सरकार न पूरो ध्यान देणो चाहिज। मोटो धान जो मक्का बाजारो, जूवार, तो जनता ने कम स्यु कम ८—१० रूपियां मण मिलनो चाहिज। मक्का ८ से १७ रुपियां मण, जो १० से १६ रुपियां मण, गेहूँ १६ से ३२ रुपियां मण, जुवार १० से २० रुपियां मण. बाजरा १४ से २० रुपियां मण, मोठ १४ से २० रूपियां मण हो गया है। गेहूँ तो जन साधारण में वे [illegible] वास्ते आवे बां गेहूं आं में स्यु सफेद गेहूँ ऊपर की ऊपर उड़जावे। लाल गेहूँ ही जनता में वितरण होव इससे बड़ी सप्लाइज विभाग की क्या अव्यवस्था हो सकती है।

गुड़ तथा शक्कर में जो धांधली राजस्थान में हुई है वीने सुणकर तो लज्जा न ही लज्जा आवे है। राजस्थान के पास ३०-४० मील की दूरी पर पंजाब व यू.पी. में २०-२२ रुपियां मण गुड़ और राजस्थान में ४० तथा ४५ रुपियां मण गुड़। रात दिन पंजाब तथा यू० पी० स्यु टरक का टरक गुड़ तथा शक्कर का आवे। टरक वाला स्यू फी टरक ५००-६०० रुपियां भारत सरकार का कर्मचारी तथा राजस्थान सरकार का कर्मचारी ले लेवे और गुड़ ऊंचा दामां में आकर बिके जो गुड़ शक्कर रेल द्वारा

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

यू० पी० की मंडियां स्युं लाण क वास्त परमिट भारत सरकार द्वारा दिया गया, जो गुड़ लाण क बास्त राजस्थान सरकार क्रय-विक्रय संघ राजस्थान, जयपुर न दे दियो। जो सुखाड़िया साहब नयो समझौतो करयो है, कोई नयो राजनैतिक दाव-पेच है। राजस्थान क्रय विक्रय संघ राजस्थान की प्रसिद्ध बदनाम संस्था है. ई संस्था द्वारा पहले भी राजस्थान में लाखां रुपियां को गड़बड़ गोटाल्यो हो चुकयो है, फिर ई संस्था न ही गुड़ शक्कर तथा अन्य सप्लाइ की चीजां लाण क बास्ते स्टोकिस्ट नियुक्त करनो खतरा स्युं खाली नहीं है। राजस्थान की ई व्यवस्था पर मैं शक करूं हूं, ई व्यवस्था स्युं राजस्थान सरकार की बदनामी ही होवेगी और क्रय-विक्रय सघ लाखों रुपियां जनता का खा जावेगो। क्रय विक्रय संघ न सप्लाई के काम के वास्ते नियुक्त करनो दूध की रुखाली बिल्ली वाली कहावत चरितार्थ करनो है

रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़ में क्रय-विक्रय संघ की मारफत गुड़ शक्कर तथा चांवल आया है, गुड़ शक्कर का फर्जी बीजक बणाकर माल लोगां ने दे दियो गयो। बीजक आच्छा गुड़ शक्कर को है और माल घटिया है, श्री डूंगरगढ़ में तो ई तरह स्युं गड़बड़ी होण को मुकदमो भी दर्ज हुयो वतावे है। इतना बड़ा प्रान्त को व्यापार हजारां व्यापारियां के हाथ स्युं छीन कर एक अयोग्य अनुभव हीन संस्था न देदेणो कठ तक ठीक है।

उदयपुर में बिना जरूरत हाजरां मण गुड़ क्रय विक्रय संघ मंगाकर राख दियो बठा का लोग भावां में अधिक अन्तर होण के कारण लेणो चाव नहीं। ईसी तरह स्युं भीलवाड़ा में क्रय विक्रय संघ ने काफी गुड़ मंगाकर रख दियो जी को पड़ता ८५ रुपिया प्रति क्युंटल है और व्यापारी वैसो ही गुड वहां पर ६५ रुपयां क्युंटल देन क वास्त है, २० रुपियां मण को फर्क है। इसके लिए जांच कमिशन बैठायो जाव कि यो फरक कियां है ? अभी पिछला दिना भीलवाड़ा में जिला बिजिलेन्स कमेटी की बैठक हुई, १७–१–६४ को हुई थी, उसमें यह सब बातां व्यापारियां बिजिलेंस कमेटी के सामने कही थी वे ६५ रुपियां क्युंटल में गुड़ देणे न तैयार हां।

भारत सरकार राजस्थान मांय एक दुग्ध योजना बनाई है। ई योजना पर भारत सरकार का किरोड़ो रुपिया खर्च होरया है. लाखां रुपियां की मोटरां जिण पर दुग्ध योजना का साइन बोर्ड लाग रया है घूमती है। उक्त मोटरां पर सरकार को फिजूल खर्च लागे है। बीकानेर से दिल्ली रोजना मण दूध जाव है, ५ किरोड़ रुपिया भारत सरकार ई योजना क वास्त मंजूर करया है पर राजस्थान में तो सवा रुपिये सेर दूध को भाव है; ई योजना स्युं राजस्थान की जनता ने कोई लाभ नहीं होयो।

राजस्थान में नोकरशाही का बोल बाला है। आई० एस० अफसर रामजी बणा बैठा है, शासन को भार बां लोगां पर है, आई० एस० अफसर छोटी उमर का होण क कारण शासन को ज्ञान व व्यवस्था नहीं समझे म्हारे अठे को कलक्टर चुरू जिला क सैंकडा कर्मचारियों क सरप्लस करार दे दिया, सरप्लस करार देन क कोई कानून नियम वो नहीं माने। २०-२० वर्ष का लोग सर्विस में है बाने सरप्लस करार दे दिया और नया नया आदमियां ने बांकी

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

जगह रख लिया । एक तरफ सरप्लस करार दिया जा रहया है और एक तरफ नई नियुक्तियां की जारही है ? सरप्लस करार देकर उन कर्मचारियों को ईसा महकमा मैं तैनात किया है कि वे लोग कम पढ़ा लिख्या होण क कारण वां डिपार्टमेन्ट को काम करण सके नहीं। जिण काम पर बां लोगा जिन्दगी विताई बैं काम स्यु अलग कर दिया और आगे ईसो नयो काम दे दियो कि वे जीवन भर कर सक नहीं। पहल डिपार्टमेन्ट को काम तो जीयां तीया चाल ही हो दूसर को और खराब हो गयो । ई‌‌‌स सिवाय अनेक कर्मचारी को कम्पलसरी रिटायरमेन्ट भी कलक्टर महादय दियो है । आज मंहगाई को वक्त है, लोगां ने ई तरह स्यु कम्पलसरी रिटायर्डमेंट देनो कठा तक ठीक है ? एक तरफ तो सरकार बेकारी दूर करन की योजना बणावे है और दूसरी ओर बीस बीस वर्षा की सर्विस क लोगां न बेकार कर रही है ।

म्हारे अठ श्री अमरसिंह राठौड आई० ए० एस०, एस० डी० एम० है, बांके हाथ स्यु मोटर ड्राइव करता छापर कने ८-१० माह पहलां एक्सीडेट हो गयो; बो एक्सीडेट में एस० डी० एम० क चपरासी रामदेव की मृत्यु हो गई कलक्टर के दफ्तर के क्लर्क बीरबलसिंह क अनेक चोटा आई । एस० डी० एम० क पास ने निज के नाम को लाइसेन्स हो ई प्रकार एक्सीडेट को पुलिस बिभाग मांय केश तक दर्ज नहीं होयो । केस दर्ज कीयां होतो आई० ए० एस० एस० डी० एम० और आई० ए० एस० कलक्टर संयां मैये कोतवाल अब डर काहु को । क्या यह राजस्थान सरकार की आई० ए० एस० सर्विसेज के लिए कलंक नहीं है, कि वे इतना बड़ा अपराध अपने हाथ से करके उस अपराध के केस दर्ज नहीं कर वावे ? ऐसे अधिकारियों से जनता को क्या इन्साफ मिल सकता है ।

आ बात मुख्य मंत्रीजी, श्री सुखाड़ियाजी, व मुख्य सचिव मेहताजी के कने पहुंच चुकी है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही एस० डी० एम० के विरूद्ध नहीं हुई ।

आई० टी० आई० को उद्‌घाटन करन वास्त राज्य का श्रम मंत्री श्री भीखाभाईजी रतनगढ़ दिनांक ६-८-६३ को पधारया था, उस वक्त उक्त राठोड़ साहब ने हरिजना की समस्याओं पर बात करन वास्त बां बुलवायो, तो राठोड़ साहब आंनस्यु इनकार हो गया । ई बात की लिखित शिकायत श्रम मंत्रीजी मुख्य सचिव राजस्थान राज्य जयपुर स्यु करी, पर आज तक कोई कार्यवाही एस० डी० एम० साहब के विरूद्ध नहीं हुई । चायना जब भारत के साथ युद्ध प्रारम्भ करो उस समय राजस्थान भर में एन० डी० एफ० के चन्दे ताणी राजस्थान की समस्त जनता लाग गई ही । उस वक्त श्री रामप्रसादजी लड्ढा, उपमंत्री राजस्व विभाग व श्री चन्दनमलजी वैद, उपमंत्री, अर्थ पधारा हां; म्हे लोग भी साथ ही था । दोनों उपमंत्रियां, एस० डी० एम० रतनगढ़ ने सुजानगढ़ फोन करवायो तो एस० डी० एम० छुट्टी लेकर बैठ गयो । रतनगढ़ में जब ये लोग पहुचा तो एस० डी० एम० मिलने तक नहीं आयो । आ है एस० डी० एम० साहब की सोम्य मनोवृत्ति और कार्यकुशलता उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत सुखाड़ियांजी तथा मुख्य सचिव महोदय को ध्यान बीं तानाशाह अधिकारी की हरकतां की तरफ दिलाणो चाहुं

Page No.113

(श्री मोहन लाल सारस्वत)

हूं। आं बातां क सिवाय भी अनेक अनुचित हरकतां नगरपालिका के प्रशासक की हैसियत स्यु राठोड साहब की हैं, क्या राजस्थान सरकार ईं तरह क अनुशासनहीन अयोग्य अधिकारी क विरुद्ध जांच कमिशन नियुक्त करक जांच करावगी ? बीं स्यूं आयन्दा आई० ए० एस० कहलाण वाला अफसर जनता क साथ इस प्रकार अनुचित हरकत न कर सके।

राजस्थान में शिक्षा को बाहुबल्य है। पर अध्यापकों की तरफ से चौपट है शिक्षा का कोई स्टेन्डर्ड नहीं है; स्कूलों कालेजों से निकलकर नये नये छोकरे अध्यापक हो जाते है जिन्हें पढ़ण-पढ़ाण को कोई ज्ञान नहीं होव। देहातीस्कूलां की बहुत बुरी स्थिति है, यहां तक की मास्टर लोग महीने में १० दिन स्कूलों में नहीं जाते। देहातों में जो स्कूल बने हुए है वे जीर्ण-शीर्ण तथा खंडहर हो चुके हैं, उनकी पंचायतें मरम्मत तक नहीं करवाती। हाईस्कूल, मिडिल, स्कूल, कालेज, हायर सकेन्डरी खोलने के लिए सरकार की कोई नीति नियम बणोड़ा नहीं है। अपने स्वार्थों के लिए मनमाने ढंग से खोल देते हैं चाहे वहां लड़के हो या न हो, स्कूल भवन हो या न हो राजस्थान में पहले कोई युनिवर्सिटी नहीं थी, अब तीन हो गई हैं। किसी को भी नियमित तथा सन्तोष जनक काम नहीं है वहां भी राजनैतिक स्वार्थ काम कर हैं, इसका सही उदाहरण राजस्थान युनिवर्सिटी, जयपुर है, जिसके वाइस चांसलर के विरुद्ध दो न्यायालयों द्वारा निर्णय करने पर भी सरकार ऑर्डिनेंस पास करने को तत्पर हो रही है बो बिल के रूप में प्रस्तुत हो चुक्यो है। अपने आदमियों को रखने के लिए मुख्य मंत्रीजी ऐसा करते हैं यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ? राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में राजस्थान में एक प्राच्य विश्व विद्यालय खोलने को इसारो करया है, आ युनिवर्सिटी भी मैं समभूं उदयपुर या उदयपुर सूं सम्बन्धित जगह मांय खुलगी, क्यूं कि आज तक स्थान की प्रधानता या जीं जगह जकी चीज की आवश्यकता रही है बीं जगह बा चीज नहीं खुली।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय का ध्यान रखेंगे।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मेरी पार्टी का समय काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : इसी समय में समाप्त कर देंगे।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। यदि आपका भाषण समाप्त नहीं हुआ तो भी समाप्त समझा जायगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उद्योग धंधा का नाम पर म्हारा मुख्य मंत्रीजी कलकत्ता, बम्बई जाव है जद बठा रा बन्धुआं नै तरह तरह का आश्वासन दे आव है, पर इन्डिस्ट्रीज खोलण में भी पूरो पक्षपात बरतयो जाव है। म्हार रतनगढ़ में एक उद्योगपति ऊलन मील खोलणो चाव है पर राजस्थान सरकार बीं की स्वीकृति नहीं दीवी। हनुमानगढ़ में खुलनवाल खाद क कारखान को भी लाइसेन्स कलकत्ता क मित्रां क नाम स्यु कैंन्सिल करके खाद को कारखानो हनुमानगढ़ की बजाय उदयपुर खोलो जारयो है जबकि फोरिन व देश क विशेषज्ञों की सम्मति राजस्थान भर में सब स्युं श्रेष्ठ जगहा ई काम क वास्ते हनुमानगढ़ ही समझी गई है। मुख्य मंत्रीजी आपन इसी बात नहीं करनी चाहीज

(श्री उपाध्यक्ष)

आप क वास्त तो राजस्थान को प्रत्येक भाग एक जैसो ही होणो चाहिज ।

चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टरों में घोर असन्तोष है, इसका कारण है पक्षपात पूर्ण नीति । जो डाईरेक्टर आते हैं वे अपने अपने आदमियों को वृद्धि का मौका देते हैं जबकि यह सारा कार्य सीनियरटी की लिस्ट से होना चाहिये । अस्पताल और हैल्थ सेन्टर जगह जगह सरकार खोल दिया है, न बठ दवाइयां है, न स्टाफ, स्टाफ, की तनख्वाह अधिक लाग है, दवाइयां को बजट कम है, जो अस्पताल में १००० स्टाफ खर्च है बठा ८०० रुपिया की दवाइयां मिल है । रतनगढ़ को विशाल अस्पताल स्टाफ क अभाव में रोगियों की पूरी सेवा करन में तकलीफ महसूस करह्यो है, बड़े बड़े वार्ड स्टाफ की कमी क कारण बन्द पड़्यो है ।

भ्रष्टाचार उन्मूलन के सम्बन्ध में पत्रों में तरह तरह के समाचार देश के नेताओं द्वारा प्रसारित किये जाते हैं । श्री नन्दाजी भी इस सम्बन्ध में रात दिन वक्तव्य देते रहते हैं, हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने भी पुलिस की बैठक में भ्रष्टाचार खतम करने की घोषणा की थी । मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछता हूं कि यह भ्रष्टाचार कौन फैलाता है ? आपकी कांग्रेस के लोग ही ऐसा करते हैं. आज देश में आपके लाडले सहकारिता ग्राम, पंचायत, खादी ग्रामोद्योग, नगरपालिकाओं के नाम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा साबित होने पर भी कोई एक्सन नहीं लियो जाव है। आज जनतन्त्र में चोर तथा साहुकार की कोई पहचान नहीं है । जीं पार्टी को राज है बींका आदमी दिन घोल चाहे सो करदे, बो कोई पूछन वालो नहीं है, ईसी दशा में भ्रष्टाचार उन्मूलन को नारो कियां सारथक हो सक है ।

इन सब उपरोक्त बातों के प्रान्त में रहते हुए हम राज्यपाल महोदय को किस प्रकार धन्यवाद दे सकते हैं अतः मैं इ प्रस्ताव को विरोध करूं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक स्थगित की जाती है । इसके साथ माननीय सदस्य का भाषण भी समाप्त समझा जायगा ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५ बजे दिनांक २५ फरवरी, १९६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, दिनांक २४ फरवरी, १६६४)

स्तम्भ

(१) तारांकित प्रश्नों के शीर्षक　१

बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति, भीलवाड़ा

राजस्थान स्टेट रोडवेज से लाभ

मन्दिरों की व्यवस्था

जानवरों की बिक्री पर कर

नीम का थाना में कालेज भवन

क्रय-विक्रय सहकारी समिति

मोटर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

पुजारी

ग्राम पंचायत, रीफ्रोन को अनुदान

जिला बोर्डों के अध्यापकों का एरियर

गबन की शिकायत

हाई स्कूल का कालेज में परिवर्तन

सहकारी भूमि बन्धक बैंक

पंचायत समिति, रावसिंह नगर

साप्ताहिक अवकाश

जूनियर हायर सेकन्डरी परीक्षा फल

मिडिल स्कूल का हायर सेकन्डरी में परिवर्तन

स्तम्भ

चित्तोड़ सैनिक स्कूल

हाई स्कूल भवन

उप-समिति का निर्माण

शिड्यूल्ड कास्ट कॉलोनी

घूमण की घाटी का सुधार

फॉरेस्ट की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

मजदूरी का चुकारा

स्कूल का कॉलेज में परिवर्तन

गोदरेज की आलमारी

जैसलमेर की पाठशालाओं का सुधार

पंचायत समितियों को सिलाई की मशीनों का वितरण

प्रोडक्टिव लेबर स्कीम

(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक　६८

समाज-कल्याण प्रवृत्तियां

आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी

राजकीय औषधालय, भरतपुर

सीनियर टीचर्स का चयन

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

सराड़ा में आदिवासी कालोनी

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

डेयरी फार्म

नगरपालिका सहकारी समिति

(३) मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ७७

(१) श्री हरिभाऊ उपाध्याय, यातायात मंत्री ने जिला भरतपुर में थाना बयाना के अन्तर्गत, दिनांक १८ फरवरी, १९६४ को हुई बस दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री भीखा भाई, श्रम मंत्री ने कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी, कोटा के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(४) स्थगन प्रस्ताव ८०

उदयपुर के सूरजपोल पुलिस स्टेशन के थानेदार द्वारा स्थानीय बापू बाजार में स्थित गेलार्ड होटल में श्री मोहन उर्फ मकड़ी की पिटाई की जाने व इसके फलस्वरूप उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने सम्बन्धी श्री विजयसिंह झाला के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में दिनांक २६ फरवरी, १९६४ को एक वक्तव्य देंगे ।

(५) प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ८७

(१) श्री निरंजन नाथ आचार्य, सभापति ने राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३ [The Rajasthan Primary Education Bill, 1963.] पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति-पत्रों सहित) उपस्थापन किया ।

(२) श्री भीखा भाई, सभापति ने राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ [The Rajasthan PublicParks [Amend ment, Bill, 1963] पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति-पत्रों सहित) उपस्थापन किया ।

(६) कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर विचार ८८

श्री मथुरादास माथुर, योजना मंत्री ने कार्य सलाहकार समिति [Business Advisory Committee] के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

तत्पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया :–

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है" ।

(७) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद ८९

श्री बृजसुन्दर शर्मा, सदस्य विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा ।

कार्य-विवरण दिनांक २५ फरवरी, १९६४ की कार्य-सूची

(१) विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ।

(२) राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद - विवाद ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर देखिए)

सूची आवेदन-पत्र विचाराधीन

उत्तर—

क्रम संख्या	प्रार्थना पत्र विचाराधीन	कब से			
१	२	३	१	२	३
१.	श्री बस्ती राम	२७-६-६१	११.	श्री नरसा	१६-४-६३
२.	श्री दमुरा	११-८-६१	१२.	श्री लछमणा	१६-४-६३
३.	श्री फुसा राम	२६-१०-६१	१३.	श्री गोमा	२०-४-६३
४.	श्री रामचन्द्र	२६-१०-६१	१४.	श्री घुका	२१-४-६३
५.	श्री इब्राहिम खां	२६-११-६२	१५.	श्री सरता	२१-४-६३
६.	श्री अमर सिंह	२८-११-६२	१६.	श्री टीकमा	२६-५-६३
७.	श्री भांडा	२८-११-६२	१७.	श्री गगा सिंह	१-६-६३
८.	श्री जैता	२८-११-६२	१८.	श्री अचल सिंह	११-१०-६३
९.	श्री कैरा	३१-१२-६२	१९.	श्री जीवा	४-११-६३
१०.	श्री गांगा	१६-४-६३			

———

परिशिष्ट २

[कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिए]

दिनांक १-४-६२ से ३१-१२-६३ तक के समय में विभिन्न पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिये गये सरपंचों, उप सरपंचों व पंचायत सचिवों की सूची।

क्र. सं.	नाम पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या		
		सरपंच	उप सरपंच	पंचायत सचिव
१	२	३	४	५
१.	जयपुर	४०६	६६	१५३
२.	जोधपुर	२५६	१४३	६६
३.	बीकानेर	१८१	१८६	१६६
४.	कोटा	२४८	११३	२०६
५.	सवाई माधोपुर	३२०	३०७	३१५
६.	उदयपुर	६१	३५८	१६
७.	अजमेर	३२५	२६०	११७
८.	पाली	२५१	१८८	१०७
९.	डबोक [उदयपुर]	२१६	२५६	१२१
१०.	सरदार शहर	५८	१७६	३२

———

परिशिष्ट

दिनांक १-४-६२ से ३१-१२-६३ तक के समय में विभिन्न पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों पर किये गये खर्च की सूची:—

क्र०सं०	नाम पं० राज प्रशिक्षण केन्द्र	मकान किराया	खुराक खर्च	अधिकारियों का वेतन व कार्यालय का खर्चा	फुटकर खर्चा
१	२	३	४	५	६
१.	जयपुर	१४२५.००	४९७३२.००	४८२५३.००	१३४९४.००
२.	जोधपुर	—	३३२९ ००	११३५८.००	४०६०.००
३	बीकानेर	३७९१.००	१९१८६ ००	४८[illegible]५८.००	८६२९.००
४.	कोटा	—	१०१८५.००	२९१४३.००	१०६१७.००
५.	सवाई माधोपुर	—	१६८५२.००	[illegible]९५१६.००	५६४८ ००
६.	उदयपुर	—	३८२३.००	२१८४.००	२००.००
७.	अजमेर	५४००.००	१८६४०.००	२९४१०.००	२२९००.००
८.	पाली	४३२०.००	१०१८२.००	३४५०२.००	६७७८.००
९.	डबोक (उदयपुर)	२८००.००	२९७०१.००	२५९४२.००	२६८५६.००
१०	सरदार शहर	—	५६७६.००	१३ ३०६..c०	२,६३०.००

———

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति बीकानेर द्वारा पशुपालन फार्म खोलने हेतु दी गई धन राशी की सूची

क्र० सं०	नाम व्यक्ति जिन्हें ऋण दिया गया	ऋण की रकम	ऋण देने की तारीख	खरीदी गई गायों की संख्या
१	२	३	४	५
१.	श्री फजल शाह	३०००	२८-१२-६१ व २६-३-६२	६
२.	श्री नथ्थाराम	३०००	६-१०-६०	८
३.	श्री भासूसिंह	३०००	३०-८-६०	१०
४.	श्री बलवन्तसिंह	३०००	२०-२-६१व १५-९-६१	१०
५.	श्री सोहन लाल	३०००	२२-६-६०	-
६.	श्री सुगनाराम	२०००	२७-३-६१	६
७.	श्री चूना राम	३०००	७-२-६१ व ११-७-६२	६
८.	श्री सरदार राम	३०००	१६-८-६०	८
९.	श्री मौजा राम	३०००	२८-१२-६१ व २९-३-६२	८
१०.	श्री मूल सिंह	३०००	१६-११-६१ व ५-२-६२	५

१	२	३	४	५
११.	श्री इमरता राम	३०००	१६-११-६०	६
१२.	श्री जसरूप	३०००	१८-१०-६०	१०
१३.	श्री रतिराम	२०००	३-२-६१	–
१४.	श्री नसीर खां	१०००	१६-८-६०	–
१५.	श्री बालू राम	१५००	२१-३-६२	–
१६.	श्री रतना राम	१५००	११-७-६२	१
१७.	श्री आसा राम	३०००	११-७-६२ व २०-८-६२	५
१८.	श्री मोहन लाल	३०००	१६-७-६२ व १८-५-६३	१
१६.	श्री दुर्गा राम	१५००	२८-३-६३	–
२०.	श्री धनराज आसोपा	१५००	१०-३-६३	–
२१.	श्रीमती कंचन देवी	३०००	१८-३-६१ व २२-५-६३	१०
२२.	श्री जैमा राम	३०००	१८-४-६३ व ६-६-६३	५

नोट :– जिन लोगों ने गायें बिल्कुल नहीं खरीदी हैं अथवा १० से कम खरीदी हैं उन्हें नोटिस दिये गये हैं ।

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिए)

आडिट नोट

नाम समिति – निवाई म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी बचत व साख सहकारी समिति लि०, तहसील निवाई, जिला टोंक ।

दिनांक पंजियन – ५-१-६२

सं० पंजियन - ४६२ एक्स

वर्तमान ऑडिट अवधि – ५ - १ - ६२ से ३० - ६ - ६२

नाम गत ऑडिटर –

नाम वर्तमान ऑडिटर – मदन लाल गुप्ता

सदस्य सं० गत ऑडिट के समय –-

वर्तमान ऑडिट के समय – २०

वर्गीकरण - सी

कार्यक्षेत्र – म्युनिसिपल कर्मचारी निवाई

१– समिति का ५-१-६२ से ३०-६-६२ तक का ऑडिट है। यह प्रथम ऑडिट है। ऑडिट दिनांक ५-२-६३ को आरंभ कर ६-२-६३ को समाप्त किया गया।

२– समिति के पास एक्ट नियम नहीं है जो मंगाकर रखें जावें।

३– समिति का यह पहला ऑडिट है।

४– लेखक का कार्य समिति में कोई नहीं करता। श्री मुरलीधरजी-मंत्री द्वारा ही कभी कभी लिखा जाता है।

५– २१-११-६१ के द्वारा जो प्राथमिक सभा द्वारा चुनाव हुआ है जो निम्न प्रकार है:– (१) श्री फकीर मोहम्मद अध्यक्ष (२) श्री बजरंगलाल उपाध्यक्ष (३) श्री मुरलीधर मंत्री (४) श्रीनाथ माथुर कोषाध्यक्ष (५) श्री बुन्दु खां सदस्य।

प्रबन्ध कारिणी का निर्वाचन उपनियमानुसार समिति के रजिस्ट्रेशन के तीन माह में हो जाना चाहिये था परन्तु अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ। अविलम्ब समिति की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव किया जावे। समिति ने अभी तक कोई किताब कार्यवाही आरम्भ नहीं की जबकि समिति ने ऋण लेकर सदस्यों को बांट दिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ऋण के प्रस्ताव की कोई नकल नहीं है। किताब कार्यवाही अब अविलम्ब चालू की जावे।

रेकार्ड - समिति में बॉड बुक तथा एक सादे कागज की कापी में रोकड़ रखी गई है। इसके अतिरिक्त समिति में कोई रेकार्ड नहीं है। समिति को उपनियमानुसार सदस्य रजिस्टर, हिस्सा रजिस्टर, छपी हुई रोकड़-बही, किताब कार्यवाही, किश्तबन्दी तथा अन्य रजिस्टर्स चालू करने चाहिये।

रोकड़ बही :– समिति में सादे कागज की कापी पर ऑन मौके पर श्री मुरलीधर से रोकड़ लिखाई गई जिसके देखने से प्रतीत हुआ कि समिति ने सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दि: २८-३-६२ को ३५००) रु० ऋण लिया है। यह ऋण की राशि बैंक द्वारा श्री मुरलीधर लाये रोकड़ देखने से प्रतीत

हुआ कि ऋण सदस्यों को १८-६-६२ की अर्थात् ऋण बैंक से लेने की तारीख से २ माह २१ दिन पश्चात बांटा गया तथा बांड्स पर भी १८-६-६२ की तारीख ही दर्ज है। श्री मुरली धर मंत्री तथा अन्य सदस्यों की बातचीत के दौरान में उन्होंने बतलाया कि यह राशि इतने दिन पश्चात अपनी मरजी से ली है जैसा कि श्री मुरलीधर का लिखित उत्तर ऑडिट नोट के साथ संलग्न है।

बॉड बुक :- बांड बुक बिल्कुल अपूर्ण है। बांड्स पर जमानतदारों के न नाम ही लिखे गये हैं न हस्ताक्षर ही हैं। लेखक के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। करीब २ पूर्ति के अन्य स्थान भी रिक्त पड़े हैं। ऐसे आवश्यक डाकूमेन्ट्स बिल्कुल अपूर्ण है। इनकी पूर्ति अविलम्ब होनी आवश्यक है।

विशेष विवरण :- श्री फकीर मोहम्मद जो समिति के अध्यक्ष थे तथा जिनके जिम्मे समिति का ३२०) रु० मूल तथा ७८ न० पै० ३०-६-६२ को है उनको परिवर्तन इस म्युनिसिपैलिटि से हो चुका है। अतः एक समिति की प्रबन्धकारिणी में अध्यक्ष चुना जावे तथा जहां उनका परिवर्तन हुआ वहां की म्युनिसिपैलटी को लिखा जाकर रुपये एक मुश्त वसूल किया जावे।

२- इसी प्रकार श्री बजरंगलाल भी म्युनिसिपैलिटि की सेवा से अलग हो गया है उसे भी उसकी हिस्सा राशि लौटाई जावे।

३- समिति के मंत्री के पास १८-६-६२ को रकम वितरण करने के पश्चात ४४१) रु० कर्ज में से बकाया रहा था उन्हें इस राशि को तुरन्त बैंक में जमा करा देनी चाहिये थी परन्तु अभी तक भी इतनी भारी रकम श्री मुरलीधर के पास ही है। उनमें इस राशि का भी ब्याज वसूल किया जावे।

४- मेरी राय में दो माह २१ दिन तक जो २४००) रु० श्री मुरलीधर के पास पड़ा रहा उसके ब्याज की वसूली ७॥ प्रतिशत से ४७) २७ न० पै० उनसे शीघ्र वसूल की जाकर राशि बैंक में जमा कराई जावे।

५- समिति के सदस्यों से ऋण के किश्त की वसूली भी नहीं हो रही है उनसे नियमानुसार किश्त की वसूली की जाकर राशि बैंक में जमा कराई जावे।

६- यद्यपि समिति निरीक्षकजी तथा सहायक निरीक्षकजी के हैडक्वार्टर पर है। परन्तु उन्होंने भी इस समिति में हो रही अनियमितताओं की ओर तथा रिकार्ड चालू कराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

७- समिति को तुरन्त छपी हुई रोकड़ खरीद कर अपना कार्य चालू करना चाहिये तथा पड़ी हुई राशि को बैंक में जमा करानी चाहिये।

वर्गीकरण :- चूंकि समिति का कार्य बिल्कुल ठीक प्रकार नहीं चल रहा है, न कोई रिकार्ड चालू किया गया है न अपनातें ही चालू हैं, अतः इस आधार पर समिति को सी श्रेणी में रखने की सिफारिश की जाती है।

ह० मदन लाल गुप्ता

निरिक्षक ऑडिट

सरकारी समितियां, निवाई

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २४ फरवरी, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१५	अन्तिम	श्री चतुर्भुज शर्मा	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
१६	१७	श्री भीखाबाई	श्री भीखाभाई
१७	५	यातायात मत्री	यातायात मंत्री
२३	१७	श्री रानप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
२४	४	८ श्री जुझारसिंह	९. श्री जुझारसिंह
२६	१२	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
२७	२	(हिन्डोन)	(हिन्डौन)
"	१२	उप--मंत्री पचायत	उप-मंत्री, पंचायत
"	१५	श्री श्रवणलल	श्री श्रवणलाल
"	२१	श्री भवानीशंकर नन्दवाता	श्री भवानीशंकर नन्दवाना
२८	अन्तिस से ३	घी सम्पत्तिलाल : बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा :
२९	अन्तिम से २	श्री अन्दुल जब्बार निम्बाहेडा):	१२. अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा):
३०	१४	श्री अब्दल जब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
३१	अन्तिम से २	२५. योगेन्द्रनाथ हांडा	१४. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
३४	१	श्रीमुरलीधर व्यास बीकानेर	श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)
३६	१३	श्री रावतराम (शादूलपुर)	१६. श्री रावतराम (सादूलपुर)
४५	शीर्ष	(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)	(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
४६	२२	श्री भरवलाल 'कालाबादल'	श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
"	२५	श्री निरंजननाथ आबाय	श्री निरंजननाथ आचार्य
४७	२०	श्रा भैरवलाल 'कालाबादल'	श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
५५	१६,१६	श्री महेन्द्रसिह	श्री महेन्द्रसिंह
५६	शीर्षक	प्रश्नातर	प्रश्नोत्तर
५७	३	पंचायत मत्री	पंचायत मंत्री
५८	३	श्री भरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
"	१५	श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल	२१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
६५	५	श्री निरंजननाथ आचार्व	श्री निरंजननाथ आचार्य
६६	२१	(वार्मसिहनगर)	(रायसिंहनगर)
७१	१२	मन्त्री) :	मन्त्री) :
८१	शीर्ष	———	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

Page No.125

१	२	३	४
८५	१२	मजदूा ों	मजदूरों
८७	१६	प्रातवेदनों	प्रतिवेदनों
८८	६	काय	कार्य
,,	७	एव	एवं
६०	अन्तिम से २	श्री मानसिह महार	श्री मानसिंह महार
६२	१२	,, ,, ,,	,, ,, ,,
६३	६	,, ,, ,,	,, ,, ,,
१०५	शीर्ष व १८	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	१५	श्री परसराम मदरैणा	श्री परसराम मदेरणा
१०६	१८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१०७	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
१२७	शीर्षक	–२४ फरवरी ,६६४–	२४ फरवरी, १६६४
१२६	शीर्ष	(श्री भैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
१४८	१६	श्री माथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	१६	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	२६	श्री भैरों सिह	श्री भैरों सिंह
१५५	शीर्ष	श्री फूलचन्द्र जैन	श्री फूलचन्द जैन
१५८	१	श्री फूलचन्द्र जैन	श्री फूलचन्द जैन
१७२	५	(१.०० मध्यान्ह)	(१२ ०० मध्यान्ह)
१६१	शीर्षक	राज्याल	राज्यपाल
१६५	२०	श्री मोहनलल सारस्वत	श्री मोहनलाल सारस्वत
१६७	शीर्षक	महोदय भिभाषण	महोदय के अभिभाषण
२०५	३	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२११	१३	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
२३२	शीर्षक	संक्षित	संक्षिप्त
,,	२४	अग्रेतर	अग्रेतर
२३५	शीर्षक	परिशिप्ट	परिशिष्ट
२३७	२	पशुपा–लन	पशुपालन
२४०	१	प्रश्न संख्या ४ का	प्रश्न संख्या ६ का

❀ विस्तृ त शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।